महानगर नई दिल्ली शनिवार 25 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कोरोना से डरे चीन ने 13 शहरों पर लगाई यात्रा पाबंदी

बेजिंग, 24 जनवरी (एएफपी)।

चीन ने खतरनाक विषाणु कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए और विषाणु पर नियंत्रण करने के मद्देनजर इससे प्रभावित शहर के आसपास मौजूद चार और शहरों में शुक्रवार को यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। इससे यात्रा प्रतिबंध वाले शहरों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और इसके कारण इन शहरों में रह रही करीब 4.1 करोड़ की आबादी प्रभावित है।

शुक्रवार को चार और शहरों पर लगाई पाबंदी, 4.1 करोड़ लोग इन पाबंदियों से प्रभावित

मध्य हुबेई प्रांत में स्थित शियानिंग, शियाओगन, एन्शी बाकी पेज 8 पर

कोरोना वायरस : चीन से लौटे दस लोग निगरानी में

दिल्ली/कोच्चि/मुंबई, 24 जनवरी (भाषा)।

चीन से हाल के दिनों में भारत लौटे सैकड़ों लोगों में से 10 को घातक कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच के लिए अस्पतालों में निगरानी में रखा गया है। इनमें से सात केरल में, दो मुंबई में और एक हैदराबाद में हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केरल में अधिकारियों ने बताया कि 73 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है बाकी पेज 8 पर

एम्स में बनाया गया अलग निगरानी वार्ड

भारतीय दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह रद्द

बेजिंग, 24 जनवरी (भाषा)।

चीन में फैले कोराना वायरस के प्रसार के कारण बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह रद्द करने की घोषणा की है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य बाकी पेज 8 पर

राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

हफ्ते भर में उपायों का खाका पेश करे आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चुनावी उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा करने के 2018 के उनके निर्देश से राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने में मदद नहीं मिल रही है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों से उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की मीडिया में घोषणा करने के बारे में कहने के बजाए राजनीतिक दलों से कहा जाना चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही न दें।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट के पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर इसकी रूपरेखा पेश करे। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय और निर्वाचन आयोग से कहा कि वे साथ मिलकर विचार करें और सुझाव दें जिससे राजनीति में अपराधीकरण पर रोक लगाने में मदद मिले।

सितंबर 2018 में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। फैसले में कहा गया था कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद 10 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन आयोग ने फार्म-26 में संशोधन करने के बारे में अधिसूचना जारी की थी और सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, उपाध्याय बाकी पेज 8 पर

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट के पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर इसकी रूपरेखा पेश करे।

उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि घोषित करने की बाध्यता से कोई मदद नहीं मिलने की चुनाव आयोग की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

2018 का फैसला

सितंबर 2018 में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय और निर्वाचन आयोग से कहा कि वे साथ मिलकर विचार करें और सुझाव दें।

सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देगा। दिल्ली में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएए के माध्यम से भाजपा ने इन परिवारों को नागरिकता दी है और उनका सम्मान किया है। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।

शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस व 'आप' ने दंगे करवाए हैं। आम आदमी पार्टी व कांग्रेस दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख सकती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि एक बार 'आप' सरकार को बदलने के लिए वोट करें। भाजपा दिल्ली को सबसे सुरक्षित व स्वच्छ और सबसे अच्छी राजधानी बनाकर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाद अब दिल्ली बदलना चाहते हैं।

अमित शाह ने कहा कि टुकड़े- टुकड़े गैंग ने नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे एक हजार लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं की। इसे राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बता रहे हैं। लेकिन जो भी भारत माता के बाकी पेज 8 पर

सीएए, एनआरसी के विरोध में द्रमुक चलाएगा अभियान

चेन्नई, 24 जनवरी (भाषा)।

तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाले विपक्ष ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में शुक्रवार को 'व्यापक' हस्ताक्षर अभियान चलाने का संकल्प लिया। द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि सीएए वापस लिया बाकी पेज 8 पर

रासुका लगाने के खिलाफ आदेश नहीं दे सकते : कोर्ट

-खबर पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

सामाजिक अन्याय है अत्यधिक और मनमानी टैक्स वसूली : प्रधान न्यायाधीश

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

बजट से एक सप्ताह पूर्व भारत के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने शुक्रवार को कहा कि जहां नागरिकों द्वारा कर चोरी एक तरह का सामाजिक अन्याय है, वहीं अत्यधिक और मनमानी कर वसूली का नतीजा भी सामाजिक अन्याय के रूप में सामने आता है। यहां आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के 79वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी पेज 8 पर

भारत 130 करोड़ लोगों का घर ही नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है : मोदी

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सिर्फ सरहदों के भीतर 130 करोड़ लोगों का घर ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र के साथ एक जीवंत परंपरा, विचार, संस्कार का विस्तार है और न्यू इंडिया में इन्हीं आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने जा रहे युवाओं से कहा, 'भारत की श्रेष्ठता की एक और शक्ति इसकी भौगोलिक और सामाजिक विविधता में ही बाकी पेज 8 पर

सागरमाथा संवाद के लिए मोदी, इमरान को न्योता

नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसका आयोजन इस वर्ष अप्रैल में किया जाएगा।
-विस्तृत खबर पेज 16 पर

अब पोहे पर सियासत, विजयवर्गीय घिरे

तृणमूल कांग्रेस, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और माकपा ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के 'पोहा' खाने पर श्रमिकों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले बयान पर जवाबी हमला किया। -विस्तृत खबर पेज 15 पर

भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर मॉडल टाउन थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
-विस्तृत खबर पेज 5 पर

छात्रसंघ की याचिका पर विवि प्रशासन से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रावास की नियमावली में संशोधन के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। -विस्तृत खबर पेज 8 पर

जनसत्ता रविवारी
26 जनवरी, 2020

भूख बनाम भोजन की बर्बादी
एक तरफ लाखों लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिलता और दूसरी तरफ शादी-विवाह आदि के मौकों पर भोजन की भारी बर्बादी होती है। यह चिंता का विषय है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। बता रहे हैं गजेंद्र सिंह।

• कविता/ बोधिसत्व • कहानी/ योगेश दीक्षित • विमर्श/ विजय बहादुर सिंह • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

परीक्षा के दिन • सुषमा सिंह

• कविता/ शिव मोहन यादव
• कहानी/ हरीश कुमार 'अमित'

भ्रष्टाचार सूचकांक : 180 देशों में 80वें स्थान पर भारत

दावोस, 24 जनवरी (भाषा)।

भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक में भारत का दुनिया के 180 देशों में 80वां स्थान है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने यहां विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान इस सूचकांक रपट को जारी किया।

विशेषज्ञों और कारोबारी लोगों के अनुसार यह सूचकांक 180 देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को दिखाता है।

चीन, घाना और मोरक्को को भी भारत के साथ ही रखा गया है।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सूचकांक में 120वां स्थान मिला है।

सूचकांक में डेनमार्क और न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहे हैं। फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग इस सूचकांक में शीर्ष 10 में शामिल रहे हैं। सूचकांक में 41 अंक के साथ भारत को 80वां स्थान मिला है। चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को को भी भारत के साथ ही रखा गया है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सूचकांक में 120वां स्थान मिला है।

शब्द और स्वीकृति कई हिंदी शब्दों के साथ 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्दों को मिली जगह

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश को भाया चावल

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अद्यतन संस्करण में आधार, चावल, डब्बा, हड़ताल और शादी सहित 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्दों को जगह मिली है। शब्दकोश का 10वां संस्करण शुक्रवार को जारी किया गया जिसमें कुल 384 भारतीय अंग्रेजी शब्द हैं। साथ ही चैटबोट, फेक न्यूज और माइक्रोप्लास्टिक सहित करीब 1,000 नए शब्दों को भी इस शब्दकोश में जगह मिली है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने कहा कि शब्दकोश सालों से भाषा में आ रहे बदलाव और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यह सुनिश्चित किया गया है कि नए संस्करण में इस्तेमाल भाषा और उदाहरण प्रासंगिक और समय के अनुरूप अद्यतन हों। शब्दकोश का नया संस्करण बाकी पेज 8 पर

1000
जिन नए शब्दों को मिला स्थान, उनमें चैटबोट और फेक न्यूज शामिल

86000
शब्द, 95,000 वाक्यांश, 1,12,000 अर्थ हैं शब्दकोश के ऐप पर

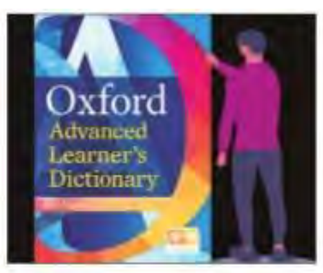

ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी का 10वां संस्करण जारी

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने कहा कि शब्दकोश सालों से भाषा में आ रहे बदलाव और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यह सुनिश्चित किया गया है कि नए संस्करण में इस्तेमाल भाषा और उदाहरण प्रासंगिक और समय के अनुरूप अद्यतन हों।

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही / नौ महीने के लिए पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टेण्डएलोन/समेकित) (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टेण्डएलोन			समेकित		
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने के लिए (पुनरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने के लिए (पुनरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (निवल)	6505.62	18383.07	5269.10	6504.46	18386.44	5269.75
2.	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, असामान्य तथा/या असाधारण मदों को घटाने के पहले)	389.54	1561.33	222.94	390.36	1563.45	223.36
3.	अवधि के लिए कर घटाने के पहले निवल लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	389.54	1561.33	222.94	390.36	1563.45	223.36
4.	अवधि के लिए कर घटाने के बाद निवल लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	247.16	971.09	152.27	291.03	1128.53	171.96
5.	ईक्विटी शेयर पूंजी	608.80	608.80	480.29	608.80	608.80	480.29
6.	प्रारक्षितियां (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए रूप से पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोडकर)	15813.36	15813.36	15346.69	16140.13	16140.13	15613.71
7.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- के) (जारी तथा बंद किये गये परिचालनों के लिए)						
	मूल:	*4.77	*19.48	*3.17	*5.62	*22.64	*3.58
	कम किया गया:	*4.77	*19.48	*3.17	*5.62	*22.64	*3.58

*वार्षिकृत नहीं किया गया

नोट: उपर्युक्त विवरणी स्टॉक एक्सचेंजस के साथ सेबी के विनियम 33 (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अधीन फाइल किये गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट: www.indianbank.in में उपलब्ध है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: जनवरी 24, 2020

ह/- शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक
ह/- एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक
ह/- पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

इंडियन बैंक Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा,
चेन्नै - 600 014.

1800 425 00 000 www.indianbank.in हमें यहाँ फॉलो करें:

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Rumy Rana D/o Preetam Singh Rana R/o-H.No.287, 3rd-Floor, Chhattar Pur Pahari, New Delhi-110074, inform that the name of mine has been spelt/wrongly as Roomy Rana in my educational documents.The actual name of mine is Rumi Rana respectively. 0040528885-6

It is for general information that I Mohd Saleem S/o Mohd safi R/o-B-63 st.no-4 milan garden shabhapur Delhi-94 inform that name of mine and my father has been wrongly written as Namruddin and safi khan in my all educational documents.The actual name of mine and father are mohd saleem and mohd safi respectively which may be amended accordingly. 0040528827-9

I,SAJNA Spouse of HARI RAM,resident of,Village-Sagoobari,Tehsil-Didwana, Distt.-Nagaur, Rajasthan-341305,have changed my name from SAJNA to SAJNA DEVI vide-affidavit,dated-24/01/2020,before Notary-Advocate:-Ram Kishore Singh,having Registration. No.:-2548,New Delhi. 0040528872-2

I,Neha Kumari D/o Ramesh Kumar R/o F-84,J.J. Colony, Delhi-110012,have changed my name to Neha for all purpose. 0040528913-2

I,Mr.Raj Kumar S/o-Shri Mahabir Sharma R/o-House.No.326,Good Luck Public School FatehPur Beri,New Delhi-110074,have changed my name to Raaj Sharma for all,future purpose. 0040528872-8

I,Mr.Prabhu Dayal Sharma S/o Shri R.D.Sharma R/o-Gali.No.15, C-219/A,Third Floor,Enclave Phase-II, Chhattarpur,New Delhi-110074,have changed my name to Prabhu Bhardwaj for all,future purpose. 0040528872-6

I,MD Balal Uddin S/o-Mr.Mohd Haroon,R/o-Sitanabad Tola Gangaprsad,Ward.No.6, Simri Bakhtiyarpur, Saraunja, Bihar-852106,have changed my name to Mohd Bilal for all,future purposes. 0040528872-4

I,Jasdeep Kaur Arora W/o Harpreet Singh,R/o A-24, Fateh Nagar, Delhi-110018 have changed my name to JASDEEP KAUR 0040528896-1

I,Harpreet Singh Arora S/o Manjeet Singh,R/o A-24, Fateh Nagar, Delhi-110018 have changed my name to HARPREET SINGH 0040528896-2

I,Chandralekha Singhaneka W/o Jagmohan Saraff R/o-Maa Kalyani Kunj, Flat-No-14,CC Colony,Kalyan Vihar,Delhi-110009 have changed my name to Rekha Saraff 0040528872-1

I, Zahid S/O Faiyaaz Hussain R/O Hno.374, Hmp,125 Yards, Jj Colony, Raghubir Nagar, Delhi-110027. Changed my Name to Jahid Hussain. 0040528857-9

I, Vijendar Kumar S/o Om Parkash Singal R/o-C-804, M2K-Victoria Garden, Azad Pur, Delhi-110033, have changed my name to Vijendar Kumar Singhal permanently. 0040528827-8

I, Usha Kakkara W/O Villan Sreedharan H.No-10-H, Pocket B-4, Janta-Flats Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096. Changed My Name To Usha Sreedharan. 0040528829-1

I, Surender Kumar S/o Mitthan Lal Gupta R/o-B-251, 3rd Floor Surajmal-Vihar, Delhi-110092 have changed my name to Surendra Kumar permanently. 0040528885-2

I, Sunita Rani D/o Raja Ram Goyal W/o Sandeep Goyal R/o House No-42 Street No- 5 Mahavir Nagar Barewal Rajguru Nagar Rajguru Nagar Ludhiana Punjab- 141012 have changed my name and shall hereafter be known as Kritika Goyal. 0070694564-1

I, Sumit S/O Fool Chand, H.No-B-50, Brijwasi-Colony Nr. Dharamshala SultanPur Colony Delhi-110030. Changed My Name to Sumit Saroj. 0040528829-4

I, Sudhir Dahiya S/O Arjun Singh R/O Village-Silana, Tehsil-Kharkhoda, Sonipat-131408. Have Changed My Name To Sudhir. 0040528857-6

I, Sudharshan B K S/o Sh.Karigiri Rao B N R/o #1229, Near Krishna Bakery, Kalyan Nagar, VTC:Bangalore North, PO: Dasarahalli, Sub District: Bangalore, Bangalore North, District: Bangalore, State: Karnataka, PIN Code: 560057, have changed my name and shall hereafter be known as Sudharshan Bilikere Karigiri Rao. 0070694558-1

I Manjit Kaur W/o Daljit Singh R/o Dhandal Gurdaspur, Punjab-143516, have changed my name to Jasbir Kaur 0070694566-1

I, Kashmir Singh Tomer S/o Fateh Singh R/o C-83 Shiv Vihar Nilothi New Delhi-110041 changed my name to Kashmir Singh. 0040528704-2

व्यक्तिगत

I, Soarabh Gupta S/o Sh.Rakesh Kumar Gupta, R/o-H.No.-501, Jasmine-Tower Omax Forest Spa, Suraj Kund Road, Faridabad-121001, Haryana have changed my name to Saurabh Gupta for all purposes. 0040528827-4

I, Sahil Kumar Talwar S/o Gulshan Kumar Talwar R/o E-97Y, D.D.A-Flats, Jahangirpuri, Delhi-110033. have changed my name to Sahil Talwar. 0040528885-4

I, Ravinder Kumar S/o Shambhu Prasad R/o Flat No.142, Royal Residency, Sector-9, Plot No.5, Dwarka, New Delhi-110077 have changed my name to Ravinder Kumar Kandwal for all future purposes. 0040528786-1

I, Rashid Ahmed S/o Eistiq Ahmed R/o-6895 Beri Wala Bagh Pul Bangash, Azad-market, Delhi-6 have changed my name to Rasheed Ahmed permanently. 0040528857-2

I, Rajiv Arora, S/O Shri Madan Mohan Arora R/O-107, Lal Jyoti-Apartment Sector-9, Rohini Delhi-110085, have changed my name to Rajeev Arora. 0040528829-5

I, Rajesh Kumar Sapra S/O Ram Chand Sapra R/O L-2/205A, DDA Flats Kalkaji Delhi-110019. Changed My Name To Rajesh Sapra. 0040528829-3

I, Raj Kumar S/o Sh.Mahendra Lal R/o C-304/A, Sector-19, Noida (U.P.) affirm that in my name is wrongly mentioned in my son's (Deepak Singh) School Marksheet as Raj Kumar Singh, but my correct name is Raj Kumar for all purposes. 0040528846-1

I, Rahul S/o Madho Prasad R/o 63-64 UGF Pocket-8, Sector-23 Rohini Delhi-110085, have changed my name to Rahul Rao permanently. 0040528804-1

I, Pushpraj S/o Manbharan R/o B-251 G.P Jhuggi Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Rocky Verma for all purposes. 0040528829-6

I, Priti Agarwal W/o Ashish Jain R/o-A-601, Sukhsagar Apartment, Sector-09, Plot-No.12, Dwarka, Delhi-110075 have changed my name to Priti Jain. 0040528857-4

I, Pankaj Bansal S/o Late Sh. Ram Kishore Bansal R/o F-4, C-7, Chander Nagar, Ghaziabad, U.P. have changed my name from Pankaj Kumar Bansal to Pankaj Bansal for all future and legal purposes. 0040528842-1

I, PUSHP LATA W/o ANIL KUMAR SHARMA R/o HOUSE NO. 373/28, GALI NO. 7 JYOTI PARK , GURGAON ,HARYANA-122001 INDIA. I HAVE CHANGED MY NAME FROM PUSHPLATA KUMARI SHARMA TO PUSHPLATA FOR ALL PURPOSES 0040528880-1

I, Neha Chaudhary w/o Anuj Sabharwal H.No.8, 2nd Floor, CP-Block, Rath-Mandir-Road, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Neha Sabharwal. 0040528827-5

I, Neeru W/o Parveen Kumar R/o.House No.2, 4th-Floor, GyanKunj, Surajmal-Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Neeru Kathuria. 0040528885-5

I, Neelkamal Kapoor W/o Pankaj Kapoor R/o A-51, Vishal Enclave, New Delhi-110027 have changed my name from Twinkle Kapoor to Neelkamal Kapoor for all legal purposes. 0040528776-1

I, Mukesh Kumari W/o Subhash Malik R/o-Plot No.51B, Sitapuri, Dabri New Delhi have changed my name to Mukesh, for future. 0040528827-1

I, Mrs.Seema Gahlaut W/o Y.S.Cahlaut R/o-C-67/2,JVTS Garden, Chhattarpur Extension,New Delhi-110074, have changed my name to Seema Chaauhaan for all future purpose. 0040528872-7

I, Mohd Yousuf S/o Mohd Yaqoob, H.No. D-4, 4th Floor, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25 have changed my name to Mohd Yusuf 0040528815-1

I, Mohammad Roushan Ali S/o.Mohamad Ibrahim R/o-J-45 Opp.J-36 Abul-Fazal Enclave Part-I, Jamia-Nagar, New Delhi-25. That my daughter Zainab Rukhsar 10th-and 12th-class Educational Marksheet and certificate my name written wrongly Roshan Ali instead of Mohammad Roushan Ali. 0040528885-7

I, Minaxi D/o Ramesh Kumar R/o F-84, J.J.Colony,Delhi - 110012,have changed my name to Meenu for all purpose. 0040528913-1

I, Merjuddin S/O Shahabuddin, H.No-1241, F/F Gali Mahal Sarai Ballimaran Delhi-110006. Changed My Name To Merajuddin. 0040528829-2

I Hitherto Known As Tarannum Jahan D/O Mohd Aslam W/O Dilshad Ahmad Residing-At House No-243, K-Block, ShakurPur Saraswati-Vihar North/West Delhi-110034, Have Change My Name And Shall Hereafter Be Known As Tarannum Parveen. 0040528857-7

I Chandresh S/O, Ved Prakash Chaudhary R/o Block A, 61, 1st Floor, Greenwood City, Sector 45, Gurgaon, Haryana have changed my name to Chandresh Chaudhary for all purposes. 0040528421-1

I, Md Merajuddin Shah S/O Mohd Shahabuddin R/O E-3, Rajiv Nagar Extn.Phase-2, Begumpur, Delhi-110086. Changed my Name to Mohd Mirajuddin. 0040528857-10

I, Manpreet Singh Chadha R/o-L-2/62, S.F., New Mahavir-Nagar, New Delhi-18, changed my minor son's name from Japsamrath Singh to Japsamrath Singh Chadha. 0040528829-7

I, Manish Kumar S/o Ramesh Kumar R/o-C-7 Third Floor Nirman Vihar, Delhi-110092, have changed my name to Manish Chaudhary Permanently. 0040528804-2

I, Kumari Munni D/o Sh.Baliram R/o B-176, First Floor, East of Kailash, Sriniwaspuri, South Delhi, Delhi-110065 have changed my name to Munni for all purposes. 0040528779-1

I, Kuldeep Tomar S/o Bhagwan Singh Tomar R/o C-108, JNC Princess Park, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, have changed my name to Kuldeep Singh Tomar. 0040528777-1

I, Jyoti Bhatia D/o Vinod Bhatia R/o 113-114 Pocket-15 Sector-24 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Jyoti. 0040528827-6

I, Rani D/o Gurcharan Singh V.P.O. Bhadaur Distt. Barnala (P.B) have changed my name to Randeep Kaur Sidhu. 0040528827-2

I, Intzar Ahmed S/o Rafiq Ahmed R/o 363, Gali No.7, Village Jagatpur, Burari, Delhi-84 is also known as Intzar. Both names are of one & the same person. 0040528779-2

I, Iftikar S/o Mohd Ishamuddin R/o M-12 DDA Flats, Turkman Gate Delhi-110006 have changed my name to Mohd Iftikhar 0040528815-2

I, Hema W/o Bhupal Singh R/o:B-676, 3rd-Floor, G.D.Colony, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-110096 have changed my name to Hema Soutiyal for all purposes. 0040528785-1

I, Dharmender Kumar S/o Rishiram R/o RZ-31A, Gali No.17 Vashist Park, New Delhi-110046. have change my name to Dharmender. 0040528857-1

I, Babita Rani W/O, Anil Kumar Tanwar R/o WZ 163 Naraina Village ND-28 have changed my name to Babita for all purposes. 0040528828-1

I, Anmol S/o Sh.Ramesh Hasija R/o H.No:40, 8-Marla, Sonipat, Haryana-131001, have changed my name to Anmol Hasija for all future purposes. 0040528779-3

I, Anjli Guliani W/o Rajan Guliani R/o-G-7/2, Sector-11, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Anjali Guliani. 0040528827-3

I, Anand Chauhan S/o Ram Swaroop Chauhan R/o-WZ-436, Nangal Raya, ND-46, changed my name to Anand Swaroop Chauhan for all purposes. 0040528857-5

I, Alauddin S/o Abdul Latif R/o J-17/35 Gali No.8 Chauhan-bangar, Seelampur, Delhi-53 have changed my name to Allauddin permanently. 0040528857-3

I, Abhinav Bansal S/o Sh. Sanjay Bansal R/o B-1 498-6-O, Upkar Nagar, Civil Lines, Ludhiana, Punjab-141001 have changed my name and shall hereafter be known as Shivam Bansal. 0070694577-1

I hitherto known as Sony Sharma daughter of Sh. SK Sharma Wife of Mr. Sunil Sharma residing at H.No -85, Third Floor, Jeewan Nagar, Near Gurudwara bala sahib, New Delhi -110014, have changed my name and shall hereafter be known as Sony Bhargwa. 0040528898-2

I hitherto known as Renuka Adlakha daughter of Sh. Pritam Lal Adlakha Wife of Mr. Vipan Kumar Allagh residing at B-26, Block-B Nirmalpuri, Lajpat Nagar-4, New Delhi -110024, have changed my name and shall hereafter be known as Mrs. Renu Allagh. 0040528898-3

I hitherto known as Deepti Arora daughter of Sh. Munshi Ram Wife of Mr. Naveen Bahal residing at S-26, First floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name and shall hereafter be known as Mrs. Deepti Bahal. 0040528898-1

I Vipin S/o Subhash, Add-R-26, C-Block, Maharani Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Vipin Kumar. 0040528885-1

I Snehalata Gupta W/o Shravan Kumar Gupta R/o F-2/129, Sector-16, Rohini,Delhi-110089 have changed the name of my minor son fromAnant Kumar to Anant Kumar Gupta for all purposes. 0040528826-1

I Asiya Yahya D/o Mohammed Yahya R/o 738, Gali Shesh Mahal, Azad Market, Delhi-6 have Changed my Name From Aasiya Fazal to Asiya Yahya for All Future Purposes. 0040528791-1

I Anil Bhushan Chawla S/o Sh. Khariti Lal Chawla R/o 20/5, Punjabi Bagh Extn.,New Delhi-110026 do hereby affirm that Anil Chawla and Anil Bhushan Chawla isone and the same person. 0040528895-1

व्यक्तिगत

मैं, चंचल पत्नी राजीव कुमार वाधवा निवासी म.न. 691, नियर बाल भवन, सेक्टर 4, गुरुग्राम (HR) मैंने शादी के बाद भविष्य के सभी कार्यों हेतु अपना नाम चंचल से बदलकर रश्मि वाधवा रख लिया है

I Salman Hashmi S/o Abdul Wali R/o 1677, Gali Madarsa Mir Jumla, Lal Kuan Delhi-6 have Changed my Name From Salman Akhtar to Salman Hashmi for All Future Purposes. 0040528791-2

I Sadan S/O Saleem Akhtar R/O.Ward No.31 Arya-Nagar Jamiya Rasheediya-Arabiya Loni-Ghaziabad U.P.-201102. have changed my name to Mohammad Sadan Ansari. 0040528885-3

I Pushwinder Kaur W/o Baljit Singh R/o Patti Samrao, Chhajli, Sangrur, Punjab-148030, have changed my name to Surinder Kaur 0070694567-1

I Pardeep Lamba S/o Tilak Raj Malhotra Add-D-111, First-Floor ajay enclave, tilak nagar ND-110018. changed my name to pardeep Malhotra. 0040528827-7

I Meena S/o Tilak Raj R/o D.Block 1519. Jahangir Puri North West Delhi 110033. Changed My Name To Meena Monga. 0040528857-8

I Mayank Kumar S/O, Jatinder Kumar R/o E-504, Ranjit Vihar Part-1, Sector-22, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Mayank J Kumar for all purposes. 0040528847-1

I Ruveda Hashmi W/o Salman Hashmi R/o 1677, Gali Madarsa Mir Jumla, Lal Kuan Delhi-6 have Changed my Name From Ruvedha Khatoon to Ruveda Hashmi for All Future Purposes. 0040528791-3

I, Som Parkash Chhabra s/o Karam Chand Chhabra Flat no 408,4th floor, Block Chinar A 2 ,Omaxe parkwoods, Baddi, HP 173205. have changed my middle name to Som Prakash Chhabra. 70694562

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Meghna Khanna D/o Sh. D.K. Khanna wife of Sh. Rahul Thakur resident of BP-45, Shalimar Bagh, North-west, New Delhi-110088 declare that I got divorce from my husband vide court decree No. HMA NO.912/19 dated 23.05.2019. Further I have changed the name of my minor Daughter Araddhya aged 7 years and she bear after be known as Araddhya Khanna.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client **Ram Saroop Bhandari Son of Late Chunni Lal Bhandari** R/o G-20/149-150, Sector-7, Rohini, Delhi 085, disowned and severe all relationship with their son namely **Harsh Bhandari and his wife Pooja Gandotra Bhandari and Granddaughter Pragya Bhandari** and debarred them from all their movable and immovable properties acquired or to be acquired because of their mis-behaviour & conduct and their nature are being disobedient and they are abusing and quarrelling with my client so my client have broken all relations from them. Any person dealing and having relation with them in any manner shall be at their own risk, cost & consequences and my client shall not be responsible for any act and deed of the aforesaid

Sd/-
SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrl. No D-152/88

PUBLIC NOTICE

Whereas my clients Sh. Shyam Sunder Chhabra and his wife Anita Chhabra, R/O RZ-25/A, Indra Park Extn., East Uttam Nagar, New Delhi, have severed all their relations with their son Hitesh Chhabra due to his rude and disrespectful behaviour. My client Shyam Sunder Chhabra is the sole and absolute owner the said house. Hitesh Chhabra has no right, title or interest in the aforesaid property of my client. If any person makes any dealing with said Hitesh Chhabra he shall be doing at his own risk. My clients shall not be responsible for the same in any manner.

Sd/-
DEEPAK ARORA (Advocate)
Ch. No. 122, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Still known to public at large that my clients Daljit Singh Chawla S/o Late Sardar Singh Chawla and his wife Kulwant Singh Kaur Chawla W/o Sh. Daljit Singh Chawla R/o A-5/151C, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi 110063. Hereby my clients declaring/Disclaiming/Disowning their son namely Preetpal Singh Chawla and their daughter in law Mrs. Manpreet Kaur Chawla who is legally married with my clients son Sh. Preetpal Singh Chawla and their grandaughter Ms. Tamreen Kaur Chawla and grandson master Onjyot Singh Chawla from their life & all properties (Movable & Immovable). Situated in Delhi and outside of Delhi Because they all are not loyal, obedient and out of control of my clients So anybody dealing with them, he/she/they would be liable for that dealing. My clients & their family will not be responsible for any kind of acts by them in future immediately.

Hitesh Chopra (Advocate)
17/53, 204, FF, Arya Complex,
Moti Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

This is for information of General public that my client Sh. Ajay Khanna S/o Sh. N.K. Khanna he is absolute owners of the property Flat No. 6260, on First Floor, Sector-B, Pocket-9, Situated at Vasant Kunj, New Delhi-110070 have missing original Allotment Letter issued by DDA in favour of Smt. Subhaga Shankar W/o Sh. P. Shankar DDA File No. 126 (5475)83/ SFS/VK/III. if any persons finds the above stated document, it is requested to handover the same to the undersigned And If any persons have any claim whatsoever with respect to the above said property, he/she is required undersigned within 15 days for the date of publication.

Sd/-
Rahul Mishra
Advocate
Mobile No. 7827702007

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री संजय गुप्ता एवं श्रीमती संगीता खेतान ने अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली के रूप में ज्ञात कॉलोनी में सम्पूर्ण तीसरा तल (छत अधिकार के साथ) "कथित फ्लोर" सम्पत्ति सं. 33 का भाग, एरिया परिमाप 166.67 वर्ग यार्ड का मालिक एवं कब्जेदार होने का दावा किया है। इस सम्पत्ति में एक हक विलेख अर्थात मूल बिक्री विलेख दिनांक 24.10.2011 कहीं गुम/खो गया है और श्री संजय गुप्ता एवं श्रीमती संगीता खेतान उपरोक्त कथित सम्पत्ति को श्री आशीष कुमार गुप्ता को बचने के लिए सहमत हैं। अब आशीष कुमार गुप्ता ने वित्तीय सहायता के लिए आईसीआईसीआई बैंक के पास सम्पर्क किया है जिसके लिए उन्हें कथित सम्पत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होगा।उक्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर, इस सूचना के दिनांक से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त या परित्यक्त माना जाएगा और हमारा मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
Juris NextGen Law Offices,E-56, Greater Kailash Enclave Part-1 New Delhi-110048

खोया+पाया

I, Suboth Kaushik S/o S.C.Kaushik R/o:G-33, Vikaspuri, New Delhi have lost my all (2 Series) of property papers. It is a paper of B-1032, (GF) Green Field Colony, Faridabad, Haryana the Haryana paper No.5043 its registration date 29.10.2003 and second series Stamp Paper No.154391, bearing no.154390, 154389, 03CC769599, 12191, 112190, 112189 in property document dated 25-November,2005 0040528783-1

I, Deepak Kumar Dhawan S/O Late Sh. C.R Dhawan like to inform that I have misplaced the original Relinquishment Deed of property C-56/Y-4, Dilshad Garden, Delhi-110095. Deed no 2,105 in additional book No.1,Vol No 504 on Page 97 to 99 was executed on 30th June,2008. FIR was lodged vide LR NO 82307/2020 on 22/01/2020. contact 9810777958 0040528897-1

सार्वजनिक सूचना

मैं आशीष पाठक पुत्र श्री दया शंकर पाठक निवासी 1001, ब्लॉक एन, सेलिब्रिटी मेडोव, सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ दिनांक 19.01.2020 को स्कूटर से कहीं जा रहा था तभी मेरे कुछ महत्वपूर्ण कागज कहीं गिर गये, जिसमें से एक सम्पत्ति प्लॉट सं. डी2, ओमेक्स सिटी, लखनऊ–25 हेतु ओमेक्स सिटी द्वारा जारी किया गया आवंटन पत्र भी था। उपरोक्त सम्पत्ति ग्रैण्ड वैली पब्लिक स्कूल समिति पर पंजीकृत है। अतः अनुरोध है कि जिस किसी को भी यह दस्तावेज मिले कृपया वापस करने की कृपा करें।

LOST

Lost my original Property Document Receipts No 1. CG2/CRB/00096/0310, 2. CG2/CRB/00097/0310, 3. CG2/CRB/00071/0513, 4. CG2/CRB/00114/1113, 5. CG2/CRB/00146/0114, 6. CG2/CRB0319/00092, of DLF Estate (Delhi) Pvt Ltd. in Respect of Mrs. Kamal Mehta W/o Satish Mehta and Satish Mehta S/o Late Sh. Lekhraj Mehta of Flat No. CGP223/PP2027#210 in DLF Capital Greens, Phase-II at Shivaji Marg, Delhi. Finder may Contact Satish Mehta (M) 9810037632

PUBLIC NOTICE

Lost original Possession Slip, Bank Challans, Demand Letter, Allotment Letter, Site Possession Demand Letter, Site Possession Slip favouring Merry W/o Pushpa Raj R/o P-29, C-2, Janta Flats, Dilshad Garden, New Delhi-110095. FIR lodged vide LR No. 1384722/2019 dated:13-8-2019. Founder inform at : 9810426710

PUBLIC NOTICE

Ceasefire Industries Pvt Ltd. 18/13, 4th Floor, WEA, Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-5 hereby inform that we had lost three form C bearing No. HR-13C 02121442-443-444 issued by M/s DLF Gurgaon. If some one found the same may please contact at our above address.

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client Sh. Navneet Gupta, S/o Sh. V. D. Gupta, is the sole, absolute and registered owner of DDA LIG Flat bearing no. 30-D, First Floor, Pocket-L, Sheikh Sarai, Phase-II, New Delhi-110017, by virtue of registered sale deed dated 10.05.2006.

My Client has lost the original (i) Conveyance Deed dated 27.03.2006 executed by DDA in favour of Smt. Shakuntla Chaudhary & (ii) Sale Deed dated 31.03.2006 executed by Smt. Shakuntla Chaudhary in favour of Sh. Parveen Kumar Chhabra & Smt. Rajni Gulati in respect of the above said Flat for which he has filed Police complaint on 16.12.2019 vide No. 2004277/2019.

My client has also lost the original (i) Allotment Letter, (ii) DDA Possession Letter, (iii) NOC for Water and Electricity connection & (iv) Site Possession Slip issued by DDA vide File No. F-95 (106)/81 in respect of the above said Flat for which he has filed Police complaint on 18.01.2020 vides no. 65635/2020.

Use of the above said documents for any purpose shall be illegal and at the risk and cost of the said person. The Public at large is hereby informed accordingly and so forewarned.

Sd/-
O.P. Gulabani, Advocate,
Ch. No. 120, Saket Court,
New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Vinod Kumar Bothra and his wife Smt. Prem Devi Bothra both R/o D-70, 2nd Floor, Near Balaji Mandir, Vivek Vihar, Jhilmil East, Delhi-110095, has severed all their relations and ties from their son Vineet Kumar Bothra due to his disobeying and harassing behaviour towards my above clients. My client have disowned and debarred their abovesaid son from their all movable and immovable assets/properties. Anyone dealing with my said son in any manner in future, shall do so at their own risk and consequences and my abovenamed clients shall not be responsible for any acts, deeds and things done by my abovesaid son.

VINAY TOMAR (Advocate)
Ch. No. 1012, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

This is for information of general public that my client, Sh. Rajan Choudhary, S/o Late Sh. Manohar Lal who is the absolute owner in possession of the property being Freehold DDA MIG Flat No. 31-B, 1st Floor, Pocket A-3, Paschim Vihar, New Delhi- 110063, had lost/misplaced the Originals of Allotment letter, Possession Letter alongwith NOC and Possession Slip, all issued by DDA in favour of the Original Allottee, Sh. Manohar Lal Dhingra & Sh. Vijay Kumar, in the year 2010 for which an FIR was duly lodged at the Kirti Nagar Police Station. If any person's has found the abovestated documents, it is requested to handover the same to the undersigned. And if any person/s has any claim whatsoever with respect to the abovestated property, he/she is required to give notice of the same to the undersigned within 15 days from the date of publication hereof, together with copies of documents forming basis of such claim, failing which it shall be concluded that there is no claim whatsoever against the abovesaid property and my client can proceed with his intended object pertaining to the abovestated property.

Sd/-
Namrata Ranga (Advocate)
C-117B, Rama Park, Uttam Nagar
New Delhi-110059
09818947341

पूर्व विधायक समेत तीन से पुलिस की पूछताछ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नागरिकता रजिस्टर पंजी (एनआरसी) को लेकर बीते महीने हुए हिंसक झड़प मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुल दस मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले की जांच कर रही टीम ने शुक्रवार को ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, स्थानीय नेता आशू खान और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र चंदन कुमार को नोटिस भेज पूछताछ करने के लिए बुलाया था। पुलिस टीम ने इन सभी से चाणक्यपुरी स्थित दफ्तर में शुक्रवार को पूछताछ की। इस दौरान हिंसक झड़प के मामले में तीनों से कई सवाल पूछे गए।

पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा मामले में दो अलग–अलग नोटिस मिले हैं। आसिफ मोहम्मद ने कहा कि उन पर एक मामले में आरोप है कि वह जामिया से भीड़ को लेकर चले और इस भीड़ ने बसें जलाईं और वापस फिर जामिया आकर भीड़ ने हिंसक झड़प की। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा के दौरान जो बसें जलीं उसमें भी समन दिया गया है। आसिफ मोहम्मद ने सफाई देते हुए कहा कि वह हिंसक घटना के दौरान पौने तीन बजे से लेकर पांच बजे तक शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल थे और कई टीवी चैनल पर लाइव थे। इस दौरान जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में हुई हिंसा से कोई लेना–देना नहीं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र चंदन ने कहा कि पूछताछ के लिए अपराध शाखा की टीम ने सुबह ही बुला लिया था। कुछ घंटे बैठाए रखने के बाद टीम ने पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि घटना के समय वह कहां थे और उससे पहले वह कहां थे? चंदन ने कहा कि वह पूरी तरह से पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जामिया के स्थानीय नेता आशू खान ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 11 बजे बुलाया गया था और शाम करीब सात बजे तक पूछताछ की प्रक्रिया चलती रही। उन्हें एक फार्म भी दिया गया था, जिसे भरकर उन्होंने पुलिस को दे दिया है। उनसे कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। आशू खान का आरोप है कि एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन शाम को उन्हें छोड़ दिया गया। आशू खान का आरोप है कि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज किया गया है, जो कि सही नहीं है। वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे सहायक पुलिस आयुक्त ने और अपराध शाखा के उपायुक्त ने पूछताछ की। आशू खान को पूछताछ की प्रकिया में शामिल होना पड़ेगा।

जामिया मिल्लिया हिंसा मामला

प्रदर्शन मामले में एक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नजदीक हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने जामिया निवासी फुरकान को 27 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने गुरुवार शाम को उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया जिसमें वह कनस्तर लिए हुए दिखाई दे रहा है। फुरकान के वकील अलमदार हुसैन नकवी ने कहा कि कनस्तर खाली था और उनका मुवक्किल पानी भरने जा रहा था। पुलिस ने मामले में फुरकान से पहले 10 लोगों की गिरफ्तारी की थी।

नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहा है विरोध प्रदर्शन

शाहीन बाग : हटाया गया लंगर का तंबू

दिल्ली पुलिस ने कहा, जबरन नहीं हटाए गए तंबू
सिख समुदाय बांट रहा था खाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व अन्य के खिलाफ एक माह से बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग धरने बैठे हैं। धरनास्थल पर 12 दिनों पहले पंजाब से सिख समुदाय के 600 लोगों का जत्था आया था, जिसमें महिलाएं और पुरुष थे।

जत्थे में शामिल लोग अपने साथ राशन लेकर आए थे और खाना के लिए लंगर चलता था। लंगर का आयोजन करने वाले डीएस बिंद्रा का अरोप है कि पुलिस ने शुक्रवार को जबरन लंगर के लिए बनाए गए तंबू उखाड़वा दिए और तंबू का सामान थाने ले गई। विरोध करने पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन सभी को छोड़ दिया गया। माना जा रहा है कि शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन को हटाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि किसी के साथ कोई लंगर के आयोजनकर्ता डीएस बिंद्रा ने बताया कि करीब 12 दिन पहले पंजाब से एक जत्था शाहीन बाग लोगों को समर्थन देने के लिए आया था। 24 घंटे विरोध जताने वाले सभी समुदाय के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए तंबू लगाकर लंगर की व्यवस्था की थी। बिंद्रा ने बताया कि अब तंबू हटने के बाद कहीं खुले में लंगर लगाया जाएगा। साथ ही सिख सुमदाय दिल्ली के अन्य इलाकों खुरेजी और चांद बाग में लंगर चला रहे हैं। जल्दी ही इंद्रलोक में भी लंगर लगाया जाएगा।

जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि लोगों ने खुद ही तंबू हटाएं हैं। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। उपायुक्त का कहना है कि यदि जबरदस्ती तंबू हटाने का कोई वीडियो मौजूद हो तो पुलिस को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

अब खुले में बनेगा खाना

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that the original documents such as GPA, Agreement to Sell, Receipt etc. in Property Nos. D-71 and D-72, with roof rights, land area measuring 400 sq.yds., Mahendru Enclave, Delhi, which is executed by Sh. Ram Kishan Gupta Painter of M/s Mahendru Enclave in favour of Sh. H.K. Chaudhary S/o Late Sh. Hanuman Dass & Mr. S.K.Chaudhary S/o Shri Chog Mal, on dated 30.12.1983, is reported to be lost and lodged a FIR vide No.NWD-IN-000190 on dated 19.01.2020 in Police Station, Adarsh Nagar, Delhi, presently stands in the name of my clients **SMT. SHIPRA GUPTA** W/o Sh. Nitin Gupta and **SMT. NIRMALA GUPTA** W/o Sh. Om Dayal Gupta, R/o ND-19, First Floor, Pitampura, Delhi, if anyone found the same can lodge the same to the undersigned. **Sanjay Jindal (Advocate)**
RU-388, Pitampura, New Delhi-34
Enroll. NO. D/479/13

Public Notice

*To be known to all that my client MR.RANJEET SINGH S/o LATE BHUPINDER SINGH, R/o B-14/2 Pachim Marg, DLF PHASE-I, Gurgaon Haryana.That he has lost/misplaced property documents 1.Original allotment letter

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

आपका सहयोग महत्वपूर्ण है

अपराध व आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में

लावारिस वस्तुओं को न छुएं

कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर **1090** पर कॉल करें

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

DP/9211/2020

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

गणतंत्र दिवस 2020

Public visiting the Republic Day 2020 function at the Rajpath are requested not to bring the following prohibited items:
जनता से अनुरोध है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस 2020 के समारोह में निम्नलिखित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ में न लाएं:

Prohibited Items		प्रतिबंधित वस्तुएं	
Photo/फोटो	Particulars / विवरण	Photo/फोटो	Particulars / विवरण
	Eatables खाने-पीने की चीजें		Cigarettes, Bidies, Lighter सिगरेट, बीड़ी, लाईटर
	Bag, Briefcase थैला, ब्रीफकेस		Alcohol, Perfumes, Spray शराब, इत्र, स्प्रे
	Radio, Transistor, Tape Recorder, CD, DVD, MP3 Players रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी, एमपी3 प्लेयर		Dagger, Sword, Cutting Material, Sharp/Pointed Edged Material, Screw Drivers नुकीला हथियार, चाकू, पेंचकस
	Camera, Binocular, Handycam कैमरा, दूरबीन, हैण्डीकैम		Umbrella, Replica Fire Arms, Toy Gun or Toys छाता, आग्नेयास्त्र, खिलौना पिस्तौल और खिलौने
	Thermos Flasks, Water Bottles, Cans थर्मस, पानी की बोतल, कैन		Knives, Scissors, Razors, Blades, Wire, Pluckers चाकू, कैंची, रेज़र, ब्लेड, तार, प्लकर
	Inflammable Items, Match Boxes ज्वलनशील पदार्थ, दियासलाई		Arms & Ammunition, Fireworks, Crackers Explosive etc. हथियार और गोला बारूद, पटाखे आदि
	Various Electronic Gadgets, Devices e.g. I-Pad, I-Pod, Palm Top/Laptop, Computer, Tablets, Power Bank etc. विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे आई-पैड, आई-पोड, पाम टॉप/लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैब्लेट, पावर बैंक इत्यादि		Avoid keeping Mobile Phones, Remote Controlled Car Keys as it may delay your entry due to checking मोबाईल फोन, रिमोट कंट्रोल कार चाबी रखने से बचें क्योंकि इससे जांच के दौरान आपके प्रवेश में देरी हो सकती है।

Any unidentified object, if noticed, may be brought to the notice of the nearest Police Personnel.
यदि, कोई लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो निकटतम पुलिसकर्मी के नोटिस में लाएं।

Please co-operate with the police for searching/frisking.
कृप्या तलाशी देने में पुलिस के साथ सहयोग करें।

Please be alert to your surroundings.
कृप्या अपने आस-पास नज़र रखें।

पुलिस आयुक्त दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in
लिखें: पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

DP/9208/2020

तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 112 | **पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090**

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

यातायात निर्देशिका

गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी, 2020

परेड रूट: विजय चौक – राजपथ – 'सी'–हैक्सागॉन – तिलक मार्ग – बहादुर शाह जफर मार्ग – नेताजी सुभाष मार्ग – लाल किला

यातायात प्रतिबंध

परेड के सुचारू रूप से चलाने के लिए परेड की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर यातायात के आवागमन को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया जायेगा:–

1. राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक 25.01.2020 को शाम 6:00 बजे से परेड पूर्ण होने तक कोई यातायात नहीं ।
2. राजपथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड, तक 25.01.2020 को रात्रि 11:00 बजे से परेड के पूर्ण होने तक कोई यातायात नहीं।
3. 'सी' हैक्सागॉन – इंडिया गेट 26.01.2020 को सुबह 02:00 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार कर जाने तक कोई यातायात नहीं।
4. तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर 26.01.2020 को सुबह 05:00 बजे से यातायात दोनों दिशाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी। आर–पार के यातायात को केवल परेड के आगमन पर निर्भर करते हुए अनुमति दी जायेगी।

सड़क पर चलने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, और अपनी सुविधा के अनुसार सुबह 02:00 बजे से 12:30 बजे तक परेड के रास्ते पर जाने से बचें।

वैकल्पिक मार्ग

हालांकि, यदि यात्रा अपरिहार्य है, तो सड़क पर चलने वाले को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित मार्गों का प्रयोग करें:

उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर

- रिंग रोड–आश्रम चौक–सराय काले खाँ–आई.पी.फ्लाईओवर–राजघाट–रिंग रोड
- मदरसा से–लोधी रोड 'टी' प्वाइंट–अरबिन्दो मार्ग–एम्स चौक–रिंग रोड–धौला कुआं–वंदे मातरम मार्ग–शंकर रोड–पार्कस्ट्रीट या मंदिर मार्ग।

पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर

- रिंग रोड–भैरों रोड–मथुरा रोड–सुब्रमनियम भारती मार्ग–राजेश पायलट मार्ग–पृथ्वी राज रोड–सफदरजंग रोड–कमल अतातुर्क मार्ग–पंचशील मार्ग–सीमन बॉलिवर मार्ग–अपर रिंग रोड/वंदे मातरम मार्ग या
- रिंग रोड–आईएसबीटी–चंदगीराम अखाड़ा–माल रोड–आजाद पुर–रिंग रोड।
- रिंग रोड–भैरो रोड–मथुरा रोड–लोधी रोड–अरबिन्दो मार्ग–सफदरजंग रोड–तीन मूर्ति मार्ग– मदर टेरेसा क्रिसेन्ट–पार्क स्ट्रीट–पार्क स्ट्रीट–शंकर रोड–वंदे मातरम मार्ग।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- **दक्षिणी दिल्ली से** : धौला कुआं–वंदे मातरम मार्ग–पंचकुईयां रोड–आउटर सर्कल कनॉट प्लेस–चेम्सफोर्ड रोड पहाड़गंज साइड के लिए या अजमेरी गेट के लिए मिंटो रोड–मवभूति मार्ग।
- **पूर्वी दिल्ली से** : आईएसबीटी ब्रिज से होते हुए बुलिवार्ड रोड–रानी झाँसी रोड–आर/ए झण्डेवालान–डी.बी.गुप्ता रोड–शीला सिनेमा रोड–पहाड़गंज पुल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पंहुचे।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- **दक्षिण दिल्ली से** : रिंग रोड–आश्रम चौक–सराय काले खाँ–रिंग रोड–राजघाट–रिंग रोड–यमुना बाजार चौक–एस.पी. मुखर्जी मार्ग–छत्ता रेल–कोड़िया पुल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचें।

बसों के समापन बिन्दु

सिटी बसों का आवागमन निम्नलिखित टर्मिनल बिन्दुओं पर छोटा बनाया जायेगा:–
1. पार्क स्ट्रीट/उद्यान पार्क 2. आराम बाग रोड (पहाड़गंज) 3. आर/ए कमला मार्केट 4. दिल्ली सचिवालय (आईजी स्टेडियम) 5. प्रगति मैदान (भैरों रोड) 6. हनुमान मंदिर (यमुना बाजार) 7. मोरी गेट 8. आईएसबीटी कश्मीरी गेट 9. आईएसबीटी सराय काले खाँ 10. तीस हजारी कोर्ट

अंतर्राज्यीय बसें

1. गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम को आने वाली बसें एनएच–24, रिंग रोड से होकर भैरों रोड पर समाप्त होंगी।
2. एनएच–24 से आने वाली बसें रोड नं. 56 पर दाहिने मुड़ेंगीं और आईएसबीटी आनन्द विहार पर समाप्त होंगी।
3. गाजियाबाद की तरफ से आने वाली बसें मोहन नगर से भोपुरा चुंगी की तरफ से वजीराबाद की तरफ मोड़ दी जायेंगीं।

धौला कुआँ साइड से आने वाली सभी अंतरराज्यीय बसें धौला कुआँ पर समाप्त होंगीं।

मेट्रो सेवाएं

मेट्रो रेल सेवाएं 26 जनवरी, 2020 को सभी मेट्रो स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगीं। हालांकि, नीचे दिए गए स्टेशनों पर बोर्डिंग अनुसूची के अनुसार अनुमति नहीं दी जायेगी।

मेट्रो स्टेशन
- केन्द्रीय सचिवालय – उद्योग भवन
- लोक कल्याण मार्ग (रेस कोर्स) – पटेल चौक

चढ़ने/उतरने की अनुमति नहीं
26 जनवरी, 2020 सुबह 5:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक
26 जनवरी, 2020 सुबह 8:45 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक

भारी परिवहन वाहन/हल्के परिवहन वाहन

भारी/हल्के परिवहन वाहन दिनांक 25.01.2020 को रात्रि 10:00 बजे से परेड खत्म होने तक दिल्ली की सीमाओं से दिल्ली आने के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे।
भारी/हल्के परिवहन वाहनों का दिनांक 26.01.2020 को सुबह 07:30 बजे से दोपहर 13:30 बजे तक रिंग रोड पर आईएसबीटी सराय काले खाँ एवं आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच आना–जाना प्रतिबंधित रहेगा।

टीएसआर/टैक्सी

26.01.2020 को सुबह 07:00 बजे के बाद किसी भी टीएसआर और टैक्सी को प्रतिबंधित क्षेत्र में आने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी:–
मदर टेरेसा क्रिसेंट – बाबा खड़क सिंह मार्ग–अशोका रोड आर/ए पटेल मार्ग तक–टॉल्सटॉय मार्ग कस्तूरबा गाँधी मार्ग तक–कस्तूरबा गांधी मार्ग फिरोजशाह रोड तक–फिरोजशाह रोड आर/ए मंडी हाउस तक–भगवान दास रोड–मथुरा रोड–सुब्रमनियम भारती मार्ग–हुमायुँ रोड–एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग–कमल अतातुर्क मार्ग–कौटिल्य मार्ग और सरदार पटेल मार्ग और सरदार पटेल रोड (को छोड़कर)

आम जनता के लिए दिशा–निर्देश

किसी भी लावारिस सामान या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत ड्यूटी पर तैनात अपने नजदीकी पुलिसकर्मी को इसकी सूचना दें। 15.02.2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म जैसे पैरा–ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट, एयरक्राफ्ट, रिमोट द्वारा चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर को उड़ाने या एयरक्राफ्ट आदि से पैरा जम्पिंग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आम जनता और वाहन चालकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संयम बरतें और यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क पर अनुशासन बनाये रखें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। किसी भी असुविधा से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपनी यात्रा कि योजना बना लें।

DP/9210/2020

ट्रैफिक प्रहरी बनें | ऐप डाउनलोड करें App Store Google Play | **24 घंटे यातायात हेल्पलाइन: 011-25844444/1095** | जानकारी साझा करने के लिए कॉल करें 1090 | तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 112

www.readwhere.com

गुरुवार को शाह की रैली के बाद सिसोदिया का भाजपा को जवाब

मेरे क्षेत्र में आकर देखें स्कूल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

चुनावी दंगल शुरू होते ही आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के हमलों के बाद शुक्रवार को 'आप' के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा नेता को पटपड़गंज विधानसभा में आने का न्यौता दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि भाजपा नेता उनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो वे उन्हें नया स्कूल दिखा देंगे। उनका इशारा एक दिन पहले स्कूलों को लेकर भाजपा नेता की टिप्पणी की तरफ था। वहीं, 'आप' की चुनौती के बाद भाजपा नेता विजय गोयल ने 'आप' नेताओं को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मनीष सिसोदिया जी मैं मुस्तफाबाद में दिल्ली सरकार के एक स्कूल की हालत देखकर आया था। स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर थी। आप चाहें तो हम वहां इकट्ठे चलते हैं। इसमें मीडिया को भी साथ लेकर चलें ताकि हालत सबके सामने साफ हो जाए।

मैं मुस्तफाबाद में दिल्ली सरकार के एक स्कूल की हालत देखकर आया था। स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर थी
-विजय गोयल

गृह मंत्री के हमलों को लेकर भाजपा व 'आप' के बीच सुबह से ही वार-पलटवार चल रहा है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी की बैटरी खत्म हो गई है। उनको वाईफाई नहीं दिखा। बैटरी चार्ज कर लो आपका मोबाइल आपने आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसे स्कूल बनवाए हैं, जो भाजपा शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने न तो देखा होगा और न तो बनवाया होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा के सातों सांसदों ने कोई काम किया होता, तो गृह मंत्री जी को इस प्रकार के जुमले बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि आप सरकार के कार्यकाल में न केवल नए स्कूलों का निर्माण हुआ है, बल्कि दिल्ली के पुराने स्कूलों की भी कायापलट हुई है।

वार-पलटवार

उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अपने भाषणों में दिल्ली पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बनाते समय हमने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं और यह बदलती राजनीति का बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, परंतु दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा कहीं नजर नहीं आ रहे।

कांग्रेस ने कहा, दोनों जुमलेबाजों की पार्टी से दिल्ली को बचाना है

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

दिल्ली कांग्रेस ने शुक्रवार को एक और प्रचार गीत जारी किया, जिसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार को जुमलेबाजों की सरकार बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में बीते पांच साल में बेहाली हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार रोक दिया है। वहीं, दिल्ली के तीनों नगर निगम में लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम देश के सबसे भ्रष्ट निगम की श्रेणी में आता है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से मन बना लिया है। अब एक बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है।

सुभाष चोपड़ा का आरोप है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में मिले हुए हैं। यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नारिकता पंजी पर चुप्पी साध रखी है।

अब एक बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है
- सुभाष चोपड़ा

जामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों पर हमला हुआ। पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी। उनकी चुप्पी साफ संकेत देती है कि वह भाजपा से मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने नए कॉलेज अस्पताल खुलवाने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करती रही।

'आप' ने जनता को गुमराह किया : नड्डा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीते साढ़े चार साल तक जनता को बता रही थी कि साढ़े चार साल तक केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। लेकिन अब नारा लेकर आए हैं कि अच्छे बीते पांच साल। उन्होंने कहा कि बीते सालों में आप पार्टी ने केवल जनता को गुमराह किया है और कोई काम नहीं किया। वे पांडव नगर में भाजपा प्रत्याशी अभय वर्मा के समर्थन में मत की अपील करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आप पार्टी के विरोध के बाद भी दिल्ली में काम कर रही थी। केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पूर्वी व पश्चिमी कॉरिडोर बनाया। इसकी वजह से 60 हजार गाड़ियां दिल्ली से बाहर हुईं और प्रदूषण को कम किया।

प्रचार

'आप' सरकार पर अमित शाह का हमला जारी, कहा

दिल्ली को दस साल पीछे किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इस बार दिल्ली के चुनाव की लड़ाई वादा करके मुकर जाने वाले और वादे से ज्यादा काम करने वालों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई थी लेकिन दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया। वहीं, केंद्र सरकार ने नए कानून बनाकर दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों वालों को बड़ी राहत दी है। वे करावल नगर में भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सरकार पांच साल में दिल्ली वालों को शुद्ध पानी तक नहीं पिला पाई है।

अमित शाह ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली को ऐसी जहरीली दिल्ली दी जिसमें लोगों को मजबूर होकर मास्क पहनना पड़ा। दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के मुखिया जब निकलते हैं, तो पुराने वादों को याद नहीं करते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि आप पार्टी से पूछना कि 1000 नए स्कूल कहां गए, इस सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर गिरा दिया है। हालत यह है कि 700 से जयादा स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं हैं और स्कूलों में बच्चों के लिए विज्ञान विषय नहीं है। इसके अतिरिक्त 19 हजार शिक्षकों की कमी है और दिल्ली सरकार 30 फीसद बजट का खर्च नहीं कर पाती। इस वजह से स्कूलों का शिक्षा का स्तर गिरा है।

करावल नगर में भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट का समर्थन करने पहुंचे शाह

उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली में एक भी अस्थायी नौकरी वाले को स्थायी नौकरी नहीं दी। इस पार्टी ने वादाखिलाफी के साथ पांच साल काम चलाने का काम किया। ये पार्टी यमुना को साफ करने के वादे से आए थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली को देश का सबसे गंदा पानी पिलाने का काम किया। आप सरकार ने सबसे पहला फैसला मंत्रियों व नेताओं को सरकारी घर व गाड़ी लेने का लिया, जबकि दिल्ली के गरीब परिवारों से आयुष्मान भारत योजना व जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से दूर रखा। उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी, सरकार हटा दो तत्काल इस योजना का लाभ मिलेगा।

चुनावी दंगल की तस्वीर साफ : 70 सीटों पर 668 उम्मीदवार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

नामांकन वापसी की समयसीमा खत्म होते ही दिल्ली के चुनावी दंगल की तस्वीर शुक्रवार को साफ हो गई। इस बार दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 668 उम्मीदवार मैदान में हैं। परचा भरे दावेदारों के कथित तौर पर सहयोगी व डमी कहे जाने वाले उम्मीदवारों के मैदान से हटने के बाद अब 668 उम्मीदवार ही अंतिम लड़ाई में सामने आए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 उम्मीदवारों ने परचा वापस ले लिया। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी को प्रतिरूपी (डमी) उम्मीदवारों को शामिल कर दावेदारों की सूची साढ़े चौदह सौ को पार कर गई थी। दिल्ली में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी थी जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जनवरी है।

'शाहीन बाग आंदोलन के पीछे कांग्रेस-'आप' का हाथ'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

भाजपा नेता व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को आप नेता अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है। उससे साफ हो गया है कि शाहीन बाग आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी व कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को एक माह हो गया है और पूरे माह दिल्ली में हिंसा हुई है। उन्होंने कहा कि अब जनता को इनसे पूछना चाहिए कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

जावडेकर ने कहा कि उस समय हमने कहा था कि ये हिंसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की है। जामिया, सरिता विहार और जसोला की सड़कें बंद हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी है। दिल्ली की जनता को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि हिंसा करने वालों ने किसकी संपत्ति जलाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को भड़काने वाले को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। कांग्रेस के नेता वहां पहुंच कर गालियां दे रहे थे और उनके साथ नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि उनको कौन सी आजादी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इन लोगों की वजह से बच्चों में नफरत भर रही है।

कौन करेगा हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई : जावडेकर

'हरि नगर में शाहीन बाग नहीं बनने दूंगा'

भाजपा प्रत्याशी तजेंदरपाल सिंह बग्गा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली को शाहीन बाग बनाएंगे। मैं कहता हूं कि जब तक मैं हरि नगर विधानसभा क्षेत्र में हूं तब तक किसी की ताकत नहीं कि हरि नगर विधानसभा में कहीं पर भी शाहीन बाग बताया जा सके।

हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें बच्चा कह रहा है कि वो मोदी और अमित शाह को मार देगा। उन्होंने कहा कि नया कानून पड़ोसी राज्यों से आए लोगों को नागरिकता देगा। वे पिछले 15 से 20 साल से हमारे देश मे आकर रह रहे हैं। उनको हम अधिकार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी।

अपनी बात

देर रात तक कांग्रेस उम्मीदवार कर रहे जनसंपर्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सुबह से लेकर देर रात तक नेता लोगों से संपर्क साध रहे हैं। गांधी नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क किया।

जनसंपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने कादरी मस्जिद, शास्त्री पार्क गैस गोदाम और आसपास के इलाकों में लोगों से संपर्क साधा। साथ ही धर्मपुरा और गांधी नगर के भी कुछ इलाकों में पद यात्राएं कीं। वहीं, वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरी किशन जिंदल ने चंद्रशेखर आजाद जेजे कॉलोनी और वजीरपुर में पदयात्राएं कीं। साथ ही बड़ी मस्जिद वजीरपुर मे जनसंपर्क किया। वहीं, विश्वास नगर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने जोशी कॉलोनी और आइपी एक्सटेंशन में पदयात्रा की। बादली विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बादली में महिला चौपाल का आयोजन कर लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। विकासपुरी से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने पदयात्रा की। मटियामहल से कांग्रेस उम्मीदवार मिर्जा जावेद अली के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने किया। तो वहीं मटियाला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उम्मीदवार सुमित शौकीन ने ककरोला वार्ड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया।

गांधी नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों से मिले

वादाखिलाफी — संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने नहीं दिया विधानसभा का टिकट

शीला के नाम पर प्रचार, उनका परिवार दरकिनार

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से बनाए गए थीम गीत 'कांग्रेस वाली दिल्ली' में दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के चेहरे को चार बार दिखाया गया है। करीब ढाई मिनट के वीडियों में एक जगह जिक्र है कि 'एक दिल्ली वो थी, जिसको खुद शीला ने संवारा था'। सोशल मीडिया से लेकर अन्य सभी मंचों से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उम्मीदवार और कार्यकर्ता शीला दीक्षित के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए दिख रहे हैं। पर इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली कांग्रेस में शीला दीक्षित के विरोधी गुट इस कदर हावी दिख रहे हैं कि उनके बेटे संदीप दीक्षित हों या परिवार का कोई अन्य सदस्य को, पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया है।

यही नहीं स्टार प्रचारक की सूची में पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम तक शामिल नहीं है।

- नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित की बहन लतिका को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने की बात की गई थी पर किसी और को टिकट दिया गया
- संदीप दीक्षित लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त शीला दीक्षित को पार्टी ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया था

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई बार संदीप दीक्षित दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिखते रहे और प्रेसवार्ता में भी हिस्सा लेते दिखे। दिल्ली कांग्रेस ने बीती 27 दिसंबर को प्रेसवार्ता कर आम आदमी पार्टी की सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, विकास और कच्ची कॉलोनियों, महिला सुरक्षा समेत दस मुद्दों पर घेरा था।

खास बात यह है कि इस दिन संदीप दीक्षित ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए थे कि बीते पांच साल में स्वास्थ्य के बजट का 46 फीसद हिस्सा खर्च ही नहीं किया जा सका है। इस दिन दिल्ली कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद के बाद दीक्षित को दूसरे नंबर पर बोलने का मौका दिया था, लेकिन जब उम्मीदवरों को उतारने की बात आई तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे समेत अन्य किसी परिवार के सदस्य को टिकट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, मीडिया में यह जरूर कहा गया कि नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित की बहन लतिका को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। पर टिकट का ऐलान होने पर कांग्रेस ने एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया, जो सभी के लिए चौंकाने वाला था।

अपनों की बेरुखी

पार्टी सूत्रों का कहना है कि संदीप दीक्षित लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त शीला दीक्षित को पार्टी ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया। दिल्ली की लगतार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित तो जीत नहीं पाईं। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। दीक्षित की मृत्यु के बाद एक पत्र सार्वजनिक हुआ था, जो कि संदीप दीक्षित ने लिखा था।

पत्र में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे। माना जा रहा है कि उसके बाद से संदीप दीक्षित कांग्रेस में शीला के विरोधी गुट के निशाने पर आ गए। यही कारण है कि इस विधानसभा चुनाव में शीला के विरोधी गुट के अधिकतर लोगों को टिकट दिया गया। दिल्ली कांग्रेस भले ही शीला दीक्षित के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हो। पर उनके बेटे या फिर परिवार के किसी सदस्य को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया।

ऐ भाई...

सीमित मात्रा में निःशुल्क सेवाएं देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

सबसिडी देने को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सीमित मात्रा में निःशुल्क सेवाएं देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्योंकि इससे गरीबों के पास धन की उपलब्धता बढ़ती है जिससे मांग बढ़ती है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया है। विपक्षी दल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले निःशुल्क सेवाओं की घोषणा करने को लेकर आप पार्टी को घेर रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सीमित मात्रा में मुफ्त सेवाएं देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इससे गरीबों के पास धन की उपलब्धता बढ़ती है जिससे मांग में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसे इतनी सीमा तक किया जाना चाहिए कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाना पड़े और इससे बजट की कमी नहीं हो। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की आलोचना करते हुए इस बात पर खुशी जताई कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सीसीटीवी, स्कूल और कच्ची कॉलोनियों के मुद्दों के आधार पर वोट मांगने के लिए बाध्य किया।

वीडियो संदेश से 'आप' ने मांगे वोट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लाभ देने के बाद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की वरिष्ठ नागरिकों के नाम एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप नेता अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आप पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। इस संदेश को बुजुर्गों के नाम उनके बड़े बेटे का संदेश बताया गया है। आप पार्टी ने जिस तरह से लोगों से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पर जाने की अपील की थी। उसी प्रकार आठ फरवरी को पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। पार्टी की योजना है कि यह वीडियो सभी बुजुर्गों तक पहुंचाया जाए।

चुनाव आयोग सख्त, दलों को कारण बताओ नोटिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। अब तक पांच करोड़ 64 लाख 68 हजार नकदी जब्त की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत 292 प्राथमिकी और 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 254 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

आयोग के निर्देश पर बनी तमाम विभागों की टीम ने अब तक कुल 135 .55197 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। बिना लाइसेंस के 311 हथियार और 358 व कारतूस बरामद किए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत भी 627 दर्ज और 632 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया के तहत 71,112 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, छह जनवरी से अब तक कानून और प्रवर्तन एजंसियों ने 13,29,54,406 रुपए मूल्य की शराब, नशीले पदार्थ और कीमती धातु जब्त की है। जिसमें नकदी भी शामिल है। वाहनों के दुरुपयोग, लाउडस्पीकर संबंधी नियमों का उल्लंघन, अवैध बैठकों और मतदाताओं को लालच देना आदि के उल्लंघन के 12 अन्य मामले दर्ज किए गए हैं।

www.readwhere.com

उमंग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस परेड का पूर्ण अभ्यास करते स्कूली विद्यार्थी।

प्रबुद्ध नागरिकों की राष्ट्रपति से अपील

सीएए पर हिंसा करने वालों पर हो कार्रवाई

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

देश के 154 प्रबुद्ध नागरिकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संशोधित नागरिकता कानून एवं एनआरसी के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की।

राष्ट्रपति से अपील करले वाले इन प्रबुद्ध नागरिकों में शीर्ष सरकारी एवं संवैधानिक पदों से सेवानिवृत हुए लोग एवं बुद्धिजीवी आदि शामिल हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनकारियों को प्रश्रय दे रहे हैं और इस अशांति का बाहरी आयाम भी है।

उन्होंने हालांकि संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शन भड़काने को लेकर किसी दल या व्यक्ति का नाम नहीं दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि द्वेषपूर्ण माहौल पैदा करने के लिए कुछ संगठनों की समाज में विभाजन पैदा करने की हरकत से वह चिंतित है। उसने कहा कि यदि आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है और लोगों को असुविधा नहीं होती है, तो उसे इस आंदोलन से कोई एतराज नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और पूर्व राजनयिक समेत 72 पूर्व नौकरशाहों, 56 शीर्ष पूर्व रक्षा अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, अकादमिक विद्वानों और चिकित्सा पेशेवरों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रबुद्ध नागरिक चाहते हैं कि केंद्र पूरी गंभीरता से इस मामले पर गौर करे और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करे एवं ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे। उसमें कहा गया है कि केंद्र की नीतियों के विरोध का दावा करने वाले इन इन प्रदर्शनों की रूपरेखा वाकई भारत के तानेबाने नष्ट करने और उसकी एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली बनाई गई है। पूरे देश में डर का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, वह राजनीत से प्रेरित जान पड़ती है।

ज्ञापन में कहा गया है, 'सीएए भारतीय नागरिकों पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए नागरिकों के अधिकारों और आजादी पर खलल डालने का दावा सही नहीं ठहरता।' इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण, केरल के पूर्व मुख्य सचिव सीवी आनंद बोस, पूर्व राजदूत जीएस अय्यर, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी, आइटीबीपी के पूर्व महानिदेशक एसके कैन, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त आरएस गुप्ता, पूर्व सेना उपप्रमुख एनएस मलिक जैसी कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मामले में अपने अक्तूबर, 2019 के फैसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि 2014 में नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में दो लंबित आपराधिक मामलों का विवरण नहीं देने के कारण भाजपा नेता को मुकदमे का सामना करना होगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा– पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में मौखिक सुनवाई के आवेदन की अनुमति दी जाती है। पुनर्विचार याचिका अदालत में सूचीबद्ध की जाए। शीर्ष अदालत ने एक अक्तूबर, 2019 को अपने फैसले में बंबई हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने फडणवीस को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कथित अपराध के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलेगा।

कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर शुक्रवार को मॉडल टाउन थाने में भाजपा नेता के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इलाके के निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को मिश्रा के खिलाफ उनके भारत बनाम पाक ट्वीट के लिए एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल,कपिल मिश्रा ने गुरुवार को ट्वीट किया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। इसके जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। आम आदमी

> निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल होने वाले मिश्रा ने कहा कि आठ फरवरी को होने वाला विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इसे चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया था।

कपिल मिश्रा के इस बयान पर विपक्षी पाटियों ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत की थी। कपिल मिश्रा के इस बयान पर विपक्षी पाटियों ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा था। मिश्रा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर जवाब देने को कहा गया था।

पुलवामा मुठभेड़ : मारा गया आतंकी निकला जेईएम का 'सर्वाधिक वांछित' सदस्य

श्रीनगर, 24 जनवरी (भाषा)।

पुलवामा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई है, जो प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) संगठन से जुड़ा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

> श्रीनगर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला, दो सुरक्षाकर्मी घायल

उन्होंने बताया कि यह आतंकवादी आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर में 'अबु सैफुल्ला' और 'अबु कासिम' के नाम से सक्रिय था।

इस बीच, श्रीनगर शहर में एक पुलिस चौकी पर शुक्रवार शाम को आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)

आईआईईएसटी, शिवपुर का प्रथम भूतपूर्व छात्र सम्मेलन

विज्ञप्ति सं. आरओ/जेए/20/20 दिनांक : 24.01.2020

आईआईईएसटी, शिवपुर (पूर्व में बीई कॉलेज/बीईएसयू) का प्रथम भूतपूर्व छात्र सम्मेलन संस्थान परिसर में 1 फरवरी, 2020 को सुबह 10.00 बजे आयोजित होगा। **डॉ. वासुदेव के अत्रे**, भूतपूर्व महानिदेशक, रक्षा शोध एवं विकास संस्थान (भारत सरकार) एवं रक्षा मंत्री के भूतपूर्व वैज्ञानिक सलाहकार एवं चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ गर्वनर्स, आईआईईएसटी, शिवपुर इस अवसर को सुशोभित तथा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। **प्रोफेसर पार्थसारथी चक्रवर्ती**, निदेशक, आईआईईएसटी, शिवपुर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। संस्थान के सभी भूतपूर्व छात्रों को इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। पंजीयन औपचारिकताओं का ब्यौरा http://online.iiests.ac.in:1977/Alumni/AlumniConvention.jsp पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
मिश्र धातु निगम की (मिधानि)
में
निदेशक (वित्त)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
13th मार्च, 2020(15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करे।

भारत पर्व में देखिए
एक भारत श्रेष्ठ भारत के रंग।

भारत पर्व, भारत को अतुलनीय बनाने वाली अनेक विविधिताओं का एक प्रतिबिम्ब है। आइए, छह दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाएं और **एक भारत श्रेष्ठ भारत** के सही अर्थ को समझें।

स्थान: **लाल किला मैदान, दिल्ली**
तारीख और समय:
26 जनवरी 2020 - शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक (उद्घाटन दिवस)
27-31 जनवरी 2020 - दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक

मुख्य आकर्षण:
गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां | शिल्प मेला | बहु-व्यंजन फ़ूड कोर्ट एवं लाइव कुकरी डेमो | विभिन्न राज्यों एवं उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां | विभिन्न राज्यों के थीम पैवीलियन | सेना के तीनों अंगो के बैंड | संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनी और आयुष मंत्रालय द्वारा योग प्रदर्शन का आयोजन।

प्रवेश निःशुल्क। कृपया पहचान पत्र साथ लाएं।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार
अतुल्य!भारत Incredible!ndia
अतिथिदेवो भव Atithidevo Bhava
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
भारत पर्व

davp42101/13/0021/1920

जनसत्ता

25 जनवरी, 2020

भ्रष्टाचार का पैमाना

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर सरकार भले कितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार पर एक सौ अस्सी देशों की जो सूची जारी की है, उसमें इस बार भारत दो स्थान खिसक कर अस्सीवें स्थान पर चला गया है। पिछले साल यह अठहत्तरवें स्थान पर था। जाहिर है, भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ा है। वैसे भ्रष्टाचार के मामले में भारत की दुनिया में जो छवि बनी है, वह कोई नई बात नहीं है। देश के भीतर हो या बाहर, सरकारों और प्रशासन से लेकर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जिस कदर व्याप्त हो चुका है, उसमें इसका खात्मा सिर्फ एक कल्पना भर से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि एक चुस्त-दुरुस्त नौकरशाही और कड़े निगरानी तंत्र का दावा करने वाली सरकारें आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा पातीं! हालांकि अब ये कोई नया सवाल नहीं रह गया है। हकीकत तो यह है कि हम एक भ्रष्ट तंत्र में जीने के आदी हो गए हैं और भ्रष्टाचार को एक तरह से आत्मसात कर चुके हैं।

अगर वैश्विक संदर्भ में देखें, तो इस बात से खुश हुआ जा सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में बांग्लादेश एक सौ छियालीसवें और पाकिस्तान एक सौ बीसवें स्थान पर है। भारत के समकक्ष देशों में चीन, घाना, मोरक्को जैसे देश हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत एक तरह से विकासशील देशों का नेतृत्व करने वाला देश माना जाता है। ऐसे में अगर भ्रष्टाचार के मामले में हम मोरक्को या घाना के साथ गिने जाते हैं तो यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये छोटे अफ्रीकी देश हैं जहां जनता गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो मरहूम है ही, राजनीतिक अस्थिरता और गुटीय संघर्ष भी बर्बादी का बड़ा कारण हैं। लेकिन भारत के हालात इनसे एकदम अलग हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और परिपक्व लोकतंत्र है, दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भले आंतरिक समस्याएं हों, पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर हमारी सरकारें भ्रष्टाचार-मुक्त शासन नहीं दे पा रही हैं तो यह चिंताजनक बात है।

सवाल है कि फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, स्विटजरलैंड जैसे जो देश इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जहां भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है, जहां लोगों को काम कराने के लिए सरकार-प्रशासन को कोई घूस नहीं देनी पड़ती, उन देशों से हम क्यों नहीं कुछ सीखते। भारत में चाहे कारपोरेट घरानों की बात करें, या नगर निगम और पंचायत स्तर पर चले जाएं, भ्रष्टाचार को लेकर सब जगह एक-सी कहानी देखने-सुनने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने भले आचार संहिता बना रखी हो और खर्च सीमा तय कर रखी हो, लेकिन चुनावों में उम्मीदवारों की 'मदद' के लिए अमीर, रसूखदार और उद्योग घराने किस कदर पैसा बहाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है और यह सब निगरानी तंत्र की मौजूदगी में इस साफ-सुथरे से चलता रहता है कि पकड़ में भी नहीं आता। सरकारें अपने पसंदीदा उद्योगपतियों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने से नहीं हिचकती हैं। इसी तरह निचले स्तर पर देखें तो आम लोगों को तमाम सरकारी सेवाओं के लिए आज भी घूस देने को मजबूर होना पड़ रहा है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बिजली के बिलों को ठीक करवाने के लिए भी घूस का चलन आम है। और ये सब तब है जब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। ऐसे में भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा?

खतरे का वायरस

अमूमन हर साल दुनिया के किसी हिस्से में किसी न किसी ऐसी बीमारी के वायरस की खबर आती है, जिसके खतरे सामान्य से बहुत ज्यादा होते हैं। निश्चित रूप से यह दुनिया भर में बदलते पर्यावरण, जलवायु में होने वाले उथल-पुथल, मनुष्य और उसकी बस्तियों की जीवनशैली में असंतुलन की वजहों से होता होगा। लेकिन इतना साफ है कि ऐसे मौकों पर दुनिया भर में अब तक विकास कर सका चिकित्सा विज्ञान अक्सर लाचार नजर आता है। फिलहाल चीन में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है कि अगर इसका विस्तार नहीं रुका तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है, लेकिन अब यह चीन के कई शहरों में फैल चुका है और इसकी चपेट में करीब साढ़े आठ सौ से ज्यादा लोगों के आने की खबर है। अब तक इस वायरस से पच्चीस लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के विश्लेषण में यही सामने आया है कि यह मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता रखने वाले अन्य कोरोना वायरस की तुलना में सार्स के ज्यादा नजदीक है। करीब अठारह साल पहले सार्स के कहर से लगभग आठ सौ लोगों की मौत हो गई थी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की चुनौतियों के मद्देनजर आपात बैठक बुलाई। चीन के जिस शहर वुहान में इस वायरस का उद्गम माना जाता है, वह फिलहाल एक तरह से बंद है और वहां अस्थायी तौर पर सार्वजनिक यातायात को रोक दिया गया है। संक्रमण के मद्देनजर वहां के लोगों को शहर नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, थाइलैंड, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भी इसके संक्रमण के कुछ मामले पाए गए हैं। खासतौर पर वुहान से होकर आने वाले लोगों में इसके संक्रमण का डर सबसे ज्यादा पाया गया है। भारत चूंकि चीन का पड़ोसी है और कई स्तरों पर दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बनी रहती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहां इस मसले पर खास सावधानी बरतनी होगी। यों दिल्ली सहित सात हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की गहन जांच की जाएगी।

मुश्किल यह है कि भारतीय परिस्थितियों में आमतौर पर सर्दी-जुकाम को एक सामान्य बीमारी की तरह लिया जाता है और लोग इसे लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसी स्थितियों में लापरवाही बरतते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह लिए अपने स्तर पर दवा दुकानों से ली गई दवाइयां खा लेते हैं। ताजा चुनौती इसलिए गंभीर है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति में भी लगभग वैसे ही लक्षण देखे गए हैं, जो आम सर्दी-जुकाम में होते हैं। मसलन, सिरदर्द, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, अस्वस्थ होने का अहसास, छींकें आना आदि के अलावा निमोनिया और फेफड़ों में सूजन। अब अगर इसे देश में होने वाली आम मौसमी बीमारियों की तरह देखा जाएगा तो शायद यह कोरोना से उपजी गंभीरता की अनदेखी की तरह होगा, क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में सर्दी-जुकाम के लक्षण जरूर होते हैं, लेकिन इसका असर गंभीर हो तो जान भी जा सकती है। जाहिर है, संक्रमण की परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित करने के साथ-साथ जांच के बाद प्रभावित लोगों की अधिकतम सावधानी से इलाज ही इसका सामना करने के उपाय हैं, क्योंकि अभी तक इस वायरस को बेअसर करने कोई टीका तैयार नहीं किया गया है।

कल्पमेधा

आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंचय- यही तीन जीवन को बल व शक्ति प्रदान करते हैं।
- टेनीसन

कीटनाशकों का बढ़ता खतरा

अखिलेश आर्येंदु

देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां कीटनाशकों की गंध के कारण सारा वातावरण जहरीला बनता जा रहा है और सांस, त्वचा, दिल और दिमाग संबंधी तमाम बीमारियां आमतौर पर होने लगी हैं। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कई इलाके पर्यावरण के नजरिए से पूरी तरह खराब हो गए हैं।

ऐसा कई बार हो चुका है जब विशेषज्ञों और जांच प्रयोगशालाओं ने शीतल पेय पदार्थों में जहरीले रसायन होने की पुष्टि की है। लेकिन लगता है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने गौर नहीं किया। यदि हम ध्यान से अंग्रेजी भाषा में कोक और पेप्सी की बोतलों पर लिखे निर्देश पढ़ें, तो उसमें साफ-साफ लिखा है- इसे बच्चों और किशोरों को पीने के लिए न दें, क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। कोक, पेप्सी या अन्य दूसरे पेयों, जिसमें पानी से बने अन्य ठंडे पेय भी शामिल हैं, की बोतलों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे पेय पदार्थों की बोतलों पर भी इसी तरह के निर्देश लिखे होते हैं। क्या हम कभी उस पर गौर करते हैं? इतना ही नहीं, मैगी सहित जब कई अन्य खाद्य वस्तुओं में मानक से ज्यादा कीटनाशक होने का मामला सामने आया था, तब लोगों को पता चला कि वे एक बेहतरीन खाद्य की जगह जहरबुझे खाद्य का सेवन कर रहे थे। संवेदनहीनता की ऐसी घटनाएं शायद ही दुनिया में और कहीं देखने-सुनने में आएं। पिछले पंद्रह वर्षों में कई बार पेय पदार्थों और मैगी सहित दूसरे खाद्यों में जहरीले पदार्थों की मिलावट की बातें मीडिया में जोर-शोर से उछलीं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी चर्चा वैसे ही आम लोगों से गायब हो गई, जैसे दूसरी चर्चित घटनाएं।

ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि कीटनाशक बच्चों के दिमाग को घुन की तरह खोखला कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास पर कीटनाशकों के प्रभाव के अध्ययन में यह सामने आया कि देश के कई राज्यों में कीटनाशकों का इस्तेमाल सरकार द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। कंपनियां इनका इस्तेमाल मनमानी तरीके से कर रही हैं, जिससे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पानी और भोजन की शुद्धता के नाम पर रासायनिक जहरीले तत्त्वों की जो मात्रा इस्तेमाल की जा रही है, वह बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी बेहद नुकसानदायक है।

जैसे-जैसे वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे खाद्यान्नों के भंडार गृहों और खेतों में चूहों और अन्य कीट-पतंगों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इससे हर साल ग्यारह हजार करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद, फल और मेवे नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कीनाशकों का इस्तेमाल होता है। गौरतलब है, चूहों और कीटों की रोकथाम के लिए देशी तरीकों को अपनाकर महफूज रहा जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक 1950 में कृषि उत्पादों और अन्य उत्पादों को बचाने के लिए दो हजार टन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी खपत बढ़ कर चौरानवे हजार टन हो गई है, यानी बहत्तर सालों में परच्यानवे हजार टन कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है।

अब तो शायद ही कोई ऐसी चीज हो, जिसको सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों का उपयोग न किया जाता हो। अपवाद के रूप में जैविक खेती के उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो, पीने और खाने की हर वस्तु में कीटनाशक मिलाए जाते हैं। आज देश का सारा पर्यावरण कीटनाशकों के इस्तेमाल से जहरीला हो गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के फार्माकोलॉजी विभाग के एक अध्ययन के अनुसार घरों में मच्छर और कॉकरोच मारने के लिए छिड़के जाने वाले कीटनाशकों का चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर असर बहुत घातक असर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि घर में ही बच्चे जाने-अनजाने में कीटनाशकों की चपेट में आते जा रहे हैं। बिडंबना तो यह है कि शिक्षित घरों में भी इसके प्रति कोई खास जागरूकता नहीं है। घरों में मंहगे-चमकीले सेब, केले, आम, बैंगन, भिंडी, लौकी, नेनुआ जैसी इस्तेमाल होने वाली तमाम सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल, एक नहीं, दो-तीन स्तरीय होने लगा है। खेत में जहां इनका उपयोग फसल बढ़ाने के लिए किया जाता है, वहीं रोगों से बचाव के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्हें चमकदार बनाने के लिए फोलिडज नामक रसायन में डुबोया जाता है। सोचा जा सकता है कि इन तीन स्तरों पर कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता और जिस जमीन पर इन्हें उगाया जाता है, उन पर कितना असर पड़ता होगा? एक आंकड़े के मुताबिक 2013-14 में देश में नब्बे लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में कीटनाशक छिड़के गए थे, 2017-18 में चौरानवे लाख हेक्टेयर

जमीन में इनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बागवानी और औषधीय खेती में भी कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिससे कोई भी फल पूरी तरह जहरीले रसायनों से सुरक्षित नहीं रह गया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में टमाटर की अनेक किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। इन किस्मों में रश्मि और रूपाली प्रमुख हैं। खाने में इनका स्वाद भी अच्छा होता है। लेकिन इन पर हेल्योशिस आर्मिजरा नामक कीड़ा इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है, यह टमाटर में सुराख कर देता है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं मौजूद हैं, जिनमें रेपलीन, चैलेंजर, रोगर हाल्ट प्रमुख हैं। इनका छिड़काव कई चरणों में किया जाता है। दो साल पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के राज्यों में कपास की फसल पर सफेद मक्खियों के लाइलाज हमले का मुख्य कारण इन पर अंधाधुंध कीटनाशक छिड़के गए हैं। इससे जहां जमीन में जहर घुलता जा रहा है, वहीं जीवन, पर्यावरण, जैविक विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है।

एक शोध के मुताबिक जिन क्षेत्रों की फसलों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, वहां पिछले पचास सालों में कई वनस्पतियां और कीट-पतंगे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां कीटनाशकों की गंध के कारण सारा वातावरण जहरीला बनता जा रहा है और सांस, त्वचा, दिल और दिमाग संबंधी तमाम बीमारियां आमतौर पर होने लगी हैं। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कई इलाके पर्यावरण के नजरिए से पूरी तरह खराब हो गए हैं। देश के जानेमाने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और चिकित्सकों के अनुसार कीटनाशकों से छिड़काव किए गए टमाटर, बैंगन और सेब आदि खाने से किडनी, छाती, स्नायुतंत्र, पाचन अंग और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ने लगा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम कीटनाशकों के मकड़जाल में किस तरह फंसते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि विज्ञापनों के मकड़जाल में किसान और उद्योगजगत ही नहीं, उन परिवारों के लोग भी हैं जो स्वयं को तो वैज्ञानिक सोच का कहते हैं, लेकिन जब पानी और आहार की शुद्धता की बात आती है, तो वे इस पर समझौता कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में कितने ऐसे लोग हैं जो शीतल पेय, बोतलबंद पानी, बोतलबंद दूध, फलों के रस और अन्य तरह की वस्तुओं के पैक पर लिखे निर्देश को पूरी तरह पढ़ते हैं और पढ़कर उसे अमल में भी लाते हैं। आज तो स्थिति यह हो गई है कि परिवार के परिवार कीटनाशकों के असर के कारण कई गम्भीर बीमारियों के चपेट में आ गए हैं।

अब समस्या यह है कि यदि कीटनाशकों का इस्तेमाल न करें तो फसलों और फलों के उत्पादन पर फर्क पड़ता है और यदि करें तो कई समस्याए व रोग बढ़ रहे हैं। फिर बीच का रास्ता क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार देश में इसका समाधान जैविक खेती और जैविक बागवानी है। लेकिन इसे पूरे देश को अपनाने की जरूरत है। जब तक देशभर में जैविक खेती की वरीयता नहीं दी जाएगी, तब तक कीटनाशकों से होने वाली समस्याओं से निजात नहीं पाई जा सकती।

एकाकीपन का दंश

चंदन कुमार चौधरी

दुनिया मेरे आगे

कुछ साल पहले एक घटना की खबर सुर्खियों में थी जब एक बुजुर्ग महिला काफी समय तक अपने कमरे में मृत पड़ी रहीं और जब लोगों को पता चला, तब उनका सिर्फ कंकाल बचा था। तब लगा था कि कम से कम अब बहुत सारे लोग इस घटना से सबक लेंगे। लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो निराशा होती है। मुझे दिल्ली में उस पॉश कॉलोनी के एक फ्लैट में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वहां मेरी किसी से ठीक से जान-पहचान नहीं हुई थी और न ही किसी से औपचारिक अभिवादन का रिश्ता शुरू हो पाया था। एक दिन मैंने सामने वाले फ्लैट के बाहर तीन-चार महिला-पुरुषों को घर की घंटी बजाते देखा। कई बार घंटी बजाने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो वे लोग आवाज देने लगे। इसके बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई तो उन लोगों ने जोर-जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया।

मुझे यह घटना कुछ असामान्य और असहज करने वाला लग रही थी। ऐसे में मैं नहीं चाहते हुए भी वहां पहुंच गया। वहां रहते हुए कुछ दिन हो गए थे, इसलिए दरवाजे के पास खड़ी महिलाएं और पुरुष मुझे चेहरे से जानने लगे थे और उन्हें पता था कि मैं उनका नया पड़ोसी हूं। मुझे देखते ही वे मुस्कराए और फिर खुद ही बोलने लगे- 'देखिए न, इस घर में रहने वाली आंटी जी दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं। तीन-चार दिन हो गए इन्हें देखे हुए। यों तो घर में ही रहती हैं लेकिन दिन में एक-आध बार तो दिख ही जाती हैं। अब तो कई दिन हो गए।' जिज्ञासावश मैंने पूछा कि क्या आंटी जी यहां अकेली रहती हैं... क्या उनके साथ कोई और नहीं रहता है?' जवाब मिला- 'नहीं।'

मैं सोचने लगा कि एक अकेली बुजुर्ग महिला यहां कैसे अपना जीवन व्यतीत करती होंगी। उनकी घरेलू सहायिका भी पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर थी। क्या बेचारी को अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ता होगा? एक तो समाज में अकेली महिलाओं के लिए ही वैसे ही जीवन की राहें बहुत मुश्किल होती हैं और अगर वह बुजुर्ग हों तो जिंदगी पहाड़ जैसी लगने लगती है। बुजुर्ग लोगों को उम्र से जुड़ी बीमारियां भी होती रहती हैं। शायद आंटी जी भी इससे अछूती नहीं होंगी और वे भी बीमारियों से पीड़ित रही होंगी।

मैं जब यह सब सोच रहा था तो उस समय दरवाजा खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जब दरवाजा नहीं खुल पाया तो सब लोगों ने मिल कर दरवाजा तोड़ दिया। फिर जब सब घर के भीतर गए तो मैं भी साथ चला गया। कमरे के अंदर का जो दृश्य था, उसे देख कर सब लोग सन्न रह गए। आंटी जी बिस्तर पर लेटी हुई थीं और उनकी सांसें पता नहीं कब की बंद हो चुकी थीं। सब लोग अफसोस करने लगे। लेकिन यहां एक खास बात यह थी कि यहां रोने-धोने वाला या बुजुर्ग महिला की मौत पर विलाप करने वाला कोई नहीं था। यहां मौजूद लोग बुजुर्ग महिला की पड़ोसी, जान-पहचान के तो जरूर थे, लेकिन इन लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जो उनका रिश्तेदार या परिवार का सदस्य हो या जिसे अपना कहा जाए।

पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी फोन कर आंटी जी की पोती को दिया जो मुंबई में रहती थीं। शाम तक वे विमान से वहां आ गईं। आंटीजी का बेटा-बहू और बेटी-जमाता का परिवार विदेश में रहते थे और वे लोग भी जल्दी ही वहां आ गए। साथ ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों की एक बड़ी टोली भी। अब दाह संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार रोने-धोने और विलाप करने लगे। पता लगा कि आंटी जी अपने परिवार के साथ विदेश नहीं गई थीं। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहा और वे यहां अकेली रह गईं थीं।

मैं सोचता रहा कि आज की तारीख में कौन अपना है और कौन पराया! ऐसे लोग जो सुख-दुख के समय पर साथ हों या वे जो कहने के लिए तो अपने हैं, लेकिन रहते हैं बहुत दूर। बेटा-बहू और परिवार का कोई सदस्य कभी-कभार फोन कर बुजुर्ग आंटी की खोज-खबर ले लेते होंगे तो क्या इससे उनके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या आंटी जी अपने परिवार का सान्निध्य नहीं चाहती होंगी? क्या उनके बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता था। अगर पड़ोसी आंटी जी की खोज-खबर नहीं रखते तो शायद उनके बच्चों को उनकी मौत की सूचना भी कई दिनों के बाद ही मिलती। किसी मुजरिम को समाज से अलग रखने के लिए उसे जेल में रखा जाता है। क्या उस बुजुर्ग महिला की तरह और भी ऐसे बहुत सारे लोग परोक्ष जेल में कैद नहीं हैं? भरा-पूरा परिवार होने के बाद एकाकी जीवन व्यतीत करते बुजुर्ग माता-पिता के प्रति बच्चों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आधुनिक जीवन की तलाश में हम लोग संवेदना और अपनी जड़ों से कितने कट गए हैं!

हमारा गणतंत्र

शौर्य संस्कृति का पर्व गणतंत्र है,
सैन्य पराक्रम का सौंदर्य गणतंत्र है।
सैनिक बलों का उत्साह वर्धन है,
ये लोकतंत्र का त्योहार गणतंत्र है।
जनता ने जो जनता को सौंपा,
ऐसा कोई उपहार गणतंत्र है।
संविधान जिसका नाम पड़ा हो,
ऐसा पवित्र ग्रंथ गणतंत्र है।
जनमानस कि अभिलाषा है ,
भारतवर्ष का प्राण गणतंत्र है।
सबके हित की रक्षा करता,
ऐसा कोई कवच गणतंत्र है।
वर्ष दर वर्ष जो दृढ़ होता है,
प्रतिज्ञा का परण गणतंत्र है।
छाया में जिसकी देश है पूरा,
ऐसा कोई वृक्ष गणतंत्र है।

● *डॉ राज सिंह, दिल्ली*

कानून के बरक्स

सीएए, एनआरसी या एनपीआर को लेकर पूरा देश आंदोलित है। एक तरफ इसके विरोध में जगह जगह महिलाएं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी ओर सरकार की ओर से भी मंत्रियों से लेकर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि लोगों का भरोसा अब सरकार या नेताओं के वायदे पर क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल नोटबंदी और धारा 370 के लागू होने के बाद कश्मीर के जो हालात बने और लोगों को गुमराह किया जाता रहा, इससे लगातार लोगों का विश्वास सरकार और उसके नुमाइंदे के कथनों से उठता गया है। सरकार के इस कानून से कुछ सवाल लोगों के मन में उठ रहे है। आधार कार्ड इसीलिए बनवाया गया कि सभी भारतीय लोगों की एक पहचान होनी चाहिए। हालांकि इसका विरोध भी शुरुआती दौर में भाजपा के द्वारा किया गया, जब वह विपक्ष में थी। लेकिन बाद में आधार कार्ड बनने से एक पहचान पत्र तो मिला भारतीयता का! अब आज फिर हमें भारतीय होने का प्रमाण पत्र चाहिए, समझ से परे है।

दूसरी बात, असम में एनआरसी आने के बाद की स्थिति पर गौर करें तो एक राज्य में एनआरसी के लिए छह साल लगे। करीब 52 हजार कर्मचारी और आठ सौ करोड़ रुपए खर्च हुए। बावजूद इसके उन्नीस लाख लोगों को इस सूची से बाहर होना पड़ा। हो सकता है कि आंकड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक राज्य मे इतनी पेचीदगी है तो पूरे देश में क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मान लिया कि पूरे देश में एनआरसी, एनपीआर लागू करने के बाद एक अनुमान के तौर पर लगभग दो-तीन करोड़ लोगों को शरणार्थी मान लिया जाए। लेकिन सरकार के पास इन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है कि उसे कैसे और क्या करना है! अगर है तो इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। असम की आबादी तीन करोड़ के आसपास है। ऐसे में इन लोगों के लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना जैसी स्थिति लगती है।

तीसरा तथ्य यह है कि जिस देश में आधार, पासपोर्ट सहित महत्त्वपूर्ण कागजात अधिकारियों को घूस देकर बनाए जा सकते हैं, क्या यह आशंका नही कि पहुंच वाले, पैसे वाले और रसूखदार लोगों द्वारा ऐसे भ्रष्ट तरीके से कोई भी प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं? ऐसे में गरीब और बेसहारा, आदिवासी, गांव में रहने वाले लोग ज्यादा परेशान किए जाएंगे। फिर लोग महीनों कतार में खड़े होकर अपनी नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान रहेंगे। पैसे वाले और रसूख वाले को वैसे ही समय कट जाएगा जैसे नोटबंदी में कट गया था। इन बिंदुओं पर विचार किए बगैर ऐसे कानून से आम लोगों को कोई फायदा हमें नहीं लगता।

● *अशोक कुमार, बेगूसराय, बिहार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जंगल की आग

आस्ट्रेलिया सहित कई देशों के जंगलों में लगी आग सिरदर्द बनी हुई है। यह भीषण आग पेड़ पौधों, वनस्पतियों के साथ-साथ वन्यजीव जंतु के जीवन को लील चुकी है। लाख प्रयास के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ विज्ञान के आविष्कार ने ऐसे ऐसे तकनीकी विकास किए हैं और हथियार बनाए हैं कि समूची दुनिया को पल भर में नष्ट कर दें। वहीं विज्ञान ऐसी तकनीकी विकसित नहीं कर पाया है जो जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा सके! क्या जंगलों में लगी आग नहीं बुझने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञान व उसकी प्रगति की जगजाहिर पराजय है!

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, उज्जैन*

विचित्र दृष्टि

बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय लोगों को उनके खाने के तरीके से बता देते हैं कि वह किस देश से आया है या कहें कि किस देश का है। विजयवर्गीय के घर पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। उन्हीं में से किसी एक मजदूर के पोहे खाने के तरीके पर विजयवर्गीय ने उसे बांग्लादेशी ठहरा दिया। अजीब है, लगता है भाजपा के नेताओं के पास अलग ही किस्म की दृष्टि है। इससे पहले ऐसी भी बात सामने आ चुकी है कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे में जीने वाले लोगों के पास कौन-से अधिकार बचे हुए हैं?

● *आदेश दुबे, इंदौर, मध्यप्रदेश*

www.readwhere.com

चाबुक का असर

अनिल विज की गलतफहमी दूर हो गई। आलाकमान ने दिल्ली बुला कर समझाने के नाम पर ऐसी क्लास लगाई कि अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगे समर्पण करने को मजबूर हो गए बेचारे। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के मन में यह अफसोस स्थाई तौर पर बसा है कि वे पांच बार के विजेता विधायक हैं जबकि मनोहर लाल खट्टर केवल दूसरी बार विधानसभा आए हैं। पिछली सरकार में भी विज को मनचाही हैसियत नहीं मिल पाई थी। इस बार किस्मत ने साथ दिया और बाकी सारे मंत्री हार गए। लिहाजा उनके हिस्से के मंत्रालयों की संख्या तो बढ़ी ही, ज्यादा महत्वपूर्ण भी आ गए हिस्से में। पिछली बार मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। पर खट्टर ने उनके दांत खट्टे कर दिए। इस बार बेचारे उपमुख्यमंत्री पद की हसरत पाल बैठे थे। जजपा के दुष्यंत चौटाला को तो यह पद मिल गया पर विज से पार्टी आलाकमान ने दो टूक इनकार कर दिया। इस बार झगड़ा सीआईडी को लेकर बढ़ा। विज को मिले गृहमंत्रालय से मुख्यमंत्री ने सीआईडी हटा कर अपने पास रख लिया। विज को यह फैसला अपनी हैसियत में कटौती नजर आया। सो, खुलेआम सीआईडी प्रमुख की आलोचना कर मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की सिफारिश भी कर डाली। मामला तूल पकड़ा तो आलाकमान ने खट्टर और विज दोनों को इस हफ्ते दिल्ली तलब कर लिया। आलाकमान ने ऐसी क्लास ली कि बेचारे दुम दबाकर चंडीगढ़ लौट गए। सफाई दी कि नए अध्यक्ष को बधाई देने गए थे विवाद निपटाने नहीं।

बेबाक बोल

भाजपा अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को वह विरासत मिली है जिसे कई बार आधुनिक चाणक्य की उपमा दी गई। शाह के छह साल के कार्यकाल में भाजपा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ बंगाल के अभेद्य किले को तोड़ सकी। संगठनात्मक स्तर पर बूथ प्रमुख से लेकर जिला स्तर पर पार्टी दफ्तर खोले गए और दावा है कि आज भाजपा के 18 करोड़ सदस्य हैं। अब जो भी भाजपा की कमान संभालेगा उसके काम का पैमाना अमित शाह ही होंगे। फिलहाल नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन क्षेत्रों से है जहां चुनावों में पार्टी को कड़ा संदेश मिला। उन्हें हिंदी पट्टी में संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान देना होगा। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध एक ऐसा साझा मंच बन गया है जहां बेरोजगारी पर चर्चा से लेकर कश्मीरी पंडितों के असंतोष की पंजिका भी तैयार हो रही है। पूर्ण बहुमत वाले पांच साल का मधुमास बीतने के बाद दूसरी बार पहले ही छह महीने में सरकार को मिले कड़े संदेशों के बीच नए भाजपा अध्यक्ष की चुनौतियों पर बेबाक बोल।

शाही पैमाना

मुकेश भारद्वाज

'अमित शाह जी ने अपने संबोधन में कहा है कि अभी भाजपा का उत्कर्ष पर पहुंचना बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अभी पार्टी को बहुत आगे ले जाना है। हम भाजपा को उत्कर्ष की स्थिति में ले जाएंगे। हम सिर्फ नीतियों में अलग नहीं हैं, उनके नतीजे भी अलग हैं, यह समझना चाहिए। मेरी राजनीति में कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही। हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव से आकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यह सिर्फ भाजपा में संभव है'।

भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले भाषण में जयप्रकाश नड्डा ने अपनी चुनौतियां सामने रख दी हैं। नड्डा की पहली चुनौती वही हैं जिनके वे उत्तराधिकारी बने। अमित शाह, 2014 के बाद यह नाम भारतीय राजनीति में 'चाणक्य' के नाम से जाना जाने लगा। आज दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ पहुंच चुकी है। यह बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय राजनीति के इतिहास में आजादी के बाद किसी भी पार्टी का संगठनात्मक हिस्सा इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा था। जिस कांग्रेस को 70 साल का ताना मारा जाता रहा है उसने अपने संगठन पर ध्यान देना कब का छोड़ दिया था और उसका नतीजा आज सबके सामने हैं। अठारह करोड़ वह संख्या है जो ग्लोब पर बहुत से देशों की कुल जनसंख्या है। इस संख्या के साथ नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का भविष्य रचना है जो अभी स्वर्णकाल में है। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णकाल कई तरह की विडंबनाओं को दर्ज किए हुए है। स्वर्णकाल को चरम स्थिति माना जाता है। चुनौती यह होती है कि एक बार अर्श पर पहुंचने के बाद आप फर्श को कैसे देख रहे हैं। तीन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भाजपा को फर्श पर देखने की सख्त जरूरत थी।

अमित शाह ने अपने नेतृत्व में नई भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। जब अमित शाह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गुजरते थे तो लोग सवाल उठाते थे कि क्या गुजरात से आए इस नेता को हिंदी पट्टी की समझ होगी? इस सवाल का जवाब नतीजों के रूप में बोला कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को 312 सीटें मिलीं जो प्रदेश के चालीस साल के इतिहास में अनोखा था।

उत्तर प्रदेश के बाद अमित शाह भाजपा को पश्चिम बंगाल तक पहुंचाने में कामयाब हुए और वहां 18 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराया। वाम के लाल किले को ढहाने वालीं ममता बनर्जी के मजबूत किले को तोड़ना बहुत आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल की राजनीति सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मायनों में अहमियत रखती है। यह वह मिट्टी है जहां सबसे पहले नवजागरण आया था और यह अपनी खास सांस्कृतिक व राजनीतिक पहचान के साथ जाना जाता है। जय श्रीराम के नारे वाली पार्टी को मां, माटी और मानुष वाले राज्य में स्थापित करना शाह के कंधों पर एक चमकता सितारा तो है ही। बंगाल में भाजपा को स्थापित करने के साथ ही शाह ने वामपंथी राज के लाल गढ़ त्रिपुरा में भी भगवा झंडा लहरा दिया। अपने नेतृत्व में क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ तालमेल बिठा कर 21 राज्यों तक में भाजपा की भागीदारी लाने वाले शाह का ताज जब नड्डा के सिर पर आया है

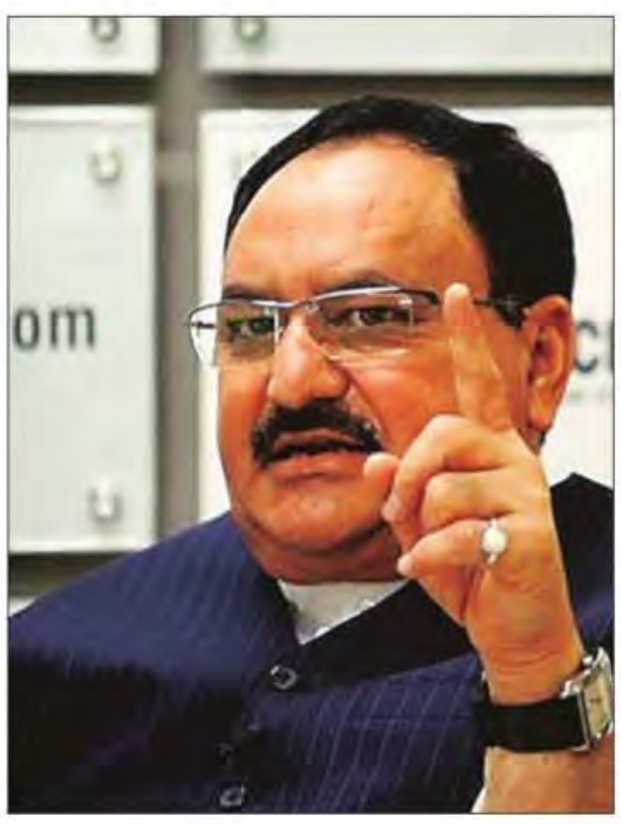

तो यह चुनौती अब और कड़ी हो चुकी है।

भारत जैसे विशालकाय बहुलतावादी देश के 21 राज्यों में शासन की भागीदारी हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन अब सबसे मुश्किल है इस जलवे को बरकरार रखना। शाह ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया वह भाजपा के खाते में अहम अध्याय है। बूथ स्तरों पर काम करना, जिला स्तर पर पार्टी का दफ्तर खुलवाना, सांगठनिक ढांचे को लेकर पूरे देश की यात्रा कर कार्यकर्ताओं से मिलना। शाह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना सिखाया। इसका असर हुआ कि स्थानीय चुनावों को भी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह लड़ा जाने लगा। चुनाव के बाद नतीजे जो आएं लेकिन चुनाव के पहले भाजपा के उम्मीदवार व कार्यकर्ता जीत व सिर्फ जीत के लिए लड़ते दिखने लगे। बहुत बार तो जनता ने इनकी नीति नहीं नीयत देख कर वोट दिया कि ये वोट मांग रहे हैं, जीतना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। पांच सालों के अंदर भाजपा में ऐसे चुनावी लड़ाके तैयार हुए जिसे राजनीति की भाषा में काडर बोलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े काडर वाली पार्टी है।

अब भाजपा की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई है जो उस कथित गुजरात मॉडल के घेरे से बाहर का है जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। सांगठिनक स्तर पर हिंदी पट्टी की उपेक्षा की बात हो रही थी और अब लग रहा है कि पार्टी इस ओर पूरी तरह तवज्जो देना चाहती है। बृहत हिंदी पट्टी को सांगठनिक ढांचे में लाए बिना भाजपा अपनी चमक बरकरार नहीं रख सकती है। आगे आने वाले समय में रोजी-रोटी के मुद्दों से लेकर राजनीतिक फैसलों से भी कड़ी चुनौती यहीं से मिलने वाली है।

केंद्र में सत्ता का भाजपा का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड से पार्टी को कड़े संदेश मिले। पिछले लंबे समय से भाजपा ने मजबूत राजनीतिक फैसले कर जो उग्र राजनीति शुरू की है उसका बचाव करते हुए अब उसे आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना है। वैश्विक मंदी का बहाना काम नहीं आने वाला है। भाजपा के दावा किए जा रहे 18 करोड़ सदस्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, और जैसा कि कहा जा रहा है कि यह किसी देश की जनसंख्या के बराबर है तो अपनों के बीच भी यह कितनी बड़ी चुनौती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

अभी पार्टी और सरकार पर चारों तरफ से दबाव है। सरकार का पूरा ध्यान एनआरसी और सीएए को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन पर है। पांच साल के शासन के बाद मधुमास का समय बीत चुका है और भाजपा की बहार का मौसम शहर-शहर गांव-गांव में बन उठे शाहीन बाग में पतझड़ की याद दिला रहा है। नागरिकता संशोधन कानून पर उठे विरोध ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसे मजबूत फैसलों को नेपथ्य में भेज दिया है। नागरिकता कानून संशोधन एक ऐसा फोल्डर बन गया है जिसमें नागरिक असंतोष की सभी फाइल एक साथ जमा हो रही हैं। बेरोजगारी पर चर्चा से लेकर कश्मीरी पंडितों के असंतोष की पंजिका तैयार हो रही है।

नड्डा की पृष्ठभूमि संघ की रही है और उन्हें जमीन से जुड़ा व्यक्ति माना जाता है। उनके जरिए संघ भी अपने सांगठनिक ढांचे की कदमताल भाजपा के साथ करने की कोशिश करेगा। संघ और भाजपा की साझा समझ और शक्ति ही है जो आज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है।

वाम और दक्षिण दोनों दलों की खासियत है कि इसमें व्यक्ति से ज्यादा अहमियत संगठन की होती है। संगठन ही केंद्र में होता है। लगातार एक व्यक्ति, एक पद को संभालता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान संगठन को होता है। अच्छी बात है कि गृह मंत्री ने एक व्यक्ति एक पद का ध्यान रखा। जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद के चयन के बहाने एक पार्टी के तौर पर भाजपा का लोकतांत्रिक चेहरा सामने आया है। खास कर जब मुख्य विपक्षी कांग्रेस से लेकर कई क्षेत्रीय दलों में पार्टी अध्यक्ष पद पर भी वंशवाद और भाई-भतीजावाद हावी है तो भाजपा के नए अध्यक्ष नड्डा अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। जब नड्डा कहते हैं कि यह भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव हो सकता था कि मैं अध्यक्ष पद पर पहुंचा तो इसके अपने मायने हैं।

भाजपा को नड्डा के रूप में एक साफ छवि का अनुभवी चेहरा मिला है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदों भरे सफर को इनकी अगुआई में कैसे जारी रखेगी यह देखना होगा। लेकिन यह तय है कि आगे आने वाली चुनौतियां कितनी भी अलग हों लेकिन उनके काम को शाही पैमाने से ही नापा जाएगा।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

जनहितकारी राजनीति

भ्रष्टाचार के खिलाफ अण्णा आंदोलन के सपनों को साकार करने हेतु लोकतंत्र में राजनीति के सिवा कौन-सा पथ हो सकता है? पिछले विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत से विजयी रही केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का पुनः दिल्ली की सत्ता में लौटना आश्चर्यजनक नहीं होगा। नकारात्मकता से कांग्रेस का हाशिए पर हो जाना कर्मों का फल है। केंद्र में मजबूत भारत हेतु भाजपा का निर्वाचन व राज्य हेतु कर्मठ दल का चुनाव मतदाता की संवैधानिक स्वायत्तता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक मुद्दे हैं, जबकि भारत के शेष दल गरीबी के खिलाफ अजब-गजब शस्त्रों से नूरा कुश्ती लड़ते हुए बूढ़े हो गए हैं।

- अरविंद पुरोहित, डी-42 अलकापुरी, रतलाम।

पर्यावरण पर पर्याप्त नहीं

पर्यावरण संकट और ट्रैफिक संचालन अब भी दिल्ली में 'जान का जंजाल' बना हुआ है। इसे लेकर राज्य सरकार ने अभी तक अस्थाई रास्ता ही चुनने का काम किया है। जबकि पर्यावरण व यातायात का सीधा संबंध आम नागरिकों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अब जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तो स्थानीय आवश्यक मुद्दों से भटक कर राजनीतिक दल राजनीति को उछालने में लगा हुआ है। अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

राजनीतिक तौर पर जागरूकता

अब समय बहुत बदल चुका है। हमारे देश की राजनीति कुछ गलत लोगों के कारण बहुत बदनाम हो चुकी है और राजनीति में भ्रष्टाचार भी बहुत जोर पकड़ चुका है। इसलिए जनता को यह परख लेना चाहिए कि जिसे वो अपना वोट देने जा रही है उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप तो नहीं है, या अन्य किसी तरह का दागी राजनेता तो नहीं है। एक गलत वोट का प्रयोग पांच सालों तक पछतावा ही देता है और कुछ नहीं।

-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

दर्पण झूठ न बोले

दिल्लीनामा-2020 का आशय कटु सच है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर अब प्रांतीय चुनाव का कुरुक्षेत्र जीता नहीं जा सकता। पांच साल के अंतिम कालखंड में केजरीवाल ने मोदी विरोध की धार को समन्वयवादी की भूमिका में बदलते हुए दिल्ली में बिजली, पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के लिए मुफ्त में बस की सुविधाओं पर ध्यान दिया वह शायद सत्ता समर में संजीवनी का काम कर सकता है। केजरीवाल को एहसास हो गया है कि विवादास्पद मसलों पर उन्हें अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने से क्षणिक लाभ की परिधि में आनुपातिक नुकसान हो चुका है। दिल्ली का चुनाव भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला में एक लिटमस टेस्ट के रूप में होगा। पांच राज्यों में भाजपा की हार ने उसे केजरीवाल के प्रति नरम तो किया ही है लेकिन जब परिणामों के आंकड़े यदि मिलजुलकर सरकार बनाने की अनिवार्य परिस्थिति पैदा कर दें तो स्वाभाविक है कि नरमी और गरमी के चूल्हे पर सत्ता स्वाद की खिचड़ी अभी से पकनी शुरू हो जाए।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

जनता का जवाब

झारखंड की जनता ने मंदिर बनाने, आभासी कथित राष्ट्रवाद और नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के मुद्दे को अपनी असहमति दिखाकर खुद को अजेय मान लेने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य का दर्जा मिले बगैर ही मुफ्त पानी, बिजली, डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, जनता थाली मुहैया करवाने वाले केजरीवाल को ज्यादा तरजीह दे रही है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

राजपाट

राम भरोसे

गृह मंत्री नागरिकता संशोधन कानून पर रैली को संबोधित करने लखनऊ गए थे। पर भीड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी। मंच पर मौजूद उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रणाम किया तो जवाब नहीं दिया। मौर्य भी ठान कर आए थे कि अनदेखी नहीं होने देंगे। सो, लगातार और बार-बार अपनी पार्टी के सरताज के आगे शीश नवाते गए। आठवीं बार कोशिश सफल हुई और प्रणाम स्वीकार किया गया। मौर्य पिछड़ी जाति के हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त वे पार्टी के सूबेदार थे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। पर बाजी मार ले गए योगी आदित्यनाथ। दोनों में तभी से ज्यादा पटती नहीं। चर्चा है कि योगी ने उनकी चुगली की थी। बीच में खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री ने पीडब्लूडी के कामकाज की जांच के आदेश दिए हैं। इससे भी केशव मौर्य भन्ना गए थे। आखिर इस महकमे के मंत्री तो वही ठहरे। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर विश्लेषक अप्रिय टिप्पणियां करते रहे हैं। मसलन मुख्यमंत्री प्रशासनिक कामकाज को खास वरीयता नहीं देते। अगर देते होते तो सूबे में पांच महीने से मुख्य सचिव की तदर्थ व्यवस्था क्यों चलती। गौतम बुद्धनगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की भी आइएएस संवर्ग में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अपर महानिदेशक स्तर के दो आला अफसरों से एसएसपी वाला काम लेना लोगों को हैरान कर रहा है। वैभव कृष्ण प्रकरण से भी सूबे के पुलिस अफसरों की गुटबाजी का डरावना चेहरा उजागर हुआ था। पुलिस महानिदेशक को लेकर भी खासा विवाद छिड़ा है। मौजूदा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को योगी का चहेता माना जाता है। तभी उन्हें तीन महीने का सेवाविस्तार दिलाने की चर्चा चली थी। वे 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। सेवा विस्तार केंद्र की मंजूरी से दी जा सकती है। पर ओपी सिंह इस लालच में नहीं पड़े। चर्चा है कि वे तीन महीने के सेवा विस्तार के बजाए लंबी अवधि का मलाईदार ओहदा पाने की जुगत में हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी की कुर्सी पर भी निगाह बताई जा रही है उनकी। जिनका कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। इसलिए योगी सरकार ने नए डीजीपी के लिए सात नामों की सूची संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजी है। नियम ही ऐसा है। यह बात अलग है कि नए डीजीपी के लिए केंद्र की सेवा में लगे डीएस चौहान के नाम की चर्चा है। बहरहाल सात नामों में दो 1988 और तीन 1987 बैच के हैं। इससे खफा जवाहर लाल त्रिपाठी ने हाई कोर्ट की शरण ली है। उनकी शिकायत वाजिब भी है। वे 1986 बैच के और बेदाग छवि के पुलिस अफसर हैं। योगी सरकार ने उन्हें डीजी सिविल डिफेंस बना कर खुड्डेलाइन कर रखा है। त्रिपाठी चाहते हैं कि हाई कोर्ट सूबे की सरकार को उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज नहीं करने की हिदायत दे।

चला-चली की बेला

नौकरशाही की छटपटाहट देखनी हो तो इन दिनों राजस्थान सामने है। अशोक गहलोत की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद भी यों तबादले थोक में किए थे। पर भाजपा राज में खुड्डेलाइन रहने वालों की तसल्ली नहीं हो पाई थी। पुलिस और प्रशासन दोनों ही जगह अफसरों की अदला-बदली फिर होने वाली है। दरअसल पिछले बदलाव में गहलोत ने वसुंधरा राज के कई आला अफसरों को अहम ओहदों पर ही बनाए रखा था। नया साल शुरू हुआ तो अफसरों की नियमानुसार तरक्की हो गई। बेशक अभी तक बढ़ी हैसियत के हिसाब से उन्हें पद नहीं मिल पाए हैं। वसुंधरा सरकार में अहम पदों पर रहे कई आला अफसर डेपुटेशन पर केंद्र सरकार की सेवा में भी जा चुके हैं। मसलन वसुंधरा के निजी सचिव रहे तन्मय कुमार को ही लें। नौकरशाही उनके इशारों पर नाचती थी। आखिर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। लेकिन अब वे केंद्र में ऊर्जा मंत्रालय में तैनाती पा गए हैं। सो, राज्य सरकार ने उन्हें कार्य मुक्त भी करने में देर नहीं लगाई। संजय मल्होत्रा और आलोक कुमार भी केंद्र सरकार की सेवा में जा चुके हैं। जाहिर है कि अब गहलोत को इन अफसरों की जगह नई तैनातियां करनी होंगी। आइएएस ही नहीं बदलाव आइपीएस और आरएएस अफसरों में भी होना है। पीके सिंह सूबे की पुलिस में अहम पद पर थे। अब वे केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक बन गए हैं। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उनकी कार्य क्षमता से प्रभावित रहे हैं। एक और वजह भी है कि वे यूपी के हैं और उनके पिता यूपी में पुलिस महानिदेशक रहे हैं। तबादलों की चाह के चलते ज्यादातर अफसर मौजूदा पदों पर कामकाज में खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। नतीजतन नौकरशाही ठहराव के दौर से गुजर रही है। सरकार को भी अभी इस तरफ ध्यान देने का ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा। वजह है केंद्र का नागरिकता संशोधन कानून। पार्टी की रणनीति पर चलते हुए अशोक गहलोत की सरकार इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही है। पर अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आला अफसरों के तबादलों की सूची जारी होने में।

निहितार्थ शिष्टाचार के

हरीश रावत को उत्तराखंड के उनके विरोधी कांग्रेसी नेता भी समझ नहीं पा रहे। वे भाजपा ही नहीं कांग्रेसियों के लिए भी पहेली बने हैं। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी टीम में महासचिव तो बनाया ही था असम जैसे राज्य का प्रभार भी सौंपा था। मकसद यही रहा होगा कि वे सूबे की सियासत से खुद को अलग करेंगे। जिससे वहां पनपी गुटबाजी पर अंकुश लग पाएगा। लेकिन रावत से सूबे की सियासत का मोह छूट ही नहीं पाया। असम में तो वे यदा-कदा ही जाते हैं। ज्यादा वक्त तो उत्तराखंड में ही बीतता है उनका। आलाकमान के निर्देश की भी खास परवाह नहीं करते। आजकल उनकी पार्टी के उत्तराखंड के नेता इसी को लेकर बेचैन हैं कि हरीश रावत ने जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा अध्यक्ष बनने पर बधाई क्यों दी? दरअसल हरीश रावत ने पत्रकारों से कहा था कि नड्डा भले आदमी हैं। इसीलिए उन्हें बधाई दी है। फिर उनके पक्षपात रहित होने की मिसाल भी दे डाली थी। बताया था कि जब नड्डा मोदी की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए जरूरत के मुताबिक बजट दे दिया था। बकौल हरीश रावत वे जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उन्होंने नड्डा से सिफारिश की थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी वैसा ही सहयोग दें जैसा उन्हें दिया था। रावत विरोधी गुट उनके इस बयान के निहितार्थ खोज रहा है। कुछ काना बाती कर रहे हैं कि कहीं नड्डा के भाजपा अध्यक्ष बनने पर हरीश रावत भी भाजपाई तो नहीं बनने जा रहे। काश वे समझ पाते कि सियासत में शिष्टाचार की भी अपनी भूमिका होती है। जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा की कमान संभालने पर बधाई तो भाजपा के धुर विरोधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी दी थी। पाठकों को बता दें कि नड्डा की सास जयश्री बनर्जी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री थीं।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

www.readwhere.com

जेएनयू छात्रसंघ की याचिका पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा जवाब

● दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नए अकादमिक वर्ष के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले जेएनयू के छात्र पुरानी छात्रावास नियमावली के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रावास की नियमावली में संशोधन के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और कहा कि नए अकादमिक वर्ष के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले जेएनयू के छात्र पुरानी छात्रावास नियमावली के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने मामले में पक्षकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किए।

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष और छात्र संघ के अन्य पदाधिकारियों साकेत मून, सतीश चंद्र यादव और मोहम्मद दानिश ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में पिछले साल 28 अक्तूबर को जारी आइएचए की कार्यवाही के विवरण और 24 नवंबर को गठित उच्च स्तरीय समिति के अधिकार क्षेत्र और उसकी सिफारिशों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मसौदा छात्रावास नियमावली रद्द करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए आइएचए के फैसले को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, अवैध और छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि छात्रावास नियमावली में संशोधन जेएनयू कानून, 1966, अध्यादेश और छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। याचिका के मुताबिक, संशोधन के जरिए आइएचए में जेएनयूएसयू का प्रतिनिधित्व घटा दिया गया है, छात्रावास में रहने वालों के लिए लागू दरों में इजाफा किया गया है और छात्रावास नियमावली को भी संशोधित किया गया है, जिससे विश्वविद्यालय में आरक्षित श्रेणी के छात्रों पर बुरा असर पड़ा है।

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आइएचए की बैठक के ब्योरे को भी चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि हर शैक्षाणिक सत्र में मेस सुविधा, सफाई सुविधा, कमरे की दर समेत अन्य शुल्कों में हर साल 10 प्रतिशत की बढोतरी होगी।

कश्मीर में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश

श्रीनगर, 24 जनवरी (भाषा)।

कश्मीर घाटी में शुक्रवार आधी रात के बाद 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। एक आधिकारिक आदेश में ऐसा कहा गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के गृह विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक मोबाइल फोन पर 2जी स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधा 25 जनवरी से चालू हो जाएगी। हालांकि घाटी के लोगों की सोशल मीडिया साइटों तक पहुंच नहीं होगी। पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर डेटा सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में कहा गया कि मोबाइल फोन पर 2जी इंटरनेट सुविधा 31 जनवरी तक बहाल रहेगी।

और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के साथ पांच अगस्त को घाटी में इंटरनेट और मोबाइल संपर्क को रोक दिया गया था।

इस साल पांच, अगले साल 6-6.5 फीसद रह सकती है जीडीपी दर : देवरॉय

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवरॉय ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष (2019- 20) में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच फीसद रह सकती है। उन्होंने टाटा स्टील कोलकाता साहित्य सम्मेलन में कहा कि मौजूदा स्थिति में नौ फीसद की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल है।

उन्होंने कहा, 'महत्त्वाकांक्षी वृद्धि दर साढ़े छह से सात फीसद के बीच हो सकती है। इस अवस्था में नौ फीसद की जीडीपी वृद्धि दर पाना मुश्किल है।' उन्होंने कहा, 'इस साल वृद्धि दर पांच फीसद रहेगी और यह वास्तविक है न कि सांकेतिक। वहीं अगले साल (2020- 21) जीडीपी वृद्धि दर छह से साढ़े छह फीसद के बीच कहीं रह सकती है।' आइएमएफ ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। जबकि इससे पहले उसने अक्तूबर में इसके 6.1 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया था। देवरॉय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जिस माहौल में वृद्धि कर रही है उसमें कहीं न कहीं संरक्षणवाद का प्रभाव है और इससे निर्यात में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा, 'जब देश नौ फीसद जैसी तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा था तब जीडीपी के मुकाबले निर्यात का अनुपात 20 फीसद था।

'कोरेगांव-भीमा : राज्य की सहमति के बिना केंद्र ने एनआइए को सौंपी जांच'

मुंबई, 24 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उसने 2018 के कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले की जांच को राज्य सरकार की सहमति के बिना राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दिया। मामले की जांच पुणे पुलिस कर रही थी ।

देशमुख ने शुक्रवार शाम ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की नई सरकार ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। इसके बाद केंद्र ने यह फैसला किया। राकांपा से जुड़े मंत्री ने कहा, 'मैं इस फैसले की निदा करता हूं । यह संविधान के खिलाफ है ।' पुणे जिले में कोरेगांव -भीमा युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हिंसा हुई थी। हर साल बड़ी संख्या में दलित यहां आते हैं। पुलिस ने दावा किया था कि पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा हुई।

बाद में तेलुगू कवि वरवर राव और सुधा भारद्वाज सहित वामपंथी झुकाव वाले कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया ।

पेटीएम भुगतान बैंक ने गृह मंत्रालय, अन्य को धोखाधड़ी वाले 3,500 फोन नंबरों की सूची सौंपी

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

पेटीएम भुगतान बैंक ने गृह मंत्रालय, ट्राई और सीईआरटी-इन को 3,500 फोन नंबरों की सूची सौंपी है। इन फोन नंबरों के जरिए भोले भाले ग्राहकों को धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिये कॉल किया जाता है। पीपीबी ने दावा किया कि उसने इस घोटाले को रोकने के लिए इन लोगों के खिलाफ साइबर सेल में भी प्राथमिकी दर्ज की है।

ट्राई, गृह मंत्रालय और सीईआरटी-इन के अधिकारियों के साथ कई बैठकों में पीपीबी ने विभिन्न संवेदनशील सूचनाएं जुटाने और धोखाधड़ी वाले मोबाइल फोन एसएमएस और कॉल के जरिए हो रहे घोटाले की जानकारी दी। इसकी वजह से डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं। सीईआरटी- इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी मामलों में कार्रवाई करने वाली एजंसी है।

पीपीबी ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की धोखाधड़ी से लाखों भारतीयों का भरोसा डगमगाता है। बयान में कहा गया है कि हमारे जैसे बैंक इन नंबरों की पहचान कर भविष्य में धोखाधड़ी और घोटालों को विधि प्रवर्तन एजंसियों, नियामकों और दूरसंचार आपरेटरों के सहयोग से रोका जा सकता है।

भाजपा नेता ने कहा, फडणवीस सरकार ने मेरा फोन टैप करवाया : राउत

मुंबई, 24 जनवरी (भाषा)।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के एक नेता ने उन्हें बताया है कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनका फोन टैप करवाया था।

राकांपा के इस आरोप पर कि केंद्र ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास की सुरक्षा वापस ले ली है, राउत ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार गठन में पवार की भूमिका रही थी। उन्होंने कहा कि यहां तक कि गांधी परिवार को प्रदत्त एसपीजी सुरक्षा भी हाल में वापस ले ली गई।

राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'भाजपा के एक नेता ने मुझे बताया कि मेरे फोन को टैप किया जा रहा था। मेरा कहना है कि मैं क्या कह रहा हूं अगर यह कोई सुनना चाहता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं बाबा साहेब का चेला हूं, जो करता हूं खुलेआम करता हूं।'

उन्होंने कहा, 'फोन टैप करवाने के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार तो हमने ही बनाई।' एक दिन पहले राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था कि फडणवीस सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के फोन टैप करवाए थे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के गठन के वक्त तो खासतौर पर ऐसा किया गया था।

देशमुख ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को पिछली सरकार के दौरान मिली जासूसी/ फोन टैपिंग की विभिन्न शिकायतों की जांच करने को कहा गया है।' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी पहले आरोप लगाया था कि फडणवीस सरकार ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप करवाए हैं। उन्होंने फोन-टैपिंग के मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।

कोरोना वायरस : चीन से लौटे दस लोग निगरानी में

पेज 1 का बाकी

कि कहीं ये लोग कोरोना वायरस से तो प्रभावित नहीं हुए हैं। दरअसल चीन में कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि समेत सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन और हांगकांग से लौटे 20,000 से अधिक यात्रियों की थर्मल जांच की गई। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राममनोहर लोहिया अस्पताल में अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं ताकि श्वसन संक्रमण के किसी भी संदिग्ध मामले में उपचार प्रदान किया जा सके।

तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न जिलों के राजकीय अस्पतालों में सात लोगों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने उन लोगों को, जिनकी घरों में निगरानी की जा रही है, सलाह दी है कि वे चीन से आने की तारीख से 28 दिन तक घर में ही रहें। चीन में इस वायरस के कारण 26 लोगों की मौत हो चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, चीन से लौटे दो लोगों को मुंबई के एक अस्पताल में रखा गया है जबकि एक व्यक्ति को हैदराबाद के एक अस्पताल में रखा गया है। हालांकि, देश में अभी तक इससे संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा कि 24 जनवरी तक चीन से 96 उड़ानों में आए कुल 20,844 यात्रियों की हवाई अड्डों पर जांच की गई है। उन्होंने बताया कि चीन में भारतीय दूतावास द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर वुहान से हाल ही में लौटे करीब 25 छात्रों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

मुंबई में अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 19 जनवरी से 1,789 यात्रियों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच (थर्मल स्क्रीनिंग) हो चुकी है। इनमें से दो यात्रियों को कस्तूरबा अस्पताल में एहतियातन भर्ती कराया गया है।

इस विषाणु से संक्रमण का पहला मामला चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से सामने आया था। चीन में कोरोना वायरस के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के कस्तूरबा अस्पताल में एक अलग वार्ड बनाया गया है।

बीएमसी में कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केस्कर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका वाले लोगों के उपचार के लिए एक अलग वार्ड बना दिया गया है। केस्कर ने बताया कि निकाय के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चीन से यहां आए दो लोगों को निगरानी में रखा है। उन्हें हल्का जुकाम है और सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण हैं।

उन्होंने बताया कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियुक्त डाक्टरों से चीन से आने वाले किसी भी यात्री में संक्रमण के लक्षण नजर आने पर उन्हें इस वार्ड में भेजने को कहा गया है। निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को भी इसी तरह की हिदायत दी गई है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री मिले मोदी से, एनआरसी जैसे विधेयक को मंजूरी की अपील

एजल, 24 जनवरी (भाषा)।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और राज्य में विदेशियों का पता लगाने से संबंधित एनआरसी जैसे विधेयक को मंजूरी देने की अपील की। अधिकारियों ने यहां शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी से यह सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की मांग की कि 'मिजोरम परिवार पंजीकरण विधेयक, 2019' को केंद्र से तत्काल मंजूरी मिले और उसे राज्य में लागू किया जा सके। जोरमथंगा ने कहा कि मिजोरम की 700 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश और म्यांमा से मिलती है। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस विधेयक में राज्य के असली बाशिंदों की पहचान करने की व्यवस्था है।

सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता : शाह

पेज 1 का बाकी

टुकड़े करने की बात करेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे। किसी में धारा 370 हटाने की हिम्मत नहीं थी। पांच अगस्त, 2019 को संसद ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल से देश का हर नागरिक चाहता था कि प्रभु राम का मंदिर बने। यह भी वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं बन पाया था। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए राजनीति का नहीं श्रद्धा का मुद्दा है। पूरा देश चाहता था कि राम मंदिर बने।

हफ्ते भर में उपायों का खाका पेश करे आयोग

पेज 1 का बाकी

द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि निर्वाचन आयोग ने न तो चुनाव चिह्न आदेश, 1968 में संशोधन किया और न ही आचार संहिता में ऐसा किया। अतः इस अधिसूचना का कोई कानूनी महत्त्व नहीं था। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग ने इस मकसद के लिए प्रमुख समाचारपत्रों और समाचार चैनलों में ऐसी कोई सूची प्रकाशित नहीं की और न ही इसमें उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा के लिए समय के बारे में स्पष्ट किया था। इस वजह से प्रत्याशियों ने बेतुके समय पर उन समाचारपत्रों और समाचार चैनलों में यह जानकारी प्रकाशित की जो बहुत लोकप्रिय नहीं थे।

दरअसल

सीएए, एनआरसी के विरोध में द्रमुक चलाएगा अभियान

पेज 1 का बाकी

जाना चाहिए और तमिलनाडु में एनपीआर की गतिविधियां नहीं होने दी जानी चाहिए और एनआरसी की तैयारी का प्रयास नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में द्रमुक की अध्यक्षता वाली कांग्रेस और एमडीएमके समेत सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक के बाद स्टालिन ने कहा, 'हमने इस संबंध में दो फरवरी से आठ फरवरी तक व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपने का फैसला किया गया है।

स्टालिन ने कहा कि द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के घटक दल का हर सदस्य इस अभियान में शामिल रहेगा और इस संबंध में सहयोग का अनुरोध किया। एसपीए के घटकों में कांग्रेस, एमडीएमके और वाम दल एवं अन्य शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीएए को वापस नहीं लिया जाएगा । इस बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने कहा, 'उन्हें जो कहना है कहते रहें, हम लोग अपना विरोध जताते रहेंगे।' बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि सीएए के खिलाफ केरल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, पंजाब विधानसभा ने कानून को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जबकि राजस्थान समेत कुछ राज्य इसी तरह के कदम की योजना बना रहे हैं।

पार्टियों ने मांग की कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि राज्य में एनपीआर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोरोना से डरे चीन ने 13 शहरों पर लगाई यात्रा पाबंदी

पेज 1 का बाकी

और झिजियांग शहरों में अधिकारियों ने बताया कि बस व रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। हुबेई प्रांत में ही इस विषाणु का सबसे पहले पता चला था। नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बीते 24 घंटे में हुबेई प्रांत के शहरों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध में ये नए नाम जुड़ गए हैं। इस विषाणु से 800 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

विषाणु का पता सबसे पहले हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान शहर में चला था, जहां इस महामारी के केंद्र के तौर पर एक सीफूड और पशुओं के बाजार की पहचान हुई थी। विषाणु के संक्रमण से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री सिंड्रोम) से मिलते जुलते लक्षण के कारण खतरा बढ़ गया है। सार्स के कारण 2002-2003 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोग मारे गए थे।

साढ़े पांच लाख की आबादी वाले झिजियांग ने दवा की दुकानों को छोड़कर लगभग सभी कारोबारों को बंद रखने की घोषणा की जबकि आठ लाख की आबादी वाले एन्शी ने सभी मनोरंजन स्थलों को बंद कर दिया है। शुक्रवार सुबह 64 लाख की आबादी वाले जिंगझोऊ शहर के रेलवे स्टेशन से हर तरह की सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं 24 लाख की आबादी वाले हुआंगशी ने भी शुक्रवार को परिवहन मार्ग बंद कर दिए और साथ ही फेरी टर्मिनल व यांगत्जी नदी पर बने पुल और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया।

भारतीय दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह रद्द

पेज 1 का बाकी

में आयोजित होने वाला समारोह रद्द कर दिया गया है। दूतावास ने ट्वीट किया, 'चीन में कोरोना वायरस के प्रसार और सार्वजनिक सभाओं एवं कार्यक्रमों को रद्द करने के चीनी अधिकारियों के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को रद्द करने का फैसला किया है।'

चीन में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस से पहले गुरुवार को इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें चीनी अधिकारियों एवं बेजिंग स्थित राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया था।

चीन के विदेश उप मंत्री एवं भारत में चीन के राजदूत रह चुके लुओ झाओहुई ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस समारोह को संबोधित करते हुए चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2020 महत्त्वपूर्ण साल है क्योंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना यह 70 वां साल है।

उन्होंने कहा, 'यह ध्यान देने योग्य है कि चीनी जन गणराज्य (पीआरसी) को मान्यता देने वाले गैर-समाजवादी देशों में भारत सबसे पहला देश था। हमारी (70 साल की) यात्रा की समीक्षा करने और एक साथ नए लक्ष्य स्थापित करने के लिए यह यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है।' मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरा अनौपचारिक सम्मेलन पिछले साल चेन्नई में हुआ था जो बहुत सफल रहा था।

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश को भाया चावल

पेज 1 का बाकी

ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी की वेबसाइट और ऐप पर संवादनात्मक सुविधा से युक्त है। वेबसाइट में दृश्य-ध्वनि शिक्षण, वीडियो वाल्कथ्रू(सॉफ्टवेयर), स्वयं अध्ययन गतिविधियां और परिष्कृत आई-राइटर और आई-स्पीकर टूल्स जैसे अद्यतन सुविधाएं हैं।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रबंध निदेशक (शिक्षण विभाग) फातिमा दादा ने बताया, 'इस संस्करण में 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्दों को जगह मिली है जिनमें 22 मुद्रित संस्करण में है जबकि चार डिजिटल संस्करण में हैं।' कुछ अन्य भारतीय अंग्रेजी शब्द जिनको शब्दकोश में जगह मिली है, वें हैं आंटी (पहले से मौजूद ऑन्ट शब्द का भारतीय स्वरूप), बस स्टैंड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफआइआर, नॉन-वेज, रिड्रेसल, टेम्पो, ट्यूब लाइट, वेज और वीडियोग्राफ।

शब्दकोश के ऑनलाइन संस्करण में जिन चार भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है, वे हैं करंट (बिजली के लिए), लूटर, लूटिंग और उपजिला। फातिमा ने कहा, 'प्रचलन और सामान्य इस्तेमाल शब्दों को शामिल करने का मुख्य आधार है। हम पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलने के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों का आकलन करते हैं जिसके बाद वे शब्द गहन परीक्षण प्रक्रिया से गुजरते हैं।' उन्होंने कहा, 'ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का संरक्षक है। इसलिए इन शब्दों को इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा।' फातिमा ने बताया कि शब्दकोश के ऐप पर 86,000 शब्द, 95,000 वाक्यांश, 1,12,000 अर्थ और 2,37,000 उदाहरण हैं।

गौरतलब है कि इस शब्दकोश का 77 साल का इतिहास है। मूल रूप से इसे 1942 में जापान में प्रकाशित किया गया था और 1948 में पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसका प्रकाशन किया। लर्नर शब्दकोश इसके संस्थापक अल्बर्ट सिडनी हॉर्नबी के मूल्यों पर आधारित है जिनका उद्देश्य दुनियाभर में इस भाषा को सीखने वाले लोगों को अंग्रेजी भाषा के अर्थ को समझने में मदद करना था।

रासुका लगाने के खिलाफ आदेश नहीं दे सकते : कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने से प्राधिकारियों को रोकने के लिए वह कोई व्यापक आदेश नहीं दे सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि रासुका के दुरूपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती लेकिन इस संबंध में सभी के लिए कोई निर्देश भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाई जा रही है और यह संगठित भी हो सकता है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध के दौरान ही कुछ राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी में रासुका लगाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा, 'हमारा मत है कि इस मामले में सामान्य आदेश नहीं दिया जा सकता। हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार का इस्तमाल नहीं कर सकते। हम सहमत हैं कि रासुका का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए लेकिन सभी के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इससे अव्यवस्था पैदा होगी।'

याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग और दूसरे स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है और राज्यों को विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ इस कठोर कानून को लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने शर्मा से कहा कि वह संशोधित याचिका दायर करें और उन घटनाओं का जिक्र करें जिनमें सीएएस का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ रासुका लगाई गई है। पीठ ने शर्मा से यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून प्रकरण में लंबित याचिकाओं में अंतरिम आवेदन दायर कर उचित राहत का अनुरोध कर सकते हैं। शर्मा ने इस पर अपनी याचिका वापस लेने और रासुका के उल्लंघन के विवरण के साथ संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति चाही। पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति प्रदान कर दी। शर्मा ने इस याचिका में रासुका लगाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ विरोध कर रही जनता पर दबाव डालने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।

सामाजिक अन्याय है अत्यधिक और मनमानी टैक्स वसूली : प्रधान न्यायाधीश

पेज 1 का बाकी

अत्यधिक कर वसूली को भी एक तरह से सरकार के सामाजिक अन्याय के औजार के रूप में देखा जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने देश में कर विवादों का निपटारा तेजी से करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह करदाताओं के लिए एक प्रोत्साहन की तरह होगा और कानूनी वाद में फंसी राशि को मुक्त करेगा। उन्होंने लंबित पड़े कर विवादों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कर से जुड़ी न्यायिक प्रणाली देश के संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के लिए कर विवादों का तेजी से निपटान उनके लिए एक प्रोत्साहन की तरह होता है। वहीं, कर संग्रह करने वाले को कुशल कर न्यायिक व्यवस्था इस बात का आश्वासन देती है कि सही तरह से आकलित की गई कर मांग किसी तरह के कानूनी विवाद में नहीं फंसेगी।

सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटैट) में अप्रत्यक्ष कर के लंबित पड़े कर विवादों में अपीलों की संख्या को दो साल के भीतर 61 फीसद कम करके 1.05 लाख पर लाया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीईएसटैट में 30 जून 2017 को लंबित अपीलों की संख्या 2,73,591 थी जो 31 मार्च 2019 तक घटकर 1,05,756 रह गई।

भारत 130 करोड़ लोगों का घर ही नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है : मोदी

पेज 1 का बाकी

है। हमारा ये देश एक प्रकार से फूलों की माला है, जहां रंग-बिरंगे फूल भारतीयता के धागे से पिरोए गए हैं।' मोदी ने कहा कि जब हम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की बात करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना है कि भारत असल में है क्या। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ सरहदों के भीतर 130 करोड़ लोगों का घर भर ही नहीं है। भारत एक राष्ट्र के साथ-साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम जिस न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां यही आकांक्षाएं, यही सपने हमें पूरे करने हैं।

www.readwhere.com

सीएए समर्थक रैली में हिंसा के बाद लोहरदगा में कर्फ्यू

लोहरदगा, 24 जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में लोहरदगा में गुरुवार को आयोजित जुलूस पर पथराव के बाद हुई हिंसा के चलते यहां उत्पन्न तनाव को देखते हुए पूरे लोहरदगा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने आम लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया व शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

-शांति बनाए रखने के लिए जिले के तमाम स्कूल-कॉलेज दो दिनों के लिए बंद।
-कर्फ्यू के कारण तमाम सरकारी कार्यालय व बैंक बंद रहे।
-लोहरदगा से चलने वाली अनेक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं।
-किसी इलाके से अप्रिय घटना की सूचना नहीं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए जिले के तमाम स्कूल कॉलेजों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कर्फ्यू के कारण यहां तमाम सरकारी कार्यालय व बैंक बंद रहे। लोहरदगा से चलने वाली अनेक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। रांची-लोहरदगा टोरी ट्रेन व रांची सासाराम ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। पूरे जिले में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। लोहरदगा में पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह व राज्य के पुलिस महानिरीक्षक अभियान साकेत सिंह, समीप के जिलों के पांच पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस उपाधीक्षक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

झारखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुरारीलाल मीणा ने बताया कि लोहरदगा में जो भी घटना घटी वह दुखद है, लेकिन अब शांति का माहौल है। धारा 144 व कर्फ्यू लागू है। दोषियों को चिह्नित किया जा रहा है और निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर इलाके में तैनात है और नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले में शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लोग कानून का पालन करें। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने दें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

आइजी नवीन कुमार सिंह ने भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के माध्यम से भी पुलिस द्वारा जानकारी एकत्र की जा रही है। निश्चित रूप से इस मामले में शामिल लोगों की पहचान हो जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

लोहरदगा जिले में पांच पुलिस अधीक्षकों, 12 पुलिस उपाधीक्षकों, 100 पुलिस निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में दूसरे जिले से पुलिस बल को बुलाया गया है। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लोहरदगा के किसी इलाके से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

मौनी अमावस्या पर एक करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी

प्रयागराज, 24 जनवरी (भाषा)।

यहां चल रहे माघ मेले के सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर शुक्रवार शाम तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 स्नान घाट बनाए हैं।

मेला अधिकारी रजनीश मिश्रा ने बताया कि मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे से ही स्नान प्रारंभ हो गया और कड़ाके की ठंड के बावजूद गुरुवार रात्रि से ही भारी संख्या में लोगों का मेला क्षेत्र में आना जारी है। शुक्रवार शाम तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए मेला प्रशासन और जिला प्रशासन ने यातायात सुगम बनाए रखा। संगम तट के दोनों तरफ आठ किलोमीटर में बनाए गए 20 घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज नगर की विभिन्न सड़कों पर लोग कंधे पर गठरी, हाथों में बच्चों व एक-दूसरे का हाथ थामे गंगा मईया का जयकारा लगाते हुए संगम तट की ओर पैदल ही पहुंचते रहे। उन्होंने बताया कि दोपहर में धूप खिलने से मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी। सुरक्षा के लिहाज से टावर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने मेला क्षेत्र पर पैनी नजर रखी। प्रशासन की पहल पर हेलिकॉप्टर से श्रद्धालुओं और संत-महात्माओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। स्नान के दौरान मेला क्षेत्र पर हेलिकॉप्टर से निगरानी की गई। स्नान के साथ ही लोगों ने मेला क्षेत्र में चल रहे अन्न क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण किया।

दुमका में तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दुमका (झारखंड), 24 जनवरी (भाषा)।

दुमका में शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) संजय कुमार के समक्ष पांच-पांच लाख रुपए के दो एवं एक लाख रुपए के इनामी एक नक्सली समेत तीन कुख्यात नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

दुमका के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक नक्सली का नाम राजेंद्र राय उर्फ झिलमिल उर्फ गहना राय है जो दुमका जिले के काठीकुंड थानाक्षेत्र के आसनबनी ग्राम का रहने वाला है। इसने राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। यह भाकपा (माओवादी) संगठन में स्वयंभू सब जोनल सदस्य रहा है। इसपर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले दूसरे नक्सली का नाम रिमिल दा उर्फ रिमिल हेम्ब्रम उर्फ सोकुल दा है जो शिकरीपाड़ा थानाक्षेत्र स्थित जोलडंगाल सीतासाल ग्राम का रहनेवाला है। इसने भी राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। यह भी भाकपा (माओवादी) संगठन में स्वयंभू सब जोनल सदस्य है। इस पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले तीसरे नक्सली का नाम छोटा श्यामलाल देहरी उर्फ श्याम देहरी है जो दुमका जिले के काठीकुंड थानाक्षेत्र स्थित सरूवापानी पहाड़िया टोला का रहने वाला है। इसने पिस्तौल के साथ आत्मसमर्पण किया। यह भाकपा (माओवादी) संगठन में स्वयंभू दस्ता सदस्य रहा है। इसपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था।

विभिन्न वारदातों को लेकर तीनों नक्सलियों पर दुमका जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। रमेश ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की उम्र 22 से 28 साल है।एसएसबी के महानिरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए अन्य जो नक्सली बचे हैं वे भी आत्मसमर्पण कर दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल दुमका से नक्सलियों का उन्मूलन करके ही दम लेंगे।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण के समय संताल परगना के डीआइजी राजकुमार लकड़ा, दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी भी उपस्थित थीं।

आपको भारत में क्यों रहना चाहिए, श्रीरामुलु ने कुमारस्वामी से पूछा

बंगलुरु, 24 जनवरी (भाषा)।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी पर पाकिस्तान को पसंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उसी देश चले जाना चाहिए।

जिला मुख्यालय चित्रदुर्ग में संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि किसी को भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से पसंद किए जाने की मंशा से 'दोहरे मानदंड वाली राजनीति' में शामिल नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी गंभीर राजनेता नहीं हैं, हाल में उन्होंने पाकिस्तान को पसंद करना शुरू किया है...उन्हें यह देश छोड़ने दीजिए, जब वह पाकिस्तान के लिए प्रेम की बात करते हैं, उन्हें भारत में क्यों रहना चाहिए, मैं पूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि इस देश को छोड़ दें।' मंत्री हाल ही में जद (एस) नेता की तरफ से आई उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं की पाकिस्तान के प्रति 'सनक' को लेकर सवाल उठाए थे।

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
श्री नरसिंह देव सुगर प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**श्री नरसिंह देव सुगर प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	24.01.2001
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-कानपुर, उत्तर प्रदेश
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U15421UP2001PTC025840
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	ग्राम सैदपुर, पोस्ट दत्त नगर, बाघपत-250626, उ.प्र.
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	2 जून, 2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	23 जनवरी, 2020
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	बबीता जैन IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-2018/10926
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल:	35बी/6, माधोकुंज, राममोहन प्लाजा, कत्रा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: jainbabita06@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	35बी/6, माधोकुंज, राममोहन प्लाजा, कत्रा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: irp.shrinarsing@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	22 फरवरी, 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद ने 23.01.2020 को श्री नरसिंह देव सुगर प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा श्री नरसिंह देव सुगर प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 22 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षर: बबीता जैन
तिथि एवं स्थान: 24 जनवरी, 2020, इलाहाबाद में।

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लि.
बी-29, ईस्ट ज्योति नगर, मैन लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110092

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लि. बी-29, ईस्ट ज्योति नगर, मैन लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110092 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.8.2019 धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक/गारन्टर मै. सन्मति ट्रेडर्स, प्रॉप. श्री सत्यवीर जैन (ऋणधारक) एवं श्रीमती सुषमा जैन, पत्नी श्री अशोक कुमार जैन (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.12.2019 को रु. 16,40,924.91/- (रुपए सोलह लाख चालिस हजार नौ सौ चौबीस तथा पैसे इक्यानवे मात्र) के साथ 1.9.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी दो हजार बीस को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.12.2019 को रु. 16,40,924.91/- (रुपए सोलह लाखि चालिस हजार नौ सौ चौबीस तथा पैसे इक्यानवे मात्र) के साथ 1.9.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के लिए आईडीबीआई बैंक लि., बी-29, ईस्ट ज्योति नगर, मैन लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110092 के चार्ज के अधीन होगा।

प्रवर्तित करने के लिये अभिप्रेत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1. हाइपोथेकेटेड परिसम्पत्तियाँ-फर्म मै. सन्मति ट्रेडर्स के सभी स्टॉक तथा बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन
2. गिरवी परिसम्पत्तियाँ
श्रीमती सुषमा जैन, पत्नी श्री अशोक कुमार जैन के स्वामित्व में प्लॉट नं. 289, प्रथम तल, ब्लॉक सी-4, यमुना विहार, दिल्ली-110053 में स्थित अचल सम्पत्ति के भाग में शामिल भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहद्दी है:
पूर्व: सम्पत्ति सं. सी-4/288 दक्षिण: सर्विस लेन
पश्चिम: सम्पत्ति सं. सी-4/290 उत्तर: रोड 5 मी. चौड़ा
तथा उसके साथ वर्तमान तथा भविष्य में उस पर सभी तथा एकल संरचनाओं एवं ईरैकशन के साथ।
तिथि: 22.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नई दिल्ली **आईडीबीआई बैंक लि. के लिये**

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण
[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**सम्पन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12-03-2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन: U70102DL2013PTC249338
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. 2542, भूतल, गली नं. 7, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110005
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	30-07-2019 (अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा आदेश 30-09-2019 को प्राप्त हुआ)
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	25-01-2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता rp.sampan@gmail.com; या ajaygupta1969@gmail.com पर ई-मेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता मानदण्ड निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं : http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	30-01-2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	02-02-2020
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	07-02-2020
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	10-02-2020
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	04-02-2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	भारतीय ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3बी(1) के सन्दर्भ में समाधान योजना हेतु मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा निवेदन प्राप्त करने के पात्र समस्त समाधान आवेदक(कों) को इसे समाधान आवेदक(कों) द्वारा गोपनीयता के शपथ-पत्र जमा करने के पश्चात उपबन्ध सं. 21 में प्रावधानित के अनुसार इसे ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	05-03-2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	सम्भावित समाधान आवेदक(कों) को सर्वप्रथम rp.sampan@gmail.com अथवा ajaygupta1969@gmail.com के माध्यम से अपनी पात्रता मानदण्ड के समर्थन में दस्तावेजों सहित अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जमा करनी अपेक्षित है। ईओआई निम्नलिखित को सम्बोधित डाक/कोरियर द्वारा भी जमा की जा सकती है : अजय गुप्ता, सम्पन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समाधान प्रोफेशनल, फ्लैट सं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, 9वीं मंजिल, सेक्टर-93ए, नोएडा-201304 ईओआई पर विचार करने के पश्चात समाधान प्रोफेशनल द्वारा शार्टलिस्ट किये गये सम्भावित समाधान आवेदक आरपी से समाधान योजना हेतु आवेदन की प्राप्ति के पश्चात ऊपर उपबन्ध 16 में उल्लिखित के अनुसार समाधान योजना(ओं) को जमा करने की अन्तिम तिथि को या इससे पूर्व (अर्थात 01.03.2020 को या इससे पूर्व) ई-मेल द्वारा या दस्ती/डाक द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त पते पर समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजना(एँ) जमा करेंगे।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	13-03-2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अजय गुप्ता आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल	नाम : अजय गुप्ता, पता : 7-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014 ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	नाम : अजय गुप्ता पता : फ्लैट सं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, 9वीं मंजिल, सेक्टर-93ए, नोएडा-201304. ई-मेल आईडी : ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	नाम : अजय गुप्ता समाधान प्रोफेशनल ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com rp.sampan@gmail.com
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	25-01-2020

नोट : कॉर्पोरेट देनदार की सीआईआरपी माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रारम्भ की गयी, किन्तु आईआरपी द्वारा आदेश 30.09.2019 को प्राप्त हुआ था, इस प्रकार सीआईआरपी के प्रारम्भ होने की प्रभावी तिथि को 30.09.2019 माना गया और तदनुसार उपर्युक्त समय-सीमा निर्दिष्ट की गयी। फिर भी, उपर्युक्त समस्त तिथियाँ माननीय एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत तिथियों के अपवर्जन (30.07.2019 से 30.09.2019) का विषय हैं जिसके लिए आरपी द्वारा तात्कालिक रूप से आवेदन दर्ज किये जा रहे हैं।
तिथि : 25-01-2020 **ह./-**
नई दिल्ली **अजय गुप्ता**
समाधान प्रोफेशनल
सम्पन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (सीआईआरपी के अधीन)
आईबीबीआई पंजीकरण सं. : : IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
पता : 7-A, Sidhartha Extension, Pocket-B, New Delhi-110014
ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
मोबाइल : 09871277445

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank | **Branch- Sector-63, Noida.**

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.11.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता सुषा गुप्ता पत्नि श्री ललित गुप्ता खाताधारक है को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रु. 37,78,923.72/- (रूपये सैंतिस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तेईस और बहत्तर पैसे केवल) अदा करने की तिथि 01.11.2019 उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
ऋणी सुषा गुप्ता पत्नि श्री ललित गुप्ता द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24 जनवरी 2020 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, सैक्टर-63, नोएडा, शाखा को देय धनराशि रु.- 37,78,923.72/- (रूपये सैंतिस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तेईस और बहत्तर पैसे केवल) अदा करने की तिथि 01.11.2019 तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण
मकान नं0. आर-144, ब्लॉक-आर, वकील कॉलोनी, सैक्टर - 12, प्रताप विहार, गाजियाबाद मालिक सुष्मा गुप्ता पत्नि श्री ललित गुप्ता **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में प्लॉट नं0. 133, **दक्षिण** में 30 फिट चौडा रोड, **पूर्व** में प्लॉट नं0. 145 और **पश्चिम** में प्लॉट नं0. 143.
दिनांक: 24.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: सैक्टर-63, नोएडा। **सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय**

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	MONICA ELECTRONICS LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	20TH DECEMBER 1975
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act, 1956
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	L51395DL1975PLC006005
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop No. 21, C/o Ashiyaana Residency, Chaudhary Dharambir Market, Near Sabzi Cinema Badarpur, New Delhi, 110044, India
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	04.11.2019
7.	Date of invitation of expression of interest	24.01.2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The information can be asked by writing to Resolution Professional at his email singhsk.adv@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The information can be asked by writing to Resolution Professional at his email singhsk.adv@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	08.02.2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	12.02.2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	17.02.2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27.02.2020
14.	Date of issue of information memorandum, matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	17.02.2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	1. By sending mail to RP at singhsk.adv@gmail.com 2. Information Memorandum shall be shared by the Resolution Professional with qualified and shortlisted Prospective Resolution Applicants meeting the eligibility criteria as set out by the Committee of Creditors after repeiving a confidentiality undertaking as per section 29 (2) of the IBC.
16.	Last date for submission of resolution plans	17.03.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	1. Through speed post / registered post/by person to Resolution Professional at the address mentioned at Sl. no 20. 2. A soft copy is required to be mailed to email of Resolution Professional at singhsk.adv@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as the resolution plan is approved by COC
19.	Name and registration number of the resolution professional	Sanjay Kumar Singh IBBI/IPA-002/IP-N00188/2017-18/10505
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Sanjay Kumar Singh 033, Windsor, Grand Forte, Plot No. 76, Sigma-4 Greater Noida, UP-201310 Ph. No. 9717001490 E-mail- singhsk.adv@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Sanjay Kumar Singh 033, Windsor, Grand Forte, Plot No. 76, Sigma-4, Greater Noida, UP-201310 Ph. No. 9717001490 E-mail- singhsk.adv@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Available with Resolution Professional Sanjay Kumar Singh
23.	Date of publication of Form G	24.01.2020

SANJAY KUMAR SINGH
IBBI/IPA-002/IP-N00188/2017-18/10505
033, Windsor ,Grand Forte, Plot No. 76, Sigma-4, Greater Noida, UP-201310
For Monica Electronics Limited
Place: New Delhi, Date:24.01.2020

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. 87/66/एनडी, 2019 का
मामले में:
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (कम्पनी शेयर पूंजी कटौती प्रक्रिया) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66
तथा
मामले में:

टर्नारी रिस्क कंसल्टैन्सी एंड मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड (CIN NO. U74110DL2002PTC339255), (पैन: AAHCS5209B), कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, सुचेता भवन, 11-ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राउज एवैन्यू लेन, नई दिल्ली-110002, भारत में है।	याचिकाकर्ता कम्पनी

आदेश की सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के आदेश तिथि 3 जनवरी, 2020 ने ऊपर नामित कम्पनी की शेयर पूंजी रु. 10/- प्रति के 5,00,000 शेयरों में विभाजित रु. 50,00,000/- से घटाकर रु. 10 प्रति के 3,70,000 शेयरों में विभाजित रु. 37,00,000/- करने की सम्पुष्टि की है।
तिथि: 25 जनवरी, 2020 **(अनिरुध दास)**
(शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड क.)
याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता
अमरचंद टावर
216, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-III,
नई दिल्ली-110020

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch Office:
SSV College, Hapur, Delhi Road, SSV, Hapur. Ghaziabad, Distt. Hapur, UP 245101
Email: br.8843@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, सिप्रा सन सिटी, शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.11.2019 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता अरूण कुमार, ओंकार त्यागी खाताधारक है को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रु.- 8,51,041.05 (रूपये आठ लाख इक्यावन हजार इकतालिस और पांच पैसे मात्र) अदा करने तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2020 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ क

GHCL LIMITED

Registered Office: GHCL House, Opp Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009
Corporate Office: GHCL House, B-38 Institutional Area,Sector 1, NOIDA - 201301; Compliance Officer: Mr. Bhuwneshwar Mishra;
Tel.: 0120 3358143; Fax: 0120 2535209; CIN: L24100GJ1983PLC006513; Website: www.ghcl.co.in; E-mail: secretarial@ghcl.co.in

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF GHCL LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

This Public Announcement ("**Public Announcement**") is made in relation to the Buy Back of Equity Shares (as defined below) by GHCL Limited (the "**Company**") from BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with the BSE, the "**Stock Exchanges**"), pursuant to Regulation 16(iv)(b) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (including any statutory modification(s), or re-enactment for the time being in force) ("**Buy Back Regulations**"). This Public Announcement contain disclosures as specified in Schedule IV to the Buy Back Regulations.

BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH THE STOCK EXCHANGES

1. DETAILS OF THE BUY BACK & BUY BACK PRICE

1.1. The Board of Directors of the Company ("**Board**") approved the proposal for the Buy Back (as defined below) by the Company of its fully paid up Equity Shares with a face value of ₹ 10 each (Rupees Ten each) ("**Equity Shares**") at its meeting held on January 23, 2020 ("**Board Approval**").

1.2. The Board in the aforementioned meeting, in accordance with Article 26 of the Articles of Association of the Company and pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("**Act**") and rules made thereunder and in compliance with the Buy Back Regulations, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI LODR Regulations**"), Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Registrar of Companies, Ahmedabad (the "**ROC**"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc, as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company, approved the Buy Back of Company fully paid-up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores only), excluding transaction costs ("**Transaction Costs**") viz. brokerage, cost, fees, turnover charges and other applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty, advisors fees, filing fees and other incidental and related expenses etc. ("**Maximum Buy Back Offer Size**"), being 3.28% and 3.33% of the total paid up share capital and free reserves of the Company based on the latest standalone and consolidated audited financial statements of the Company respectively as at March 31, 2019 (being the date of the last audited standalone and consolidated financial statements of the Company), which is less than 10% of the total paid-up share capital and free reserves of the Company in accordance with the proviso to the Regulation 5(i)(b) of the Buy Back Regulations, for a price not exceeding ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share ("**Maximum Buy Back Offer Price**"), subject to Buy Back not exceeding 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares of the Company (hereinafter referred to as the "**Maximum Buy Back Shares**") from all shareholders of the Company excluding promoters ("**Promoters**"), promoter group and persons who are in control of the Company in accordance with the Buy Back Regulations and the Act ("**Buy Back**"). The Buy Back period extends from January 23, 2020, i.e., the date of the Board approval to the date on which the final payment of consideration for the Equity Shares bought back by the Company is made ("**Buy Back Period**").

1.3. At the Maximum Buy Back Offer Size and the Maximum Buy Back Offer Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 24,00,000 (Twenty Four Lakhs) Equity Shares ("**Indicative Maximum Buy Back Shares**"), and if the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy Back Offer Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Indicative Maximum Buy Back Shares, subject to not exceeding 25% of the total paid up equity capital of the Company and the Maximum Buy Back Offer Size of the Company. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid up Equity Share capital of the Company in compliance with the SEBI LODR Regulations, during the Buy Back Period and upon completion thereof.

1.4. The Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buy Back Offer Size i.e., ₹ 30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores only) ("**Minimum Buy Back Offer Size**") for the Buy Back, and based on the Minimum Buy Back Offer Size and the Maximum Buy Back Offer Price, the Company will purchase an indicative minimum of 12,00,000 (Twelve Lakhs) Equity Shares (" **Indicative Minimum Buy Back Shares**").

1.5. The actual number of Equity Shares bought back during the Buy Back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy Back, subject to the Maximum Buy Back Offer Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buy Back Period.

1.6. The Board (including a committee thereof, if any, constituted by the Board or persons nominated by the Board to exercise its powers in relation to the Buy Back) shall determine, at its discretion, the time frame for completion of the Buy Back and may close the Buy Back (which shall not be longer than 6 (six) months from the date of commencement of the Buy Back or such other period as may be permitted under the Act and/or the Buy Back Regulations or as may be directed by the appropriate authorities ("**Maximum Buy Back Period**") after the Minimum Buy Back Offer Size has been reached, and irrespective of whether the Maximum Buy Back Offer Size has or has not been reached, after giving appropriate notice for such closure and on completing all formalities in this regard, in accordance with the Act and/or the Buy Back Regulations.

1.7. The Buy Back will be implemented by the Company out of its securities premium account and other free reserves and in accordance with Section 68 (1) of the Act and Regulation 4 (ix) of the Buy Back Regulations and in accordance with Regulation 4 (iv) (b) (ii) of the Buy Back Regulations shall be from the open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buy Back Regulations. Further, as required under the Act and Buy Back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, in the Buy Back, until they become fully paid up, or until the pendency of the lock-in, or until the Equity Shares become transferable, as applicable.

1.8. A copy of this Public Announcement is available on the Company's website (www.ghcl.co.in), expected to be available on the website of the SEBI (www.sebi.gov.in) and available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) during the Buy Back Period.

2. NECESSITY FOR THE BUY BACK AND DETAILS THEREOF

2.1. The Buy Back is being undertaken by the Company after taking into account the operational cash requirements of the Company in the medium term and for returning surplus funds to the members in an effective and efficient manner. The Buy Back will help the Company achieve the following objectives: (i) optimize returns to shareholders; and (ii) enhance overall shareholders' value. The Buy Back is being undertaken, inter-alia, for the following reasons:

(i) The Buy Back will help the Company to return surplus cash to its shareholders holding Equity Shares;

(ii) The Buy Back may help in improving return on equity, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value; and

(iii) The Buy Back gives an option to the shareholders holding Equity Shares of the Company, who can choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buy Back offer or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post the Buy Back Offer, without additional investment.

2.2. The Buy Back may lead to reduction in outstanding Equity Shares, improvement in earnings per equity share, and enhanced return on invested capital. The Buy Back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

2.3. The Board at its meeting held on January 23, 2020, considered the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the last audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2019, and considering these, the Board decided to allocate a sum of ₹ 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores only) excluding the Transaction Costs for distributing to the shareholders holding Equity Shares of the Company through the Buy Back.

3. BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUY BACK OFFER PRICE AND OTHER DETAILS

3.1. The Maximum Buy Back Offer Price of ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing share price of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges for a period of 2 (two) weeks before date of meeting of Board of Directors, the net worth of the Company and the potential impact of the Buy Back on the earning per share of the Company. The Maximum Buy Back Offer Price excludes Transaction Costs.

3.2. The Maximum Buy Back Offer Price is at a premium of 22.58% and 22.55% over the closing prices on BSE (i.e. ₹ 203.95) and the NSE (i.e. ₹ 204.00), respectively, on January 16, 2020 , which is one day prior to the notice of the Board Meeting and premium of 16.85% and 16.82% over the closing prices on BSE (i.e. ₹ 213.95) and the NSE (i.e. ₹ 214.00), respectively, on January 17, 2020 , being the date of intimation of the date of the Board Meeting to consider the Buy Back proposal was given to BSE and NSE. The Maximum Buy Back Offer Price represents a premium of 25.12% and 25.16% compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares on NSE and BSE, respectively, during the 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting.

3.3. The Buy Back is proposed to be completed within a maximum period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy Back. Subject to the Maximum Buy Back Offer Price of ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share for the Buy Back and maximum validity period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy Back and achievement of the Minimum Buy Back Offer Size, the actual time frame and the price for the Buy Back will be determined by the Board (including a committee thereof, if any, constituted by the Board or persons nominated by the Board to exercise its powers in relation to the Buy Back), at their discretion, in accordance with the Buy Back Regulations.

3.4. In accordance with Section 68(2)(d) of the Act and Regulation 4(ii) of the Buy Back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company after Buy Back shall not be more than twice the paid-up capital and free reserves based on both audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019 of the Company.

3.5. The amount required by the Company for the Buy Back (including the cost of financing the Buy Back and the Transaction Costs) will be invested out of cash and bank balances/ deposits and/or short term investments and/or internal accruals of the Company.

4. METHOD TO BE ADOPTED FOR BUYBACK AS REFERRED TO IN REGULATION 4(IV)(B)(II) AND REGULATION 16 OF THE BUYBACK REGULATIONS

4.1. The Buy Back is open to all beneficial owners/shareholders holding Equity Shares of the Company, subject to members holding Equity Shares in physical form ("**Physical Shares**") shall participate in the Buy Back post dematerialisation of such Physical Shares. The Promoters, members of promoter group, and the persons in control of the Company shall not participate in the Buy Back. Further, as required under the Buy Back Regulations, the Company will not Buy Back Equity Shares which are locked in or non-transferable, until the pendency of such lock-in or until the time such Equity Shares become transferable, as applicable. The Buy Back shall be from the open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buy Back Regulations.

4.2. Shareholders holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy Back, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of either of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy Back of the Equity Shares. The consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid to the shareholders only by way of cash through normal banking channel. For details on process and methodology to be adopted for the Buy Back and method of settlement refer paragraph 13 and 14 respectively.

5. PROMOTER SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

5.1. The details of aggregate shareholding in the Company of the Promoters, members of the promoter group and the directors of the promoter, where the promoter is a Company and of persons in control of the Company, as on January 17, 2020 is 1,81,94,510 Equity Shares representing 18.53% of the total Equity Share capital of the Company is as follows:

Sr. No	Name of Shareholder	No of Equity Shares	% of paid-up Equity Share capital
1	Gems Commercial Company Limited	29,40,207	2.99
2	Banjax Limited	27,89,700	2.84
3	Hexabond Limited	27,18,200	2.77
4	Oval Investment Pvt Limited	25,88,848	2.64
5	Lhonak Enternational Private Limited	13,65,599	1.39
6	Hindustan Commercial Company Limited	7,90,286	0.80
7	Moderate Investment And Commercial Enterprises Ltd	6,14,050	0.63
8	International Resources Limited	6,11,147	0.62
9	Anurag Dalmia (HUF)	5,32,774	0.54
10	Carissa Investment Pvt Limited	4,81,752	0.49
11	Harvatex Engineering And Processing Company Limited	4,15,723	0.42
12	WGF Financial Services Limited	3,78,807	0.39
13	Excellent Commercial Enterprises And Investment Limited	3,77,800	0.38
14	Carefree Investment Company Limited	3,02,150	0.31
15	Anurag Trading Leasing And Investment Company Pvt Limited	2,87,200	0.29
16	Divine Leasing And Finance Limited	2,49,304	0.25
17	Dalmia Finance Limited	2,00,244	0.20
18	Ram Krishna Dalmia Foundation	1,65,000	0.17
19	Archana Trading And Investment Company Pvt. Limited	1,32,848	0.14
20	Anurag Dalmia	1,00,000	0.10
21	Bharatpur Investment Limited	38,842	0.04
22	Sanjay Trading Investment Company Private Limited	29,100	0.03
23	General Exports And Credits Limited	17,000	0.02
24	Golden Tobacco Limited	16,578	0.02
25	Pashupatinath Commercial Pvt. Limited	15,000	0.02
26	Sovereign Commercial Pvt. Limited	6,000	0.01
27	Dalmia Housing Finance Limited	5,707	0.01
28	Trishul Commercial Pvt. Limited	5,100	0.01
29	Swastik Commercial Pvt. Limited	3,700	0.00
30	Alankar Commercial Private Limited	2,600	0.00
31	Ricklunsford Trade And Industrial Investment Limited	1,960	0.00
32	Chirawa Investment Limited	1,860	0.00
33	Lakshmi Vishnu Investment Limited	1,860	0.00
34	Mourya Finance Limited	1,860	0.00
35	Sikar Investment Company Limited	1,800	0.00
36	Antarctica Investment Pvt Limited	768	0.00
37	Comosum Investment Pvt Limited	701	0.00
38	Lovely Investment Pvt Limited	645	0.00
39	Altar Investment Pvt Limited	318	0.00
40	Ilac Investment Private Limited	217	0.00
41	Dear Investment Pvt Limited	55	0.00
	Total (Holding of Promoter & Promoter Groups) (A)	**1,81,93,310**	**18.52**
	Holding of one Director of Promoter Company (B)	1,200	0.01
	Total (A+B)	**1,81,94,510**	**18.53**

5.2. Except as mentioned below, the Promoter, promoter group and the directors of the corporate promoters, and persons who are in control of the Company have purchased or sold any Equity Shares of the Company during the period of 12 months preceding the date of the Public Announcement (i.e. January 24, 2020) and six (6) months preceding the date of meeting of the Board of the Company, approving the Buy Back (i.e. January 23, 2020):

Sr. No.	Name of the Shareholder	Aggregate number of Equity Shares purchased/ sold	Nature of Transaction	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price	Maximum Price(₹)	Date of Maximum Price
1	Mr. Anurag Dalmia, Non -Executive Director & Vice Chairman	1,00,000	Purchases	182.80	23-08-2019	193.00	23-08-2019
2	Hotex Company Ltd	78	Transferred into IEPF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	Golden Tobacco Limited	4,00,000	Invocation of pledged Equity Shares	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	Mr. Arvind Agarwal	1,000	Purchase	184.00	01-01-2020	184.00	01-01-2020

6. PARTICIPATION BY PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY

6.1. In accordance with Regulation 16(ii) of the Buy Back Regulations, since the Buy Back is being implemented by way of open market purchases through the Stock Exchanges, the Buy Back shall not be made by the Company from the Promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company.

6.2. Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buy Back Regulations, neither the Promoters and members of the promoter group nor their associates/person in control shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the Stock Exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the promoters or promoter group) during the period from the date of the Board Meeting till the completion of the Buy Back.

7. NO DEFAULTS

7.1. The Board of Directors confirm that there are no defaults (either in the past or subsisting) in repayment of deposits, interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder, or repayment of term loans or interest payable thereon to any financial institution or any bank/banking company.

8. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

8.1. The Board of Directors of the Company has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion:

8.1.1. that immediately following the date of the Board Meeting held on January 23, 2020, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

8.1.2. that as regards the Company's prospects for the year immediately following that date and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that date; and

8.1.3. in forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Act (including prospective and contingent liabilities).

9. REPORT BY THE COMPANY'S AUDITORS

The text of the Report of S.R. Batliboi & Co. LLP Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company, dated January 23, 2020, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

Independent Auditor's Report on buy back of shares pursuant to the requirement of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended

The Board of Directors
GHCL Limited
GHCL House, Opp. Punjabi Hall
Navrangpura, Ahmedabad- 380009

1. This Report is issued in accordance with the terms of our service scope letter engagement letter/agreement dated July 17, 2019 and master engagement agreement dated July 28, 2017 with GHCL Limited (hereinafter the "Company").

2. In connection with the proposal of **GHCL** Limited ("the Company") to buy back its equity shares in pursuance of the provisions of Section 68, 70 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Regulations"), and in terms of the resolution passed by the directors of the Company in their meeting held on January 23, 2020, , we have been engaged by the Company to perform a reasonable assurance engagement on the Statement of determination of the amount permissible capital payment (including premium) (the "Statement"), which we have initialed for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement of determination of the amount permissible capital payment for the buyback is the responsibility of the Board of Directors of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs and offer document of the Company and to form an opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of meeting.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on the following "Reporting Criteria":

(i) Whether the amount of capital payment (including premium) for the buy-back is within the permissible limit and computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act;

(ii) Whether the Board of Directors has formed the opinion, as specified in Clause (X) of Schedule I to the Regulations, on reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of meeting;

(iii) Whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

6. The standalone and consolidated financial statements referred to in paragraph 9 below as at and for the year ended March 31, 2019 have been audited by us, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated April 25, 2019. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

9. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the Reporting criteria mention in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated with the Reporting Criteria. We have performed the following procedures in relation to the Statement:

i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2019;

ii) Examined authorization for buyback from the Articles of Association of the Company;

iii) Examined that the amount of permissible capital payment (including premium) for the buy-back as detailed in Annexure A is within permissible limit computed in accordance with section 68 of the Act based on audited standalone and consolidated financial statements;

iv) Examined that the ratio of debt owned by the Company, if any, shall not be more than twice the total paid-up equity share capital and its free reserve after such buy-back;

v) Examined that all shares for buy-back are fully paid-up;

vi) Examined resolutions passed in the meetings of the Board of Directors;

vii) Examined Director's declarations for the purpose of buy back and solvency of the Company;

viii) Obtained necessary representations form the management of the Company.

Opinion

10. Based on our examination as above, and the information and explanations given to us, we state that we have inquired in to the state of affairs of the Company and in our opinion,

(i) the Statement of permissible capital payment towards buyback of equity shares, as stated in Annexure A, is in our view properly determined in accordance with Section 68 of the Act; and

(ii) the Board of Directors, in their meeting held on January 23, 2020, have formed the opinion, as specified in clause (x) of Schedule I of the Regulations, on reasonable grounds, that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from passing of board resolution dated January 23, 2020 and we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

Restriction on Use

11. The certificate is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Regulations solely to enable them to include it (a) in the explanatory statement to be included in the postal ballet notice to be circulated to the shareholders, (b) in the public announcement to be made to the Shareholders of the Company or for providing to the Manager in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Sections 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, (c) in the draft letter of offer and letter of offer to be filed with the Securities and Exchange Board of India, the stock exchanges, the Registrar of Companies as required by the Regulations, the National Securities Depository Limited and the Central Depository Securities (India) Limited (d), and should not be used by any other person or for any other purpose.

12. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For **S.R. Batliboi & CO. LLP**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 301003E/E300005

sd/-

per Atul Seksaria
Partner
Membership Number: 086370
UDIN: 20086370AAAAAD7168

Place of Signature: Gurugram
Date: January 23, 2020

Statement of permissible Capital Payment (Annexure A)

Computation of amount permissible capital payment towards buy back of equity shares in accordance with section 68 of the Act and SEBI Buyback Regulations, based on Audited financial statements as at and for the period ended March 31, 2019

(Rs. in Crs.)

Particulars	Standalone	Consolidated
Paid up capital as at March 31, 2019 (A) (9,80,28,286 shares @ Rs. 10 each)	98.03	98.03
Free Reserves as on March 31, 2019		
- Retained Earnings	1,672.61	1,649.24
- General Reserve	37.13	37.13
- Share Premium Account	19.74	19.74
Total	1,827.51	1,804.14
Maximum amount permissible for Buy-back i.e. 10% of the total paid-up equity capital and free reserves (in accordance with section 68 of the Act) #	182.75	180.41
Maximum amount permitted by the Board Resolution dated January 23, 2020 approving Buy-Back	60.00	60.00

#Note: As per the provisions of Section 68 of Companies Act 2013, if buy-back is 10% or less of the total paid-up equity share capital and free reserves of the company, buy-back can be authorized by passing a resolution by the Board in Board Meeting

sd/-
Name: Raman Chopra
Designation: CFO & Executive Director Finance
DIN/PAN: 00954190

Date: January 23, 2020
Place: Noida

Unquote

Contd...

www.readwhere.com

10. DETAILS OF SHAREHOLDER APPROVAL FOR THE BUYBACK, IF APPLICABLE

Since the Maximum Buy Back Offer Size is less than 10% of the total paid-up capital and free reserves of the Company based on both standalone and consolidated audited financial statements of the Company as on March 31, 2019 the approval from the shareholders of the Company, in accordance with the proviso to the Section 68(2)(b) of the Act and proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buy Back Regulations is not required.

11. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUYBACK

11.1. At the Maximum Buy Back Offer Price and for Maximum Buy Back Offer Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 24,00,000 (Twenty Four Lakhs) Equity Shares. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy Back Offer Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Indicative Maximum Buy Back Shares (assuming full deployment of Maximum Buy Back Offer Size) but will always be subject to the Maximum Buy Back Shares and Maximum Buy Back Offer Size.

11.2. The actual number of Equity Shares bought back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back, and the aggregate consideration paid in the Buy Back, subject to the Maximum Buy Back Offer Size. The actual reduction in existing number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buy Back Period.

11.3. Further, the Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buy Back Offer Size i.e., ₹ 30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores only) towards the Buy Back and the Company will accordingly purchase an indicative minimum of 12,00,000 (Twelve Lakhs) Equity Shares, based on the Maximum Buy Back Offer Price. However, the Maximum Buy Back Shares will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company.

11.4. The amount required by the Company for the Buy Back (including the cost of financing the Buy Back and the Transaction Costs) will be invested out of cash and bank balances/ deposits and/or short term investments and/or internal accruals of the Company.

11.5. The Buy Back will be implemented by the Company out of its securities premium account and other free reserves and in accordance with Section 68 (1) of the Act and Regulation 4 (ix) of the Buy Back Regulations.

12. PROPOSED TIMETABLE FOR THE BUY BACK

Activity	Date
Date of receipt of Board approval	Thursday, January 23 , 2020
Date of publication of the Public Announcement	Saturday, January 25, 2020
Date of commencement of the Buy Back	Monday, February 03, 2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialised mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges
Extinguishment of Equity Shares/certificates	The Equity Shares (in dematerialised form) will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, as amended, and the bye-laws, the circulars and guidelines framed thereunder. The Company shall ensure that all Equity Shares bought back are extinguished within 7 (seven) days of the expiry of the Buy Back Period.
Last Date for the Buy Back ("**Buy Back Closing Date**")	Earlier of : a) Friday, July 31, 2020 (i.e. within 6 months from the date of the opening of the Buy Back) b) when the Company completes the Buy Back by deploying the amount equivalent to the Maximum Buy Back Offer Size or completes the Buy Back by acquiring Maximum Buy Back Shares; or c) at such earlier date as may be determined by the Board (including a committee thereof, constituted by the Board or persons nominated by the Board/committee to exercise its powers, and/or the powers conferred by the Board resolution in relation to the Buy Back), after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buy Back Offer Size (even if the Maximum Buy Back Offer Size has not been reached or the Maximum Buy Back Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the Buy Back shall be completed before the last date for the Buy Back.

13. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY BACK

13.1. The Buy Back is open to all shareholders of the Company holding Equity Shares in dematerialised form ("**Demat Shares**"). Shareholders holding shares in physical form can participate in the Buy Back after such Equity Shares are dematerialized by approaching their depository participant. The Promoters, members of promoter group and person in control of the Company shall not participate in the Buy Back.

13.2. Further, as required under the Act and Buy Back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, in the Buy Back, until they become fully paid up, or until the pendency of the lock-in, or until the Equity Shares become transferable, as applicable.

13.3. The Buy Back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buy Back Regulations.

13.4. For the implementation of the Buy Back, the Company has appointed Emkay Global Financial Services Limited as the registered brokers ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buy Back would be made by the Company.

The contact details of the Company's Broker are as follows:

Emkay Global Financial Services Limited
CIN: L67120MH1995PLC084899
The Ruby, 7th Floor,
Senapati Bapat Marg,
Dadar (West), Mumbai - 400 028
Contact Person: Mr. Jayant Kadam
SEBI Registration no: INZ000203933
Website: www.emkayglobal.com
Tel: 91 22 66121212
Fax: 91 22 66121299

13.5. The Equity Shares are traded in dematerialised mode under the Security code 500171 at BSE and Symbol GHCL at NSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE539A01019. For detailed procedure with respect to tendering of Equity Shares, the Stock Exchanges will be issuing notice with detailed procedures. Shareholders may refer the notice to understand procedure on how to tender their Equity Shares in this Buy Back.

13.6. The Company, shall, commencing from Friday, February 03, 2020 (i.e., the date of opening of the Buy Back), place "buy" orders on the BSE and/or NSE on the normal trading segment to Buy Back the Equity Shares through the Company's Broker in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buy Back Offer Price of ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buy Back of Equity Shares, the identity of the Company as a purchaser would be available to the market participants of the Stock Exchanges.

13.7. Procedure for Buy Back of Demat Shares: Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy Back, would have to do so through their stockbroker, who is a registered member of either of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy Back of the Equity Shares. The Company shall place a "buy" order for Buy Back of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buy Back price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and receipt of payment to the respective shareholders will be made by their respective brokers, who would have placed the order. The Company's Broker will be placing the order on the Stock Exchanges platform. The settlement of payment will be in accordance with the Stock Exchanges settlement mechanism and payment will be made directly into the bank account of the shareholders by the clearing members of the respective Stock Exchanges. Orders for Equity Shares can be placed on the trading days of the Stock Exchanges. The Company is under no obligation to place "buy" order on a daily basis. It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buy Back and that the same would depend on the price at which the trade with that shareholder/ beneficial owner was executed on the Stock Exchanges.

13.8. Procedure for Buy Back of Physical Shares: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), read with SEBI's press releases dated December 3, 2018, and March 27, 2019, effective from April 1, 2019, transfers of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository ("**LODR Amendment**"). In light of the LODR Amendment, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy Back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUYBACK BEFORE BUYBACK CLOSING DATE.

13.9. Shareholders are requested to get in touch with the Manager to the Buy Back or the Company's Broker or the Registrar and Share Transfer Agent of the Company to clarify any doubts in the process.

13.10. Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buy Back Offer Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buy Back any Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buy Back Offer Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buy Back, to the extent permissible bylaw. If the Company is not able to complete the Buy Back equivalent to the Minimum Buy Back Offer Size, the amount held in the Escrow Account up to a maximum of 2.5% (Two point five percent) of the Maximum Buy Back Offer Size, shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buy Back Regulations.

13.11. The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it, to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buy Back Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website on a daily basis.

13.12. Shareholders who intend to participate in the Buy Back should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

13.13. The Company shall comply with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended, wherever and if applicable. The Company hereby declares that it is in compliance with Sections 68, 69 and 70 of the Act and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

14. METHOD OF SETTLEMENT

14.1. **Settlement of Demat Shares:** The Company will pay consideration for the Buy Back to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the respective Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account styled "**GHCL Limited Buy Back 2020**" -Buy Back demat account with Emkay Global Financial Services Limited ("**Buy Back Demat Account**"). **Demat** Shares bought back by the Company will be transferred into the Buy Back Demat Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buy Back, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective depository participant ("DP") for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company.

15. EXTINGUISHMENT

15.1. **Extinguishment of Demat Shares:** The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018, as amended and its bye-laws, the circulars, and guidelines framed thereunder, each as amended from time to time, in the manner specified in the Buy Back Regulations and the Act. The Equity Shares lying in credit in the Buy Back Demat Account will be extinguished fifteenth day of the succeeding month, in which the securities are bought back, provided that the Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within seven (7) days from the expiry of the Buy Back period.

15.2. Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

16. BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

16.1 The Company was incorporated under the Companies Act, 1956, on October 14,1983 and is listed on the Stock Exchanges. The CIN is L24100GJ1983PLC006513. The registered office of the Company is situated GHCL House opp. Punjabi Hall Navrangpura Ahmedabad Gujarat 380009.

16.2. The Company is a-diversified group in chemicals, textiles and consumer products segment. In chemicals, the Company mainly manufactures soda ash that is a major raw material for detergents &glass industries and sodium bicarbonate (baking soda). Textiles operations is an integrated vertical set up which commences right from spinning of fiber (yarn), weaving, dyeing, printing till the finished products, like sheets & duvets, take shape which are primarily exported. In consumer products the Company mainly manufactures edible salt, industrial grade salt for domestic market.

17. BRIEF FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

17.1. The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 and the unaudited standalone financial statements for the nine months ended December 31, 2019 is provided hereunder:

Particulars	Limited Reviewed financials for nine months ended Dec 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2018	For the Year Ended March 31, 2017
(₹ in Cr)	Unaudited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)
Revenue from Operations	2,532.41	3,371.18	2,956.52	2,942.68
Other Income	15.88	13.54	35.75	37.49
Total Income	2,548.29	3,384.72	2,992.27	2,980.17
Total Expenses (excluding Interest, Depreciation & Amortisation, Tax and Exceptional Items)	1,936.84	2,601.00	2,343.11	2,255.74
Interest	95.79	126.32	124.16	133.77
Depreciation and amortization expenses	84.73	116.29	109.53	85.69
Exceptional items	9.57	-	-	3.04
Profit before tax (after exceptional items)	421.36	541.11	415.47	501.94
Provision for Tax (including Deferred Tax)	94.75	180.08	50.98	115.16
Profit/(Loss) after tax	326.61	361.03	364.49	386.78
Other Comprehensive Income/(Loss) for the year net of tax	0.38	1.64	3.47	1.39
Total Comprehensive income for the period	326.99	362.67	367.96	388.17
Equity Share Capital	98.21	98.03	97.42	99.47
Reserves & Surplus*	2,002.54	1,729.48	1,416.11	1,146.94
Networth*	2,100.75	1,827.51	1,513.53	1,246.41
Total Debt (excluding working capital loans)	694.16	701.35	913.79	916.67

*Note: * Excluding revaluation reserves and miscellaneous expenditure to the extent not written off.*

17.2. Financial Ratios for the audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017, is provided hereunder:

Particulars	For the Year Ended March 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2018	For the Year Ended March 31, 2017
	Audited (Ind-AS)		
Basic Earnings Per Share (₹)	36.88	37.32	38.82
Diluted Earnings Per Share (₹)	36.56	37.08	38.57
Debt to Equity Ratio	0.38	0.60	0.74
Book Value (₹ per share)	186.42	155.36	125.31
Return on Networth (%)	20.3%	25.1%	32.8%
Total Debt/Networth	0.71	0.87	1.15

The key ratios are computed as below:

Book value per share	Networth / No. of Equity Shares outstanding at the end of financial year
Earnings per share	Profit after tax / Weighted average no. of Equity Shares
Debt to equity ratio	Long Term Debt / Networth
Return on Networth (%)	Profit after tax / Networth excluding revaluation reserves
Total Debt/Networth	Total Debt (including long & short term debt) / Networth

17.3. The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 and the unaudited consolidated financial statements for the nine months ended December 31, 2019 is provided hereunder:

Particulars	Limited Reviewed financials for nine months ended Dec 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2018	For the Year Ended March 31, 2017
(in Cr)	Unaudited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)	Audited (Ind-AS)
Revenue from Operations	2,564.62	3,341.32	2,994.03	2,972.52
Other Income	16.76	15.51	37.94	39.96
Total Income	2,581.38	3,356.83	3,031.97	3,012.48
Total Expenses (excluding Interest, Depreciation & Amortisation, Tax and Exceptional Items)	1,983.00	2,581.92	2,387.96	2,291.70
Interest	85.99	127.34	126.55	136.78
Depreciation and amortization expenses	96.31	116.94	110.10	85.69
Exceptional items	9.57	-	-	3.04
Profit before tax (after exceptional items)	406.51	530.63	407.36	495.28
Provision for Tax (including Deferred Tax)	94.75	180.05	51.06	115.22
Profit/(Loss) after tax	311.76	350.58	356.30	380.06
Other Comprehensive Income/(Loss) for the year net of tax	(0.89)	(3.24)	5.00	2.53
Total Comprehensive income for the period	310.87	347.34	361.30	382.59
Equity Share Capital	98.21	98.03	97.42	99.47
Reserves & Surplus*	1,964.33	1,706.11	1,403.23	1,142.21
Networth*	2,062.54	1,804.14	1,500.65	1,241.68
Total Debt (excluding working capital loans)	694.92	702.03	913.79	916.67

*Note: * Excluding revaluation reserves and miscellaneous expenditure to the extent not written off.*

17.4. Financial Ratios for the audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017, is provided hereunder:

Particulars	For the Year Ended March 31, 2019	For the Year Ended March 31, 2018	For the Year Ended March 31, 2017
	Audited (Ind-AS)		
Basic Earnings Per Share (₹)	35.81	36.13	38.26
Diluted Earnings Per Share (₹)	35.50	35.90	38.01
Debt to Equity Ratio	0.39	0.61	0.74
Book Value (₹ per share)	184.04	154.03	124.83
Return on Networth (%)	20.0%	25.0%	32.0%
Total Debt/Networth	0.71	0.87	1.15

The key ratios are computed as below:

Book value per share	Networth / No. of Equity Shares outstanding at the end of financial year
Earnings per share	Profit after tax / Weighted average no. of Equity Shares
Debt to equity ratio	Long Term Debt / Networth
Return on Networth (%)	Profit after tax / Networth excluding revaluation reserves
Total Debt/Networth	Total Debt (including long & short term debt) / Networth

18. DETAILS OF ESCROW ACCOUNT

18.1. In accordance with Regulation 20 of the Buy Back Regulations, the Company has created an escrow arrangement towards security for performance of its obligations under the Buy Back Regulations in the form of Cash Escrow (as defined below). Further, the Company may create an escrow arrangement towards security for performance of its obligations under the Buy Back Regulations in the form of Bank Guarantee (as defined below) before the date of commencement of Buy Back.

18.2. The Company has opened an escrow account titled "**GHCL Limited Buy Back Escrow A/c**" ("**Escrow Account**") pursuant to escrow agreement dated January 24, 2020 entered between the Manager to the Buy Back, the Company and HDFC Bank Limited ("**Escrow Bank**") and deposited therein cash aggregating to ₹ 16,50,00,000 (Rupees Sixteen Crores and Fifty Lakhs only), being 27.5% of the Maximum Buy Back Offer Size ("**Cash Escrow**"). The Company has authorized Emkay Global Financial Services Limited ("**Manager to the Buy Back**") to operate the Escrow Account in compliance with the Buy Back Regulations.

18.3. In addition, the Company may instruct the Escrow Bank to issue a bank guarantee in favour of the Manager to the Buy Back for an amount of ₹ 15,00,00,000 (Rupees Fifteen Crores only) ("**Bank Guarantee**"), being 25% of the Maximum Buy Back Offer Size before the date of commencement of Buy Back. In the event the Bank Guarantee is issued by the Escrow Bank in favour of the Manager to the Buy Back before the date of commencement of Buy Back, the Company may utilize the Cash Escrow for payment to the shareholders in terms of Regulation 20 (vi) of the Buy Back Regulations under Buy Back subject to maintaining an amount of ₹ 1,50,00,000 (Rupees One Crore Fifty Lakhs only), being 2.5% of the Maximum Buy Back Offer Size. The Bank Guarantee shall be valid until 30 days after the Closing date of the Buy Back.

18.4. In terms of the Buy Back Regulations, upon completion of the Buy Back equivalent to the Minimum Buy Back Offer Size, the Cash Escrow in the Escrow Account shall be released to the Company.

18.5 Subject to the provisions of the Buy Back Regulations, if the Company is not able to complete the Buy Back to the equivalent of the Minimum Buy Back Offer Size, the amount upto a maximum of ₹ 1,50,00,000 (Rupees One Crore Fifty Lakhs only) held in the Escrow Account shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buy Back Regulations.

19. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

19.1. The Equity Shares are listed on the Stock Exchanges.

19.2. The high, low and average market prices of the Equity Shares for the preceding three calendar years and the monthly high, low and average market prices of the Equity Shares for the six months preceding the date of this Public Announcement and their corresponding volumes on the BSE and the NSE are as follows:

BSE:

Calendar Year	High (₹)	Date of high	Number of Equity Shares traded on date of high	Low (₹)	Date of low	Number of Equity Shares traded on date of low	Average price for the Calendar Year (₹)	Total Number of Equity Shares traded	Total Volume (₹ in Cr)
Three Calendar Year:									
2019	277.20	28/May/19	19,687	178.10	24/Dec/19	7,537	224.14	3,735,300	86.2
2018	357.50	24/Jan/18	251,895	189.50	26/Oct/18	10,445	262.96	16,840,439	480.2
2017	324.00	27/Dec/17	161,392	203.65	27/Sep/17	48,888	253.43	21,690,178	569.2
Six Months:									
Dec-19	216.00	6/Dec/19	6,868	178.10	24/Dec/19	7,537	191.66	184,792	3.6
Nov-19	218.50	1/Nov/19	8,545	200.70	29/Nov/19	5,246	207.71	125,371	2.6
Oct-19	225.70	23/Oct/19	85,759	195.50	15/Oct/19	13,925	210.22	325,462	6.9
Sep-19	227.00	27/Sep/19	8,521	186.00	3/Sep/19	3,766	205.41	359,343	7.4
Aug-19	213.40	9/Aug/19	6,762	178.50	23/Aug/19	12,606	198.56	129,341	2.6
Jul-19	242.00	3/Jul/19	1,949	205.00	25/Jul/19	14,165	221.25	177,850	3.9

NSE:

Calendar Year	High (₹)	Date of high	Number of Equity Shares traded on date of high	Low (₹)	Date of low	Number of Equity Shares traded on date of low	Average price for the Calendar Year (₹)	Total Number of Equity Shares traded	Total Volume (₹ in Cr)
Three Calendar Year:									
2019	277.45	28/May/19	241,559	178.10	24/Dec/19	167,857	224.13	30,474,845	699.0
2018	357.40	24/Jan/18	1,374,409	189.00	25/Oct/18	148,154	263.07	63,357,577	1,799.6
2017	324.40	27/Dec/17	1,127,525	204.00	27/Sep/17	243,857	253.44	120,247,894	3,178.5
Six Months:									
Dec-19	205.00	5/Dec/19	123,018	178.10	24/Dec/19	167,857	191.63	2,647,725	50.7
Nov-19	219.00	1/Nov/19	55,719	200.40	29/Nov/19	34,960	207.84	1,395,282	29.1
Oct-19	226.00	23/Oct/19	931,340	197.85	18/Oct/19	213,985	210.08	2,628,521	56.3
Sep-19	227.00	27/Sep/19	107,136	185.60	3/Sep/19	34,692	205.28	2,630,157	55.0
Aug-19	213.50	9/Aug/19	71,880	178.40	23/Aug/19	234,500	198.46	1,424,289	27.9
Jul-19	242.30	3/Jul/19	33,367	204.80	25/Jul/19	131,770	221.26	2,605,118	56.8

Source: www.bseindia.com & www.nseindia.com

Contd...

www.readwhere.com

एक हजार करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला : सीबीडीटी

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

ललित होटल श्रृंखला चलाने वाले भारत होटल्स समूह पर छापेमारी में आयकर विभाग को विदेशों में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति और भारी मात्रा में कालेधन का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने छापेमारी के बाद जारी बयान में हालांकि, किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह भारत होटल्स समूह का मामला है। समूह की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी हैं।

सीबीडीटी ने कहा कि जांच से परतें खुली हैं और इसमें 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्तियों की जानकारी मिली है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर 35 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का भी पता चला है। सीबीडीटी ने कहा कि इस मामले

ललित होटल समूह पर छापेमारी

में कालाधन कानून, 2015 और आयकर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। सीबीडीटी ने कहा कि समूह की विदेशी संपत्तियों में ब्रिटेन के होटल में निवेश, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्तियां और विदेशी बैंकों में नकद जमा शामिल है।

बयान में कहा गया है कि भारत होटल समूह देश के होटल उद्योग का प्रमुख सदस्य है। इसके विदेश में होटल होने के साथ ही देश में विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध ब्रांड नाम से लक्जरी होटलों की श्रृंखला है। सीबीडीटी ने कहा कि अब तक छापेमारी में 24.93 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें 71.5 लाख रुपए नकद और 23 करोड़ रुपए के आभूषण और 1.2 करोड़ रुपए की महंगी घड़ियां शामिल हैं।

विभाग ने समूह की, सूरी और अन्य के दिल्ली और आसपास के 13 परिसरों पर 19 जनवरी को छापेमारी शुरू की थी। भारत होटल्स समूह देश में ललित होटल श्रृंखला का परिचालन करता है। ज्योत्सना सूरी 1989 से भारत होटल्स समूह से जुड़ी है। उन्होंने 2006 में अपने पति ललित सूरी के निधन के बाद समूह की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाला।

विसलब्लोअर मामले में जांच बढ़ाने के लिए सेबी से नहीं मिला कोई निर्देशः इंफोसिस

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी इंफोसिस ने शुक्रवार को कहा कि उसे विसलब्लोअर के खुलासा मामले में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से आगे और जांच का कोई निर्देश नहीं मिला है। विसलब्लोअर ने कंपनी के शीर्ष कार्यकारियों पर बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

सूत्रों के अनुसार, विसलब्लोअर के आरोपों को लेकर सेबी की जांच जारी है और नियामक कंपनी को खाते की फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिये कह सकता है। कंपनी ने इस महीने कहा था कि उसकी ऑडिट समिति को वित्तीय अनियमितता अथवा कार्यकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

सूचकांक 227 अंक चढ़ा, निफ्टी 68 अंक मजबूत

मुंबई, 24 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक बाजारों में सुधार के बीच बैंक और सीमेंट कंपनियों के शेयरों में जोरदार लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 227 अंक चढ़ गया। इससे लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 226.79 अंक या 0.55 फीसद की बढ़त के साथ 41,613.19 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 41,697.03 अंक का उच्चस्तर और 41,275.60 अंक का निचला स्तर भी छुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67.90 अंक या 0.56 फीसद की बढ़त के साथ 12,248.25 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे अधिक 2.47 फीसद चढ़ गया। अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 80 फीसद की बढ़त के साथ 712 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे कंपनी के शेयर में उछाल आया।

वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट से पहले बैंकिंग शेयरों में लिवाली का सिलसिला चला। एक्सिस बैंक का शेयर 2.01 फीसद, कोटक बैंक का 1.98 फीसद और भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 0.25 फीसद के लाभ में रहा। एचडीएफसी का शेयर 1.02 फीसद, बजाज फाइनेंस का 1.56 फीसद, लार्सन एंड टुब्रो का 2.03 फीसद, टाइटन 1.91 फीसद और हीरो मोटोकॉर्प 1.53 फीसद, टेक महिंद्रा 2.43 फीसद और एचसीएल टेक 1.57 फीसद के लाभ में रहे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- अच्छे बजट की उम्मीद और कंपनियों के तीसरी तिमाही नतीजों के बीच बाजार में तेजी रही।

भारत की आर्थिक सुस्ती अस्थायी, आगे सुधार की उम्मीद : आइएमफ प्रमुख

दावोस, 24 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने शुक्रवार को कहा कि भारत में आर्थिक सुस्ती अस्थायी है और उन्हें आने वाले समय में इसमें सुधार की उम्मीद है। जॉर्जीवा ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2020 में यहां कहा कि अक्तूबर 2019 में जब आइएमएफ ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की घोषणा की थी, उस समय के मुकाबले जनवरी 2020 में दुनिया अच्छी स्थिति में दिख रही है।

कहा, अक्तूबर 2019 में जब आइएमएफ ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की घोषणा की थी, उस समय के मुकाबले जनवरी 2020 में दुनिया अच्छी स्थिति में दिख रही है।

उन्होंने कहा कि माहौल सकारात्मक बनाने वाले कारकों में अमेरिका और चीन के बीच पहले दौर का व्यापार समझौता होना शामिल है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में जारी व्यापार तनाव में कमी आई है। इसके अलावा कर में कटौतियां भी परिवेश को सकारात्मक बनाने में शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 3.3 फीसद की आर्थिक वृद्धि दर को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'यह अभी भी सुस्त वृद्धि है। हम चाहते हैं कि राजकोषीय नीतियां और आक्रामक हों। हम संरचनात्मक सुधार तथा अधिक गतिशीलता चाहते हैं।' जार्जीवा ने उभरते बाजारों के बारे में कहा कि ये बाजार भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने एक बड़े बाजार भारत में गिरावट देखी है लेकिन हमारा मानना है कि यह अस्थायी है। हमें आने वाले समय में गति बढ़ने का अनुमान है। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे कुछ अन्य बेहतर बाजार भी हैं।'

उन्होंने कहा कि कई अफ्रीकी देश भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिको जैसे कुछ देश अच्छा नहीं कर रहे हैं। आइएमएफ प्रमुख ने उत्पादकता की दीर्घकालिक वृद्धि में सुस्ती तथा निम्न मुद्रास्फीति को वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित हो सकने वाले जोखिमों में एक बताया।

उन्होंने कहा, 'हम पहले से अधिक जोखिमों वाली दुनिया में जी रहे हैं। अभी सिर्फ जनवरी ही गुजर रहा है और अभी ही ऐसी कुछ घटनाएं हो गई हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष जोखिम उपस्थित कर रही हैं।'

सब्जी पैदावार में बंगाल सबसे आगे, यूपी दूसरे स्थान पर

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल 2018-19 में सब्जी उत्पादन में सबसे आगे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हाल में जारी बागवानी उत्पादन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में पश्चिम बंगाल में सब्जियों का उत्पादन 2.95 करोड़ टन रहा। इस दौरान यह देश में किसी राज्य में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन है। उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश में सब्जी उत्पादन 2.77 करोड़ टन रहा।

इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 2.77 करोड़ टन के उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश 2.83 करोड़ टन के उत्पादन के साथ शीर्ष पर रहा था। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में देश में कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 15.9 फीसद रहा। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 14.9 फीसद, मध्य प्रदेश का 9.6 फीसद, बिहार का नौ फीसद और गुजरात का 6.8 फीसद रहा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप कुमार मजूमदार ने कहा कि यह एक बेहतरीन उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशन में हम किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इससे उत्पादन भी बढ़ रहा है।

एअर एशिया के अधिकारियों को ईडी ने भेजे नए समन

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए एअर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीज समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने कंपनी और इसके अधिकारियों के खिलाफ 2018 में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

सूत्रों ने कहा कि ईडी ने फर्नांडीज को पांच फरवरी को, उनके डिप्टी और समूह के पूर्व डिप्टी सीईओ बो लिंगम को तीन फरवरी को और एअर एशिया इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक (रिपीट पूर्व निदेशक) आर. वेंकटरमण को 10 फरवरी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। कंपनी के मौजूदा और पूर्व प्रबंधन से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी उपस्थित होने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने इससे पहले इनमें से कुछ अधिकारियों को इसी महीने उपस्थित होने का समन जारी किया था। हालांकि, कुछ अधिकारियों के उपस्थित नहीं हो पाने और कुछ अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग करने के कारण नई तारीखें दी गई हैं।

ये समन धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच के सिलसिले में अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और उनके बयानों को रेकार्ड किया जाएगा। एअर एशिया पर आरोप है कि उसने अपनी भारतीय अनुषंगी एअर एशिया इंडिया लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस दिलाने के लिये सरकारी नीतियों को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिशें की हैं। ईडी की जांच इसी आरोप से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में कंपनी और इसके अधिकारियों के खिलाफ मई 2018 में मामला दर्ज किया था।

Notes:

1. High prices are based on the daily high prices
2. Low prices are based on the daily low prices
3. Average prices are based on the daily closing prices.
4. In case of two days with the same closing price, the date with the higher volume has been chosen.
5. In the case of a year, represents the average of the closing prices at the end of the day.
6. In the case of a year, represents the average of the closing prices on the last day of each month of each year presented at the end of the day.

19.3. There has been no change in the Equity Share capital of the Company including by way of bonus issue, rights issue or consolidation of Equity Shares during the period for which data has been disclosed.

19.4. The market price immediately prior and after the date of the resolution of the Board approving the Buy Back:

Particulars (Closing Price in ₹)	BSE	NSE
Day prior to Board meeting approving the Buy Back (i.e. January 22, 2020)	207.20	207.45
Day after the Board meeting approving the Buy Back (i.e. January 24, 2020)	192.15	192.10

Source: www.bseindia.com & www.nseindia.com

20. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

20.1. The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buy Back will be, as follows:-

Particulars	₹ in cr.	
	Pre Buy Back	Post Buy Back*
Authorised 175,000,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	175.00	175.00
Issued, Subscribed and Paid up Pre Buy Back: 9,82,13,286 Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid up Post Buy Back: 9,50,13,286 Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid up	98.21	95.01

*Assuming the Company buy back the Maximum Buy Back Shares. The capital structure post completion of the Buy Back may differ depending on the actual number of Equity Shares bought back under the Buy Back.

20.2. As on the date of this Public Announcement, there are no partly paid up Equity Shares, no call-in-arrears and no outstanding instruments convertible into Equity Shares except 36,50,000 (Thirty Six Lakhs Fifty Thousand) ESOS which are not exercised/vested.

20.3. Shareholding pattern of the Company, as on January 17, 2020 (i.e. based on latest benepose before Public announcement) and post Buyback is as shown below:

Shareholders	Pre-Buy Back		Post-Buy Back*	
	No. of Equity Shares	% of Outstanding Shares	No. of Equity Shares	% of Outstanding Shares
Promoters	1,81,93,310	18.52	1,81,93,310	19.15
Public Shareholding:				
Banks Financial Institutions, Mutual Funds	1,33,00,898	13.54	7,68,19,976	80.85
Individuals	2,25,71,993	22.98		
Indian Public & Corporates	2,07,66,359	21.14		
Insurance Companies	33,66,423	3.43		
IEPF	8,86,602	0.90		
Foreign Institutional Investors	1,55,48,358	15.83		
NRIs	15,82,839	1.61		
Others	19,96,504	2.03		
Total	9,82,13,286	100.00	9,50,13,286	100.00

*Assuming the Company buys back the Maximum Buy Back Shares. The shareholding, post completion of the Buy Back, may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back in the Buy Back.

20.4. The Promoters, members of the promoter group and person in control of the Company are not permitted to deal in the Equity Shares on the Stock Exchanges or off-market, including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters from the date of the Board approval until the closure of the Buy Back.

20.5. While the Promoters, members of the promoter group and person in control of the Company are not eligible to participate in the Buy Back, depending on the number of Equity Shares bought back by the Company, their effective shareholding percentage in the Company, will increase marginally.

20.6. Such an increase in the percentage holding/voting rights of the Promoters, members of the promoter group and person in control of the Company, is not an active acquisition and is incidental to the Buy Back and falls within the limits prescribed under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended.

21. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUY BACK ON THE COMPANY

21.1. The Buy Back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except for the cost of financing the Buy Back, being a reduction in the treasury income that the Company could have otherwise earned on the funds deployed for the Buy Back.

21.2. The Buy Back of Equity Shares will result in a reduction in Equity Share capital and consequently, is expected to be earning per share accretive. The Company believes that the Buy Back will contribute to the overall enhancement of shareholders' value going forward. The amount required by the Company for the Buy Back (including the cost of financing the Buy Back and the Transaction Costs) will be invested out of cash and bank balances/deposits and/or short term investments and/or internal accruals of the Company.

21.3. Pursuant to Regulation 16 (ii) of the Buy Back Regulations, the Promoters, members of the promoter group and person in control of the Company are not entitled to participate under the Buy Back. The Buy Back of Equity Shares will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

21.4. Consequent to the Buy Back and based on the number of Equity Shares bought back from the shareholders including resident outside India, erstwhile overseas corporate bodies, foreign portfolio investors and non-resident Indian share holders but excluding the Promoters, the shareholding pattern of the Company would undergo a change, however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up Equity Share capital of the Company.

21.5. As required under Section 68(2)(d) of the Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid up Equity Share capital and free reserves post the Buy Back.

21.6. Unless otherwise determined by the Board (including a committee thereof, if any, constituted by the Board or persons nominated by the Board to exercise its powers in relation to the Buy Back) the Buy Back will be completed within a maximum period of 6 months from the date of opening of the Buy Back. The Company shall not withdraw the Buy Back after this Public Announcement has been made.

21.7. The Company shall not raise further capital for a period of one year from the closure of the Buy Back, and the Company shall not issue any Equity Shares or other specified securities including by way of bonus, or convert any outstanding ESOS/outstanding instruments into Equity Shares till the date of closure of the Buy Back.

21.8. Consequent to the Buy Back and based on the number of Equity Shares bought back by the Company from its shareholders (other than from its Promoters, promoter group and person in control), the shareholding pattern of the Company would undergo a change.

21.9. Salient financial parameters consequent to the Buy Back based on the latest audited standalone and consolidated financial statements as of March 31, 2019, of the Company are as under:

Parameter	Standalone		Consolidated	
	Pre-Buy Back (As on March 31, 2019)	Post-Buy Back^ (Based on financial position as on March 31, 2019)	Pre-Buy Back (As on March 31, 2019)	Post-Buy Back^ (Based on financial position as on March 31, 2019)
Net Worth (₹ in crores)	1,827.51	1,753.53	1,804.14	1,730.16
Return on Net Worth (%)	20.2%	20.6%	19.8%	20.3%
Basic Earnings per Equity Share (in ₹)	36.88	38.16	35.18	36.66
Diluted Earnings per Equity Share (in ₹)	36.56	37.42	35.50	36.34
Book value per Equity Share (in ₹)	186.42	183.36	184.04	180.93
Price/Earnings as per financial statements for the financial year ended March 31, 2019 (in ₹)	6.78	6.62	6.98	6.82
Total Debt/Equity Ratio (Total Debt/Networth)	0.66	0.69	0.68	0.70

^ The Networth, Earnings per share and Book value per Equity Share has been calculated using the Networth and Profit after Tax as on March 31, 2019 and the number of Equity Shares has been taken as on the date of the Public Announcement adjusted for the Indicative Maximum Buy Back Shares.

Note:

a. For the above purpose, "Networth" means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account, after deducting the revaluation reserves, aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited standalone and consolidated balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation. (Pre and post Buy Back calculations are based on audited standalone and consolidated financials as on March 31, 2019. The post Buy Back numbers are calculated by reducing the net worth by the proposed Buy Back amount (assuming full Acceptance) without factoring in any impact on the profit & loss account.

b. Return on Networth is computed as Profit after Tax for the period divided by average Networth for the period (computed as average of opening and closing Networth).

c. Earnings per share calculated as Profit after Tax for the period divided by total number of shares pre BuyBack and total number of shares post Buy Back.

d. Book Value per Equity Share calculated as pre BuyBack Networth divided by total number of shares pre BuyBack and post BuyBack Networth divided by total number of shares post Buy Back.

e. Price/Earnings is calculated at Buy Back price divided by Earnings per Equity Share pre Buy Back and Earnings per Equity Share post BuyBack.

f. Total debt/equity Ratio is calculated as total debt divided by Networth.

22. STATUTORY APPROVALS

22.1. Pursuant to Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Act and the Rules, if any, made thereunder and the Buy Back Regulations, the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

22.2. The Buy Back from each shareholder is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the RBI, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buy Back. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

22.3. The Buy Back shall be subject to such necessary approvals as may be required and the Buy Back from overseas corporate bodies and other applicable categories, shall be subject to such approvals of the RBI, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

22.4. To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buy Back, as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their Equity Shares to the Company, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buy Back.

23. COLLECTION AND BIDDING CENTRES

23.1. The Buy Back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centres and bidding centres is not applicable.

24. COMPLIANCE OFFICER AND INVESTOR SERVICE CENTRE

24.1. Mr. Bhuwneshwar Mishra, Sr. General Manager & Company Secretary of the Company has been appointed as the Compliance Officer for the Buy Back in terms of Regulation 24(3) of the Buy Back Regulations.

24.2. Compliance Officer contact details, as follows:-
Mr. Bhuwneshwar Mishra
Compliance Officer for Buy Back
Add: GHCL House, B - 38, Institutional Area, Sector - 1 , Noida - 201301
Tel: 0120 - 3358143
Fax: 0120 - 2535209
E-mail: secretarial@ghcl.co.in

24.3. Company's Registrar and Share Transfer Agent has been appointed as the investor service centre for the purposes of the Buy Back, in terms of the Buy Back Regulations, and can be contacted at:-

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
CIN: U67190MH1999PTC118368
Registration No.: INR000004058
C-101, 1st Floor, 247 Park,
L.B.S. Marg, Vikhroli (West),
Mumbai, Maharashtra - 400083
Tel: 91 22 49186000
Fax: 91 22 49186060
Contact Person: Mr. Ganapati Haligouda
Email: ganapati.haligouda@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in

25. MANAGER TO THE BUY BACK

The Company has appointed the following as Merchant Banker to the Buy Back:

Emkay

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN: L67120MH1995PLC084899
SEBI Reg. No.: INM000011229
The Ruby, 7th Floor,
Senapati Bapat Marg,
Dadar (West), Mumbai - 400028
Website: www.emkayglobal.com
Contact Person: Mr. Deepak Yadav
Tel: 91 22 6612 1212
Fax: 91 22 66242355
E-mail: ghcl.buyback@emkayglobal.com

26. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy Back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buy Back and confirm that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information. This Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on January 23, 2020.

For and on behalf of the Board of GHCL Limited

sd/-	sd/-	sd/-
Mr. R S Jalan	Mr. Raman Chopra	Mr. Bhuwneshwar Mishra
Managing Director	Chief Finance Officer &	Sr. General Manager & Company
(DIN: 00121260)	Executive Director (Finance)	Secretary & Compliance Officer
	(DIN: 00954190)	(PAN: AIWPM9469M)

Place : Noida
Date : January 24, 2020

PRESSMAN

www.readwhere.com

बाबूलाल मरांडी की झाविमो ने हेमंत सरकार से समर्थन वापस लिया

रांची, 24 जनवरी (भाषा)।

बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा ने झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार से शुक्रवार को यह आरोप लगाते हुए समर्थन वापस ले लिया कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस उसके विधायकों को खुलेआम तोड़ने की कोशिश कर रही है। झाविमो के केंद्रीय महासचिव सरोज सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झाविमो ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले लिया है।

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक निर्वाचित हुए थे जिनमें से मांडर के विधायक बंधू तिर्की को पार्टी ने दो दिनों पूर्व पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। विधानसभा में अब झाविमो के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत दो विधायक शेष हैं। झाविमो ने दिल्ली में पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और निष्कासित विधायक बंधू तिर्की के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का संज्ञान लिया और शुक्रवार को सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किया। इसके अलावा झाविमो ने पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को विधायक दल के नेता पद से भी पदच्युत कर दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को लिखे अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'हमारी झाविमो ने 24 दिसंबर को आपके नेतृत्व में संप्रग गठबंधन सरकार को बिना शर्त समर्थन देने के लिए पत्र लिखा था।' मरांडी ने आगे लिखा है, 'संप्रग गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ही हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं। इस प्रकार का समाचार मीडिया में आया है।' मरांडी ने कहा है, 'इस परिस्थिति में हमारी पार्टी समर्थन के मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए आपके नेतृत्व में चल रही संप्रग गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेती है।' नवंबर-दिसंबर 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में 81 सदस्यीय विधानसभा में झाविमो के तीन विधायक चुनाव जीत कर आए थे जबकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, उसकी सहयोगी कांग्रेस को 16 और राजद को एक सीट मिली थी।

मिनी ट्रक पलटने से चार श्रमिकों की मौत, 10 घायल

खरगोन (मध्य प्रदेश), 24 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कमोदवाड़ा रोड पर बमनाला के पास शुक्रवार सुबह मजदूरों से खचाखच भरे मिनी ट्रक के पलटने से इसमें सवार दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।भीकनगांव पुलिस थाने की उप निरीक्षक अंतिमवाला ने बताया कि मृतकों में से तीन की पहचान मनीषा, रोहित व सिलदार के रूप में की गई है, जबकि मृतकों में शामिल एक अन्य महिला की शिनाख्त की जा सकी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सीएए बतौर विषय पढ़ाने की तैयारी

लखनऊ, 24 जनवरी (भाषा)।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में जनसभाओं और विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्रों को सीएए बतौर विषय पढ़ाने की तैयारी कर रहा है और इसे बाकायदा विषय में शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय का राजनीति शास्त्र विभाग सीएए को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राजनीति शास्त्र विभाग की प्रोफेसर शशि शुक्ला ने कहा कि हम लोग अपने विभाग में संविधान और नागरिकता पढ़ाते हैं। ये भारतीय राजनीति का एक समसामयिक मुद्दा है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको हमारे छात्र-छात्राओं को हम लोग पढ़ाएं। उन्होंने कहा, 'ये अभी प्रस्ताव के चरण में है। अभी यह पूरी एकेडेमिक प्रोसेस (अकादमिक प्रक्रिया) से होकर गुजरेगा। उसके बाद पाठयक्रम का हिस्सा बनेगा।' प्रोफेसर शशि ने कहा, 'पहली चीज मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि फिलहाल यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग नागरिकता तो पढ़ाते ही हैं ...संविधान तो हम पढ़ाते ही हैं। दूसरी बात ये है कि कोई पाठ्यक्रम जैसी चीज शुरू नहीं कर रहे हैं।

हमारे यहां पेपर ही है इंडियन पालिटिक्स का। उसमें हम समसामयिक मुद्दे जो पढ़ाते हैं, उसमें अबकी बार इसको भी शामिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि बस ये है हमारा प्रस्ताव जो फैकल्टी शिक्षकों ने अपना तय किया है। प्रस्ताव राजनीतिक शास्त्र विभाग की ओर से है। आप देख ही रहे हैं कि इस पर इतनी चर्चा हो रही है। प्रोफेसर ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी है और लोगों को गलत जानकारी भी है। विशेषकर हमारे छात्र छात्राएं ये सवाल लेकर हमारे पास आते हैं कि हम लोगों से हर जगह पूछा जाता है।

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि.
कॉर्पोरेट कार्यालयः साधना हाउस, 2 रा तल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400018
टेलीः 22 66523500, फैक्सः +91 22 24972741, CIN-U6592MH2007PLC169791 अंचल कार्यालयः एलडीए कॉलोनी, बी 2/बी 70, कानपुर रोड, फीनिक्स मॉल के निकट, लखनऊ-226005

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना यहां नीचे वर्णित ऋणधारकों को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/सह-ऋणधारकों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज के सथ यहां नीचे वर्णित राशि के लिये महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों, अनुसूचित सम्पत्ति, बकाया देयता, धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसमें मांग की गई राशि तथा कब्जा की तिथि का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं. ऋण राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. कब्जा की तिथि 2. मांग सूचना तिथि 3. बकाया राशि (रु. में)
एस 1039314 वन्दना सोनी, जीतेन्दर सोनी (भौतिक कब्जा)	भूमि 472 वर्ग मीटर, गणना रजिस्टर प्लॉट नं. बी-20, खसरा नं. 22 का भाग, शुभ सांई रेजीडेन्सी, ग्रुम सैदुल्लापुर दादरी, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश 203207 का सभी भाग तथा हिस्सा।	1. 21.01.2020 2. 01.11.2019 3. रु. 559729/-

(शिशिर सुमन) प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल, हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये

SBI
तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, दक्षिण बंगाल
जीवनदीप बिल्डिंग, दूसरा तल, 1, मिडलटॉन स्ट्रीट, कोलकाता-700071, फोनः (033) 2288 4437, फैक्सः 9033) 2288 4302, ई-मेल आईडी- sbi.15196@sbi.co.in

इ-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
[नियम 8 (6) व 9 (1) के प्रावधानों को देखें]

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 (6) के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये इ-नीलामी बिक्री सूचना

इ-नीलामी की तिथि व समयः दिनांकः 26.02.2020 समयः 120 मिनट पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक प्रत्येक बोली के लिए 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। भागीदारी के अनुरोध पत्र/ केवाईसी दस्तावेज/ इएमडी का प्रमाण आदि सभी को प्रस्तुत करने की तिथि व समयः 24.02.2020 को अपराह्न 4.00 बजे तक या उससे पूर्व।

जनता को सामान्य तौर पर तथा कर्जदार तथा गारंटर को विशेष तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूतित ऋणदाता को रेहन/ प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका प्रतीकात्मक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की बिक्री ट्राईटैक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. फ्लैट नं.- 2बी, ''मधुनीर'' प्रथम तल, 8/8, बिजोयगढ़ कोलकाता- 700032, गारन्टरः i) श्रीमती आम्रपाली बसू, ii) श्री सुप्रीतम बसू से प्रतिभूतित ऋणदाता को देय 3,97,08,772.00 + ब्याज + प्रभार की वसूली के लिए 26.02.2020 को ''जैसी है जहां है'' ''जैसी है जो कुछ है'' तथा ''जो कुछ वहां है'' के आधार पर की जाएगी और आरक्षित मूल्य 239.40 लाख होगा और धरोहर राशि 23.94 लाख रु. होगी व बाद की राशि बैंक को 24.02.2020 को या उससे पूर्व जमा करनी है।

(ज्ञात प्रभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण)

कंपनी के निदेशक में से एक श्रीमती आम्रपाली बसू द्वारा स्वामित्व में दूसरा तल (भूमि रकबा 320 वर्ग फुट का अनुपातिक 50% हिस्सा) पर छत के 50% अधिकार और फ्लैट नं. धरातल ए-40, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली, रकबा 1623 वर्ग फुट का सम्यक रेहन।

कब्जे का प्रकारः प्रतीकात्मक

बिक्री की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूतित ऋणदाता वेबसाइटः www.sbi.co.in और https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ ibapi.jsp तथा विशेष लिंकः https://www.sbi.co.in में प्रदान किए गए लिंक को देखें।

दिनांकः 25.01.2020
स्थानः कोलकाता
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
विकास मार्ग शाखा, ए-45/46, लक्ष्मी नगर, गुरू नानक पुरा, समीप मधुबन चौक, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इण्डिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का आदेश 3) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा13(2) के तहत **दिनांक 22.10.2019** को एक मांग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री दूजेन्द्र भारद्वाज और श्रीमति अदीति भारद्वाज (ऋणी एवं गारंटर)** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि **रु. 31,16,371.80/-(रुपए इकत्तीस लाख सोलह हजार तीन सौ इकहत्तर एवं अस्सी पैसे मात्र)** दिनांक 30.09.2019 तक देय राशि व इस से आगे का ब्याज, व्यय एवंम अन्य शुल्कों सहित उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/गारंटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 14(1) के तहत नियम 9 के सपठित नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा **दिनांक 22 जनवरी, 2020** को ले लिया है।

ऋणी/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया रु. **31,16,371.80/-(रुपए इकत्तीस लाख सोलह हजार तीन सौ इकहत्तर एवं अस्सी पैसे मात्र)** 30.09.2019 को आगे के ब्याज, व्यय, अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट नं.-681, शक्ति खण्ड-III, (एस के-III/681) इंदिरा पुरम, गाजियाबाद, उ. प्र. 201010 माप क्षेत्र 200.11 वर्ग मीटर पर बनी संपत्ति के सभी भाग और अंश।

दिनांक : 22.01.2020
स्थान : दिल्ली एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इण्डिया

Aro granite industries ltd.
(100% Export Oriented Unit)
CIN : L74899DL1988PLC031510
Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110025
Ph. : 011-41686169, Fax : 011-26941984, Email : arodelhi@arotile.com, Website : www.arotile.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2019

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019	Previous Year ended 31.03.2019	Corresponding 3 months ended 31.12.2018
		Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from operations	4,359.35	17,450.34	4,407.05
2.	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items*)	50.61	1,252.66	424.86
3.	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	50.61	1,252.66	424.86
4.	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	65.95	971.11	415.46
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	51.19	962.70	417.26
6.	Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		16,492.47	
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic: 2. Diluted	0.33 0.33	6.29 6.29	2.20 2.20

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements (Regulations) 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website www.arotile.com.

For and on behalf of the Board
-Sd-
Sunil Kumar Arora
Managing Director

Place : Hosur, Tamil Nadu
Date : January 24, 2020

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. विजय सिंह चौहान, पुत्र बुध सिंह चौहान, मकान सं. 284 (तोमर पब्लिक स्कूल के निकट), भोरगढ़, नरेला, पश्चिम दिल्ली-110024, साथ हीः प्लॉट नं. 36 एवं 37, सम्पूर्ण प्रथम एवं दूसरा तल, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001, साथ हीः हॉल नं. 193, गली नं. 3, छलेरा बांगर, गली नं. 3, ग्राम छलेरा, सेक्टर 44, नोएडा, उ.प्र., साथ हीः बांगर सेक्टर-44, नोएडा, उत्तर प्रदेश, फ्लैट नं. बी-12 ए, 0412 ए फ्लोर, टावर बी, ऐस सिटी, प्लॉट नं. जीएच- 01, सेक 1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. 201306, गाजियाबाद-नोएडा, गौतम बुध नगर 201306 उत्तर प्रदेश, प्लॉट नं. 36, 37 प्रथम एवं दूसरा तल, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद 201001, उत्तर प्रदेश।
2. उदय सिंह चौहान, पुत्र बुध सिंह चौहान, मकान सं. 284 (तोमर पब्लिक स्कूल के निकट), भोरगढ़, नरेला, पश्चिम दिल्ली-110024, साथ हीः हॉल नं. 193, गली नं. 3, छलेरा बांगर, ग्राम छलेरा, सेक्टर 44, नोएडा, उ.प्र., साथ हीः बांगर सेक्टर-44, नोएडा, उत्तर प्रदेश, साथ हीः प्लॉट नं. 36 एवं 37, सम्पूर्ण प्रथम तथा दूसरा तल, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001, फ्लैट नं. बी-12 ए, 0412 ए तल, टावर बी, ऐस सिटी, प्लॉट नं. जीएच- 01, सेक 1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. 201306, गाजियाबाद- नोएडा, गौतम बुध नगर 201306, उ.प्र., प्लॉट नं. 36, 37 प्रथम तथा द्वितीय तल, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद 201001, उत्तर प्रदेश।

सम्पत्ति का पताः प्लॉट नं. 36 एवं 37, सम्पूर्ण प्रथम एवं दूसरा तल, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001,

प्रिय महोदय/ महोदया,

एलएएन 7922712 में 25.9.2017 को टीसीएफएसएल की दिल्ली खाता द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 15 जनवरी, 2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 7922712 में रु. 13687713.36 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सतासी हजार सात सौ तेरह एवं पैसे छित्तीस मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 जनवरी, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 15 जनवरी, 2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. एलएएन 7922712 में रु. 1,36,87,713.36 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सतासी हजार सात सौ तेरह एवं पैसे छित्तीस मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

प्लॉट नं. 36 एवं 37 सम्पूर्ण प्रथम एवं दूसरा तल, क्षेत्रफल माप 2625 वर्ग फीट, नई बस्ती, राइट गंज, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001 (एमएमजी हॉस्पीटल के सामने)

चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः प्लॉट नं. 35, दक्षिणः प्लॉट नं. 37

चूंकि सूचना 15 जनवरी, 2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः जनवरी, 2020
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

मुफ्त रजि. आइएनसी - 26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)(ब) के मामले में
और
आईटी-साईट कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
निबंधित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर-26, 7 फ्लोर, टॉवर-बीए-40, सेक्टर-62, आई-थम नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, इंडिया स्थित है, के मामले में
याचिकाकर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन अनुबंध कानून का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **'उत्तर प्रदेश राज्य' से 'झारखण्ड राज्य'** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **07 जनवरी 2020** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन की पुष्टि की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत ट्रेक फाइल करे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में विस्तृत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण सम्मिलित हो के साथ अपनी प्राप्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या तुरंत कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजना।
आईटी-साईट कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट नंबर-26, 7 फ्लोर, टॉवर-बीए-40, सेक्टर-62, आई-थम नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301, इंडिया
कृते आईटी-साईट कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
राजीव कुमार गिरि
निदेशक
डीआईएन : 08283984
पता : रोड नंबर-04, ब्लॉक नंबर-4, बिरसानगर, कांड्रा गोविंदपुर टाटानगर, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड- 831004
तिथि : 24.01.2020
स्थान : नोएडा

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
सदर बाजार शाखा
4499/13, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, दिल्ली- 110006
टेली. नं.: 011-23533023, 23672648

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.11.2019 जारी कर ऋणधारक श्री/ मै. पंकज होजिअरी फैक्ट्री (प्रॉप. कैलाश चंद गुप्ता एवं गारन्टर श्रीमती बबीता गुप्ता को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,22,318.50 (रुपये नौ लाख बाईस हजार तीन सौ अठारह एवं पैसे पचास मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारक (कों) पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः
1. बबीता गुप्ता (सम्पत्ति के स्वामी) के स्वामित्व में वार्ड नं. XIII, बडवाला चौक, पहारी धीरज, दिल्ली-06 में उसके नीचे की भूमि में आनुपातिक शेयर के साथ भू तल से उपरोक्त तलों तक सामूहिक प्रवेश, पैसेज एवं सीढ़ियों के साथ भूमि माप 175 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पत्ति एमसीडी नं. 3162 के सम्पूर्ण भू तल तथा दूसरे तल पर दो कमरे तथा ओपन टैरेस में शामिल भूमि एवं भवन- आवासीय, **चौहद्दीः** पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः गली, उत्तरः गली, दक्षिणः गली
2. फर्म मै. पंकज होजिअरी फैक्ट्री के स्टॉक का हाइपोथेकेशन।

तिथिः 22.1.2020
स्थानः नई दिल्ली
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

कार्यालय रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. स. 572/2018
दिनांक : 26.12.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम
मैसर्स महादुर्गा एग्रोटेक एण्ड केमिकल्स लि. एवं अन्य

सीडी सं. 1. मैसर्स महादुर्गा एग्रोटेक एण्ड केमिकल्स लि., 204, ईएमसीए हाउस, 23/23-बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
सीडी सं. 2. प्रमोद कुमार पाण्डे पुत्र चन्द्रभान पाण्डे, 7/53, मॉडल टाउन, बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा।
सीडी सं. 3. राजाराम मुसद्दी पुत्र महादेव प्रसाद मुसद्दी, 62/16, बैलीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700073.
सीडी सं. 4. दिलीप मुसद्दी पुत्र आर.आर. मुसद्दी, 62/16, बैलीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700073.
सीडी सं. 5. ब्रह्मदत्त ओझा पुत्र घनश्याम ओझा, 8, मन्दिर स्ट्रीट, कोलकाता-700073.
सीडी सं. 6. देवीदत्त पुत्र कँवर लाल, 30, ग्राम परनाला, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा।
साथ ही : सैनी मार्केट के पीछे, रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा
सीडी सं. 7. महेन्द्र सिंह पुत्र कँवर लाल, 30, ग्राम परनाला, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा।
साथ ही : सैनी मार्केट के पीछे, रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा
सीडी सं. 8. हरी सिंह पुत्र कँवर लाल, 30, ग्राम परनाला, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा।
साथ ही : सैनी मार्केट के पीछे, रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा
सीडी सं. 9. जय सिंह पुत्र कँवर लाल, 30, ग्राम परनाला, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा।
साथ ही : सैनी मार्केट के पीछे, रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला रोहतक, हरियाणा
सीडी सं. 10. वेद सिंह पुत्र कँवर लाल, 30, ग्राम परनाला, तहसील बहादुरगढ़,

मलयाली पर्यटकों की मौत की जांच करे नेपाल: विजयन

तिरुवनंतपुरम, 24 जनवरी (भाषा)।

केरल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नेपाल सरकार को एक रिसोर्ट में चार बच्चों सहित आठ मलयाली पर्यटकों की मौत की विस्तृत जांच करानी चाहिए और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

राज्य के विधायकों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने दोनों परिवारों के मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।

मुख्यमंत्री कार्यालय की जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'नेपाल सरकार को विस्तृत जांच करनी चाहिए और उसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।' विजयन ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा था और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा लिखेंगे।

सीएए के विरोध में भाजपा के मुसलिम नेताओं ने प्राथमिक सदस्यता छोड़ी

इंदौर (मध्य प्रदेश), 24 जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को धार्मिक आधार पर बनाया गया विभाजनकारी प्रावधान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के करीब 80 मुसलिम नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। इन भाजपा नेताओं में शामिल राजिक कुरैशी फर्शीवाला ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

राजिक कुरैशी फर्शीवाला ने बताया कि करीब 80 मुसलिम नेताओं ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुरुवार को पत्र भेज कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। इनमें भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के कई पदाधिकारी शामिल हैं। कुरैशी ने कहा कि सीएए के वजूद में आने के बाद हमारा अपने समुदाय के आयोजनों में शामिल होना दूभर होता जा रहा था। इन आयोजनों में लोग हमें यह कह कर कोसते थे कि हम सीएए जैसे विभाजनकारी कानून पर कब तक चुप रहेंगे? उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के वास्तविक तौर पर पीड़ित शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। आप महज धर्म के आधार पर तय नहीं कर सकते कि फलां व्यक्ति घुसपैठिया या आतंकवादी है।

सीएए के खिलाफ भाजपा छोड़ने वाले मुसलिम नेताओं के पत्र में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार के सीएए को धार्मिक आधार पर लागू कर देश को बांटने का कार्य किया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

सीएए के विरोध में जिन भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है, उनमें से कुछ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के भाजपा नेताओं के सामूहिक इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने गुरुवार शाम कहा कि मुझे हालांकि, इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुमराह हो रहा है, तो हम उसे समझाएंगे।

भाजपा सांसद के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के आरोप में मामला दर्ज

मलप्पुरम (केरल)/बंगलुरु, 24 जनवरी (भाषा)।

केरल के मलप्पुरम जिले में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने पर एक पंचायत के हिंदुओं को पानी की सुविधा से वंचित रखने का आरोप लगाने पर कनार्टक की भाजपा सांसद शोभा करांदलजे के खिलाफ विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

केरल पुलिस ने कहा कि एक वकील की शिकायत पर सांसद व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि कुट्टिपुरम पंचायत ने उनके आरोप का खंडन किया।

कर्नाटक भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुट्टिपुरम के चेरूकुन्नू में दलित परिवारों के साथ हो रहे भेदभाव पर कार्रवाई करने के बजाय केरल की माकपा सरकार ने सच बोलने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। भाजपा की आइटी शाखा के प्रमुख अमित मालवीय और अन्य कई पार्टी नेताओं ने करांदलजे के समर्थन में ट्वीट किया। करांदलजे ने आरोप लगाया कि वहां बहुसंख्यक मुसलमान दलितों को पानी से वंचित रख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

करांदलजे ने 22 जनवरी को ट्वीट किया था कि केरल दूसरा कदम उठाने की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कुट्टिपुरम पंचायत के हिंदुओं को पानी से वंचित किया गया, क्योंकि उन्होंने सीएए 2019 का समर्थन किया। सेवा भारती तब से पानी की आपूर्ति कर रही है। क्या लुटियन पीसफुल फर्म 'गोड्स ऑन कंट्री' की इस असहिष्णुता को दिखाएगा।

कार्य शिथिलता के आरोप में यूपी के 13 अधिकारी निलंबित

लखनऊ, 24 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बदायूं कोषागार में स्टांप मैनुअल का अनुपालन न करने व कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, किसानों को बीमा दावा देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दिया जांच का आदेश

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को पांच करोड़ रुपए के गबन के आरोप में निलंबित करके जांच के आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को भी निलंबित करके उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमा कंपनियों द्वारा दावा न दिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। 'मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना' का दावा देने में बीमा कंपनी की शिकायत को योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत के खिलाफ याचिका खारिज की

चेन्नई, 24 जनवरी (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी पेरियार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी राजमणिकम द्रविड़र विदुतलाई कझगम नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई की।

सरकारी वकील ए नटराजन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने के बगैर ही अदालत आया है। न्यायमूर्ति राजमणिकम ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। वकील द्वारा इस पर सहमति जताने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

एक पत्रिका द्वारा 14 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान रजनीकांत ने आरोप लगाया था, '1971 में सेलम में पेरियार ने रैली निकाली थी जिसमें चप्पल की माला पहने भगवान की नग्न तस्वीरें दिखाई गई थीं...।'

SBI — भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, फोन नं. 28752163, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

शुद्धिपत्र

दिनांक 28.12.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदार श्री प्रेम प्रकाश और श्रीमती कृष्णा देवी (क्र.सं. 34), यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "आवेदक (श्री प्रेम प्रकाश) द्वारा 'प्रेम प्रकाश बनाम SBI के S.A. No. 241 का 2019 शीर्षक वाले मामले में माननीय डीआरटी-III, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की स्वीकृति 16.01.2020 के अनुपालन के अधीन होगी।

शेष सूचना के अनुसार रहेगी।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) वेबसाईट: www.ircon.org, CIN- L45203DL1976GOI008171

ई-प्रापण सूचना

ई-निविदा सं.: इरकॉन/2069/एमसीआरएल/ई-निविदा/003 दिनांक: 27.01.2020

"पूर्व तट रेलवे के महानदी कोयला रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) की परियोजना में अंगुल-बलराम सेक्शन के बीच एचटी तथा एलटी पावर लाइन क्रॉसिंग के सुधार" के कार्य हेतु अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निविदादाताओं से दो स्तरीय बोली प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित हैं।

कार्य की धरोहर जमा राशि	रु. 1.16 करोड़
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.02.2020

विस्तृत विवरण के लिए वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app देखें। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि होगा, तो उसे केवल वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

मुख्य महाप्रबंधक/भुवनेश्वर

शालीमार पेन्ट्स लिमिटेड
CIN: L24222HR1902PLC065611
पंजीकृत कार्यालय: स्टेनलैस सेंटर, चौथा तल, प्लाट नं. 50, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
वेबसाइट: www.shalimarpaints.com, ई-मेल: askus@shalimarpaints.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौ महीनें के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए शालीमार पेन्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशकों के बोर्ड की बैठक बुधवार, 05 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी।

इस सूचना से युक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात shalimarpaints.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात क्रमशः बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com), जहां कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

कृते शालीमार पेन्ट्स लिमिटेड
दिनांक: 24 जनवरी, 2020 हस्ता./- गौतम
स्थान: गुरुग्राम कंपनी सचिव

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
देव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	देव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	10/07/2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (दिल्ली)
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2007PTC165656
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	185/15ए, कृष्णा गली नं. 4, मौजपुर, दिल्ली-110063
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	आदेश की तिथि : 23.01.2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	20.07.2020 (सीआईआरपी प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	विनय कुमार जयरथ IBBI/IPA-002/IP-N00169/2017-18/ 10439
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	जीएच-13, फ्लैट सं. 916, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 ई-मेल : vinayjairath916@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	दावे भेजने का पता : जीएच-13, फ्लैट सं. 916, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 ई-मेल : cirp.devlandcon@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	06.02.2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और निम्नलिखित द्वारा दावा (प्रपत्र) : प्रपत्र ख : कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर प्रचालन लेनदार द्वारा दावे प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदार द्वारा दावे प्रपत्र गक : किसी वर्ग में वित्तीय लेनदार द्वारा दावे प्रपत्र घ : कामगारों अथवा किसी कर्मचारी द्वारा दावा प्रपत्र ङ : किसी कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावा प्रपत्र च : लेनदारों (वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालन लेनदारों के अतिरिक्त) द्वारा दावे। (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	दावे जमा करने हेतु प्रासंगिक प्रपत्र http://www.ibbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड किये जा सकते हैं। भौतिक पता : सी-60, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 अप्रयोज्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (नई दिल्ली) सी-II ने दिनांक 23.01.2020 को देव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

देव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 06 फरवरी, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

नाम : विनय कुमार जयरथ
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00169/2017-18/ 10439
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
देव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
तिथि : 24.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11 अप्रैल, 2002
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी), नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	कॉर्पोरेट पहचान सं. (CIN):L32109DL2002PLC148250
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का पता: डब्ल्यू जेड-15बी, भू तल, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, दिल्ली-110018, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश की तिथि: 23 जनवरी, 2020
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21 जुलाई, 2020; जो दिवाला शुरू होने की तिथि (आईसीडी) से 180 दिन है।
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नाम: सुश्री वीणा शर्मा आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01164/2018-19/11835
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेल:	बोर्ड में पंजीकृत पता: बालाजी टावर, फ्लैट नं. सी-503, सेक्टर-30, वाशी, नवी मुम्बई-400705 बोर्ड में पंजीकृत ईमेल आईडी: veenayash@outlook.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पत्राचार का पता: लेगेसिस पार्टनर्स, बी 9, निम्न भू तल, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-110016 पत्राचार के लिये ईमेल आईडी: cirp.fivecoreelectronics@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	6 फरवरी, 2020 जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल (आईआरपी) की नियुक्ति की तिथि से 14 दिन है।
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने एनसीएलटी आदेश (IB)-1671(ND)2019 तिथि 23 जनवरी, 2020 (दिवाला शुरू होने की तिथि) के माध्यम से फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिविष्ट सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 6 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व प्रमाणों के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

सुश्री वीणा शर्मा
तिथि: 25 जनवरी, 2020 अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल (आईआरपी)
स्थान: नई दिल्ली फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मामले में

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC059674
Regd. Office: 100A/1 Right wing, the capital court ground floor, Shopping centre, Munirka-III New Delhi 110067
E-mail: compliance@gogiacap.com
Website: www.gogiacap.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday 7th February, 2020 at 2.30 PM at its registered office to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the third Quarter ended on 31st December, 2019 and any other matter with the permission of the chair.

The said notice can be accessed on the website of the company at www.gogiacap.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bse.com

For Gogia Capital Services Limited
Sd/-
Place: Delhi SATISH GOGIA
Date: 25.01.2020 Managing Director

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसार के मामले में
तथा
मैसर्स राधे इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय इकाई सं. 505, पाँचवीं मंजिल, डीडीए बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 पर है

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी राधे इण्डस्ट्रीज लिमिटेड उपर्युक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करने की इच्छुक है तथा 20 जनवरी, 2020 को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी बनाने के लिए आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में निजी मर्यादित कम्पनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है।

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने हित तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ पंजीकृत डाक द्वारा 'क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003' के पास तथा एक प्रति आवेदक कम्पनी के पास इसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 14 दिनों के भीतर भेज सकता है :

(अनुभव यादव)
निदेशक (डीआईएन : 06559051)
पंजीकृत कार्यालय का पता : इकाई सं. 505, पाँचवीं मंजिल, डीडीए बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
तिथि : 25.01.2020 स्थान : दिल्ली

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.
CIN: L74999HR1985PLC019905
Regd. Off: 72-77, HSIIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind-126102 (Haryana)
Corp. Office: 1405 B, Signature Towers, South City -1, Gurugram -122001, HR
Ph: +91-124-2739000

NOTICE
BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 07th day of February, 2020 at 12.30 p.m. at 1405-B, Signature Tower, Gurugram-122001 (Haryana), inter alia, to consider and approve the unaudited standalone Financial Results of the Company for the Third Quarter ended December 31, 2019.

The above information is available on the website of the Company (www.leatherchem.com) and the BSE Limited (www.bseindia.com).

For Haryana Leather Chemicals Ltd.
Place : Gurugram SILU NANDA
Date : 24.01.2020 Company Secretary

सिंगर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L32109DL1977PLC025405)
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय: ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044
टेली: 91-11-40617777, फैक्स: 91-11-40617790, टोल फ्री नं. 1800-103-3474
ई-मेल: secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net,
वेबसाइट: www.singerindia.net

सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन व कंसोलिडेटेड) पर विचार और अनुमोदन लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.singerindia.net और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली (प्रियंका गांधी)
दिनांक: 24.01.2020 कंपनी सचिव

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
CIN: L35999HR1998PLC033943
पंजी. कार्या.: 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरूग्राम -122001, हरियाणा, इंडिया
फोन नं. 0124-3019210, 211
ईमेल आईडी: info@jmaindia.com,
वेबसाइट: www.jmaindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015, के विनियमों 29, 33, 47 और कोई अन्य विनियमों, यदि लागू हो, के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 सुबह 11:30 बजे 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरूग्राम -122001, हरियाणा, में स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिसरी तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत किया जायेगा।

उक्त बैठक का उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
हस्ता/-
सीएस राकेश पाल
स्थान: गुरूग्राम (कंपनी सचिव)
तिथि: 24.01.2020 एम. सं. ए40120

CCL INTERNATIONAL LIMITED
CIN No.: L26940DL1991PLC044520
Regd.Off.: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033
Tel.: +91-0120-4214258,
Fax.: +91-11-22417225
Email Id.: cmpsec@cclil.com,
Website: www.evocreteindia.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, February 01, 2020 at the Registered Office of the Company at M-4, Gupta Tower, B1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended December 31, 2019.

Further, pursuant to the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring, Reporting of Trading by Insiders, the Trading Window for dealing in the equity shares of the Company was closed from January 1, 2020 and would remain closed till 48 hours from the declaration of financial results.

For CCL International Limited
Sd/-
Akash Gupta
Place: New Delhi Executive Director
Date: January 24, 2020 DIN: 01940481

LUMAX
ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: द्वितीय तल, हरबंश भवन-II, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नागल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष: 011-49867832
ईमेल: lumaxshare@lumaxmail.com
वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxindustries
सीआईएन: L74899DL1981PLC012804

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 29 और 47 के प्रावधानों के अनुसार, अतः- आतिथ्य, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही एवं आर्थवार्षिक के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों व न्यायालय की अनुमति के साथ कोई अन्य मामलों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन शनिवार, दिनांक 01 फरवरी, 2020 को किया गया है।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि व्यक्तियों द्वारा व्यापार की विनियमित करने, मॉनिटर करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के उद्देश्य व कंपनी के शेयरों में काम करने के लिए कम्पनी के सभी पदनामित कर्मचारियों के लिए 'ट्रेडिंग विंडो' बुधवार, 1 जनवरी, 2020 से कंपनी के 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किये जाने के 48 घंटे बाद तक बन्द रहेगी।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
स्थान: गुरूग्राम पंकज महेन्द्रू
दिनांक: 24.01.2020 कंपनी सचिव

जगन लैम्प्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: नरेला पियाऊ, मणिहारी रोड, कुण्डली, जिला- सोनीपत, हरियाणा-131028
Tel.:+91 88148-05077,
Email: cs@jaganlamps.com
Web: www.Jaganlamps.com
CIN: L31501HR1993PLC033993

4.2.2020 को आयोजित की जाने वाली बोर्ड की बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में जगन लैम्प्स लिमिटेड के बोर्ड की एक बैठक मंगलवार, 4 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

जगन लैम्प्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 24 जनवरी, 2020 संदीप यादव
स्थान: कुंडली (सोनीपत) कम्पनी सचिव

प्रदर्शन महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को सीएए और एनआरसी के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए।

महाराष्ट्र बंद : कई जगहों पर पथराव, जनजीवन सामान्य

मुंबई/सोलापुर/पुणे, 24 जनवरी (भाषा)।

सीएए और एनआरसी के खिलाफ दलित नेता प्रकाश आंबेडकर की पार्टी द्वारा शुक्रवार को बुलाए महाराष्ट्र बंद के मद्देनजर राज्य के कई हिस्सों में पथराव की घटनाएं सामने आई। हालांकि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और जनजीवन पर खास असर नहीं पड़ा। राज्य भर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।

मुंबई में यातायात बाधित करने की कुछ घटनाओं और पथराव की छिट-पुट घटनाओं को छोड़कर शहर में बंद का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। आंबेडकर ने दावा किया कि गुरुवार रात के बाद से अब तक मुंबई में वीबीए के करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।एक अधिकारी ने बताया कि उपनगर चेम्बुर में स्वस्तिक पार्क के निकट अज्ञात लोगों ने एक 'बेस्ट' बस पर पथराव किया और ठाणे के तीन हाथ नाका पर बड़ी संख्या में वीबीए समर्थक एकत्र हुए। पुलिस ने कई वीबीए कार्यकर्ताओं को उस समय हिरासत में ले लिया जब घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर उन्होंने कुछ वाहनों को रोकने की कोशिश की।

मध्य एवं पश्चिमी रेलवे दोनों की उपनगरीय और बाहरी ट्रेन सेवाएं, मेट्रो, मोनोरेल सेवाएं, टैक्सी और ऑटो-रिक्शा की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि सभी रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

पुलिस ने बताया कि सोलापुर और औरंगाबाद जिलों में नगरीय बसों पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सोलापुर में दो अज्ञात लोगों ने बुधवार पेठ के पास एक बस पर पथराव किया, जिससे उसके शीशे क्षतिग्रस्त हो गए।

एलपीजी सिलेंडर घरों तक पहुंचा, पर इस्तेमाल बढ़ाने में नहीं मिली मदद : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

भारत में उज्ज्वला कार्यक्रम से गरीब परिवारों तक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की पहुंच तो बढ़ी है लेकिन इसका आगे इस्तेमाल बढ़ाने में मदद नहीं मिली। एक अध्ययन में यह कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उज्ज्वला कार्यक्रम से एलपीजी को गरीब परिवारों तक पहुंचाने में मदद तो मिली, लेकिन इसके बावजूद इन परिवारों ने भोजन पकाने के लिए अत्यधिक प्रदूषण वाले माध्यमों यानी लकड़ी आदि का इस्तेमाल बंद नहीं किया।

कनाडा की यूनिर्विसटी आफ ब्रिटिश कोलंबिया (यूबीसी) सहित अन्य शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा है कि ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच रसोई गैस के नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी देशों में करीब 2.9 अरब लोग भोजन आदि पकाने के लिए लकड़ी जैसे ईंधनों का प्रयोग करते हैं।

अब पोहे पर सियासत, विजयवर्गीय घिरे

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और माकपा ने शुक्रवार को भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के 'पोहा' खाने पर श्रमिकों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले बयान पर जवाबी हमला किया।

पार्टियों ने कहा कि यह बयान कोई अलग बात नहीं है बल्कि वर्तमान भाजपा की जातिवादी और सांप्रदायिक बंटवारे की मानसिकता की झलक है।

भाजपा महासचिव विजयवर्गीय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उनके घर पर काम करने वाले कुछ मजदूर बांग्लादेशी हो सकते हैं क्योंकि वे केवल पोहा खाते हैं। उनके इस बयान पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। वरिष्ठ टीएमसी नेता और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा कि इस तरह के जातिवादी और सांप्रदायिक बयान भाजपा की 'बंगाली विरोधी' मानसिकता का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि भाजपा एक बंगाली विरोधी पार्टी है। इस तरह के सांप्रदायिक बयान केवल उसी मानसिकता को दर्शाते हैं। भाजपा और उसके नेताओं को बंगाल, उसकी संस्कृति और खाने की आदतों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वे बंगाल पर राज करने का सपना देख रहे हैं। बंगालियों का अपमान करने के लिए वे जवाब दें। रॉय के बयान को माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा देश की नस्लीय रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सिर्फ रोटी नहीं खाने से कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं बन जाता है।

पोहा एक ऐसा मुख्य आहार है जो नाश्ते के रूप में बहुत लोकप्रिय है। भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है? सलीम ने कहा कि पहनावे, खान-पान और जीवनशैली के आधार पर देश की नस्लीय रूपरेखा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विजयवर्गीय की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का सिर्फ एक विस्तार है कि नागरिकता कानून के तहत हिंसा में लिप्त लोगों की पहचान उनके पहनावे से की जा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विजयवर्गीय की आलोचना करते हुए कहा कि उनका बयान पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान है।

सीएए के बाद देश से लौटने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी : बीएसएफ

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा)।

बीएसएफ ने शुक्रवार को कहा कि सीएए के लागू होने के बाद पिछले करीब एक महीने में स्वदेश लौटने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बीएसएफ के महानिरीक्षक (साउथ बंगाल फ्रंटियर) वाईबी खुरानिया ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के रास्ते ज्यादा संख्या में शरणार्थी वापस जा रहे हैं, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सटी हुई है। खुरानिया ने कहा, पिछले एक महीने में सीमावर्ती देश जाने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.... हमने केवल जनवरी में 268 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा जिनमें से अधिकतर लोग पड़ोसी देश जाने की कोशिश कर रहे थे। सीमा सुरक्षा बल के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि देश छोड़ने वाले अधिकतर शरणार्थी देश में मिस्त्री, नौकर और घर की देखभाल करने का काम करते थे। उन्होंने कहा, देश छोड़ने की सर्वाधिक संख्या उत्तर 24 परगना जिले से है।

बेहमई कांड पर विशेष अदालत में अगली सुनवाई 30 को

कानपुर देहात (उप्र), 24 जनवरी (भाषा)।

डकैती छोड़ कर नेता बनीं दिवंगत पूर्व सांसद फूलन देवी की कथित संलिप्तता वाले चार दशक पुराने बेहमई कांड मामले में विशेष अदालत में सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी। विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में इस मामले पर 18 जनवरी को फैसला आना था लेकिन केस डायरी न उपलब्ध होने की वजह से मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया था। न्यायाधीश केस डायरी उपलब्ध न कराने पर अदालत के कर्मचारियों पर नाराजगी भी जताई थी। सरकारी वकील ने बताया कि चैंबर मामले पर आज वकीलों की हड़ताल के कारण मामला 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

बलात्कार के आरोप में पुलिसकर्मी समेत चार लोग गिरफ्तार

जाजपुर(ओड़ीशा), 24 जनवरी (भाषा)।

ओड़ीशा के जाजपुर जिले में एक लड़की का अपहरण और बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लड़की के पिता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 जनवरी को दो लोगों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि धर्मशाला पुलिस थाने में सिपाही मुख्य आरोपी का रिश्तेदार है। मुख्य आरोपी, सिपाही, मामी और चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अभी तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी, उसके भाई और उसकी दो बहनों को 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों में से चार लोगों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

अन्नाद्रमुक विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

द्रमुक ने तमिलनाडु में 2017 में हुए विश्वास मत में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की याचिका पर जल्द सुनवाई का शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के बारे में वह विचार करेगी।

द्रमुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस संबंध में लंबित याचिका शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अदालत से अनुरोध किया। उन्होंने मणिपुर के एक मंत्री के मामले में शीर्ष अदालत के हालिया फैसले का जिक्र किया। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को चार हफ्ते के भीतर राज्य के वन मंत्री टी श्यामकुमार की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि संसद को इस बात पर फिर से विचार करना चाहिए कि क्या सदन के अध्यक्ष के पास सांसद-विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार रहना चाहिए क्योंकि इस पद पर आसीन व्यक्ति भी राजनीतिक दल विशेष का सदस्य होता है।

अन्नाद्रमुक के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले की पिछली बार सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल किया था कि दल बदल करने वाले विधायकों की अयोग्यता के सवाल पर अदालतों को क्यों विचार करना चाहिए जबकि संविधान ने यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया है।

मद्रास हाईकोर्ट ने अप्रैल 2018 में विधायकों को अयोग्य करने की मांग करने वाली द्रमुक की याचिका खारिज कर दी थी।

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

लाजपत नगर शाखा
आई-93, सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर-II,नई दिल्ली-110024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के अंतर्गत
बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)

क्रम सं.	शाखा, ऋणधारक (कों)/ मार्टगैजर (रों)/ गारन्टर (रों)/ सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता/ सम्पर्क सं.	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
1.	**मै. सर्वेल इंडिया प्रा. लि., पताः** एस-15, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा उसके निदेशकः 1. श्रीमती नंदिनी चौधरी, पत्नी राहुल चौधरी 2. श्रीमती चित्रा चौधरी, पत्नी स्व. एस पी चौधरी दोनों पताः सी 34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 **मार्टगैजर** 1. श्रीमती चित्रा चौधरी, पत्नी स्व. एस पी चौधरी, पताः सी 34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 2. श्रीमती शुची चौधरी रस्तोगी पताः एच. नं. 455, 21-ए, सेक्टर 21 बी, अंशतः वार्ड नं. 12 फतेहपुर, चंडीला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 3. श्री राहुल चौधरी, पुत्र स्व. एस.पी. चौधरी, पताः सी 34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 **गारन्टरों** 1. श्रीमती छवि रस्तोगी, पताः 4863/2 बी, 24, दरिया गंज, भरत राम रोड, नई दिल्ली-110002 2. श्री राहुल चौधरी, पुत्र स्व. एस.पी. चौधरी पताः सी 34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 3. श्रीमती शुची चौधरी रस्तोगी, एच. नं. 455, 21-ए, सेक्टर 21 बी, अंशतः वार्ड नं. 12 फतेहपुर, चंडीला फरीदाबाद, हरियाणा-121001	एस-15, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020 में स्थित व्यावसायिक भूमि एवं भवन, माप लगभग 3600 वर्ग फीट चौहद्दीः पूर्व एस-14, पश्चिमः एस-16, उत्तरः रोड तथा दक्षिण मैन रोड	रु. 7,31,00,000/- 03.08.2019	16.01.2020
2.	**मै. सर्वेल इंडिया प्रा. लि., पताः** एस-15, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा उसके निदेशकः 1. श्रीमती नंदिनी चौधरी, पत्नी राहुल चौधरी दोनो पताः सी-34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 **मार्टगैजरः** 1. श्रीमती छवि रस्तोगी, पताः 4863/2 बी, 24, दरियागंज, भरत राम रोड, नई दिल्ली-110002 2. श्रीमती शुची चौधरी रस्तोगी, एच. नं. 455, 21-ए, सेक्टर 21 बी, अंशतः वार्ड नं. 12 फतेहपुर, चंडीला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 **गारन्टरों** 1. श्रीमती छवि रस्तोगी, पताः 4863/2 बी, 24, दरियागंज, भरत राम रोड, नई दिल्ली-110002 2. श्री राहुल चौधरी, पुत्र स्व. एस.पी. चौधरी, पताः सी-34, फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 3. श्रीमती शुची चौधरी रस्तोगी, एच. नं. 455, 21-ए, सेक्टर 21 बी, अंशतः वार्ड नं. 12 फतेहपुर, चंडीला फरीदाबाद, हरियाणा-121001	एच 501, 5 वां तल, ब्लॉक एच, आवासीय कॉलोनी सीसपाल विहार, सेक्टर-49, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित भूमि एवं भवन, आवासीय फ्लैट माप लगभग 2016 वर्ग फीट। चौहद्दीः पूर्वः खुला, पश्चिमः एच-506, उत्तरः खुला तथा दक्षिण एच-502	रु. 2,02,00,000/- 03.08.2019	08.11.2019

जैसा कि उपरोक्त तिथि के अनुसार धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना द्वारा मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा कर लिया गया है। सम्पत्ति का कब्जा कर लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद ई-नीलामी आमंत्रित कर उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण अलग से जारी की जाने वाली बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी। चूंकि सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन निजी संधि द्वारा अथवा लोगों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि आपके पास निजी संधि अथवा लोगों से कोटेशन आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव हो तो आप इस पत्र/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर हमें उसकी सूचना दे सकते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा हम निविदा/ सार्वजनिक नीलामी/ ई-नीलामी/ निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति/मशीनरी की ब्रिकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः यह ध्यान रहे कि यदि आप उपरोक्त बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 25.01.2020 — **मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक**

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना
मामले में
ओ.ए. नं. 454/2019/डीआरटी-III
आईसीआईसीआई बैंक लि. आवेदक
बनाम
राजीव दलाल एवं अन्य प्रतिवादीगण
डी-1. श्री राजीव दलाल, पुत्र रूप चन्द (ऋणधारक तथा साथ ही कैपिटल बस सर्विस प्रा.लि. के निदेशक)
निवासीः एच.नं. 26एल, न्यू कॉलोनी, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा-121102
डी-2. कैपिटल बस सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री राजीव दलाल (ऋणधारक) जिनका कार्यालय हैः
कमरा सं. 17, आईएसबीटी, सराय काले खान, बीर हीककल राय, दिल्ली-110013
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 20.2.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

सिटी बैंक एन.ए., 5वां तल, डीएलएफ स्क्वॉयर, डीएलएफ, सिटी फेज-II, गुड़गांव-122002

नीलामी बिक्री सूचना (सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी अचल सम्पत्ति की नीलामी बिक्री
जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया तथा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा 14 (1) के अंतर्गत सिटी बैंक एन.ए. के पास गिरवी सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित स्थान एवं समय पर 26 फरवरी, 2020 को सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

बिक्री का विवरण

क्र. सं.	ऋणधारक का नाम, ऋण खाता सं., सम्पत्ति का विवरण एवं अपसेट मूल्य	प्रतिभूत ऋण, ईएमडी राशि	नीलामी का स्थान एवं समय
1.	श्री अमरजीत लाम्बा, श्री हरबंस सिंह, प्लॉट सं. 26, पॉकेट जी-16, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 खाता सं. 111423 अपसेट मूल्य : रु. 1,31,76,000 फ्लोर एरिया : 1452 वर्ग फीट	21.01.2020 तक रु. 11,42,123.96/- ईएमडी रु. 13,17,600/-	निरीक्षण की तिथि : 11 फरवरी, 2020 को 12:00 बजे दोपहर से 4:00 अप. नीलामी का स्थानः सिटीबैंक, 5वीं मंजिल, डीएलएफ स्क्वेयर, डीएलएफ सिटी, फेज-II, गुरुग्राम-122002 26 फरवरी, 2020 को 11.30 बजे अप.

नीलामी के नियम एवं शर्तें
1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा भी जहां है एवं जो भी वहां है शर्त" पर की जायेगी।
2. बोलीदाता को नियत तिथि एवं समय पर उपरोक्त सम्पत्ति(यों) के विवरणों के निरीक्षण सहित सभी दृष्टियों से सम्पूर्ण ड्यू डिलिजेन्स करना होगा।
3. सिटी बैंक एन.ए. के पास बोली जमा करने का आशय बोलीदाता द्वारा यह स्वीकारोक्ति माना जायेगा कि i) उन्होंने सभी दृष्टियों से ड्यू डिलिजेन्स किये हैं, ii) वे सभी विवरणों/ सम्पत्तियों के मापों से संतुष्ट हैं, iii) वे नीलामी को अधिशासित करने वाले सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा iv) वे भविष्य में किसी भी तिथि को बैंक के प्रति प्रतिकूल दावे करने के अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं।
4. यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। यदि ऋणधारक/ गारन्टर बिक्री से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर देते हैं तो बिक्री नहीं की जायेगी।
5. बोलीदाता को सिटी बैंक एन.ए., 5वां तल, डीएलएफ स्क्वॉयर, डीएलएफ सिटी फेज-II, गुरुग्राम-122002 में 26 फरवरी, 2020 को या पूर्व 11.00 पूर्वा. तक प्राधिकृत अधिकारी, सिटी बैंक एन.ए. को संबोधित मुहरबंद लिफाफे में बोली प्रपत्र के साथ सिटी बैंक एनए ऋण खाता 111423 के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/ डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा। कृपया ध्यान रहे कि सफल बोलीदाता के संदर्भ में ईएमडी सिटी बैंक एन.ए. द्वारा प्राप्य बिक्री मूल्य में समायोजित की जायेगी। साथ ही, असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस लौटाई जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा के तत्काल बाद 25% बोली राशि जमा करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान सिटी बैंक एनए ऋण खाता संख्या 111423 के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/ डीडी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जायेगा।
7. यदि सफल बोलीदाता उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा के तत्काल बाद 25% बोली राशि तथा 15 दिनों के भीतर शेष राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो बिना किसी सूचना के बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा बिक्री निरस्त कर दी जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि सफल बोलीदाता(ओं) के संदर्भ में बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी सिटी बैंक एन.ए. की प्राप्तियों द्वारा बिक्री मूल्य में समायोजित की जायेगी। साथ ही असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी, बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायेगी और बिक्री निरस्त कर दी जायेगी।
8. कॉन्वीयन्स के लिये देय चार्जेज/ शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, रखरखाव शुल्क, बिजली चार्जेज का वहन सफल क्रेता को ही करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी चार्ज, लिएन, सम्पत्ति कर या सरकार अथवा किसी भी स्थानीय निकाय तथा बिक्री के अंतर्गत सम्पत्ति के संदर्भ में किसी अन्य प्राधिकरण को देय बकाये के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा उसका कोई भी कारण बताये बिना बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित या रद्द करने/ बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है।
10. यह बिक्री केवल सफल क्रेता के पक्ष में होगी न कि उनके नोमिनी के पक्ष में। सम्पत्तियों के निरीक्षण तथा अन्य विवरणों के लिये इच्छुक क्रेता श्री विशाल कुमार, श्री कपिल जैन (कार्यालय) 0124 4977625 (मो.) +91-8076063777 (मो) +91-9811487755 से सम्पर्क कर सकते हैं।
11. यह विशेष रूप से ऋणधारक (कों)/गारन्टरों तथा आम जनता के लिये भी सूचना है।

स्थानः गुड़गांव — **विशाल कुमार (प्राधिकृत अधिकारी)**
तिथिः 21 जनवरी, 2020 — **सिटी बैंक एन.ए.**

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II — **मेगा ई-नीलामी सूचना**

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, फोन नं. 28752163, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

शाखा के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण पता
नामः श्री सतीश कुमार कोहली | ईमेल : kohli.satish@sbi.co.in | मो. नं.: 8527117373 | शाखा का फोन नं. 011-28753163

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित चल / अचल आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम-2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति(यों) का कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है, कि बैंक के बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी **"जैसा है जहां है आधार और जैसा है जो कुछ भी है"** आधार पर की जाएगी।

ई-नीलामी की तिथि व समय दो घंटे (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)
26-02-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पाह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी / धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% / बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स अमित हेट्रोकेम लैब्स इंडिया लिमिटेड	₹ 3,90,75,219/- दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	जी-1, औद्योगिक क्षेत्र, संधिला जिला हरदोई, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 1540 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स अमित हैट्रोकेम लैब्स इंडिया लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 19.11 लाख / ₹ 1.92 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री सतीश कोहली मो. 8527117373
2	मैसर्स अमित हेट्रोकेम लैब्स इंडिया लिमिटेड	₹ 3,90,75,219/- दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	ए2/10 औद्योगिक क्षेत्र, संधिला जिला हरदोई, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 8098.32 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स अमित हैट्रोकेम लैब्स इंडिया लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 98.16 लाख / ₹ 9.82 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री सतीश कोहली मो. 8527117373
3	मैसर्स वर्व इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अमित सर्विसेज प्रा. लि.	₹ 1611.15 लाख दिनांक 16.01.2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	ई-98, निरवाना कंट्री, साउथ सिटी जोकि गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कमल भास्कर और श्रीमती गीतांजली भास्कर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 384.71 लाख / ₹ 38.48 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री सतीश कोहली मो. 8527117373
4	मैसर्स वर्व इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अमित सर्विसेज प्रा. लि.	₹ 1611.15 लाख दिनांक 16.01.2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. एस-12ए, द्वितीय तल, ब्लॉक-ए जिसका सुपर क्षेत्रफल 16.58 वर्ग मी. (178.50 वर्ग फीट) व्यवसायिक कॉम्पलैक्स जिसे अब बानी स्वॉकर कहते है सैक्टर-50 गुडगॉव हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कमल भास्कर और श्री अशोक भास्कर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.21 लाख / ₹ 1.83 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री सतीश कोहली मो. 8527117373
5	मैसर्स वर्व इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अमित सर्विसेज प्रा. लि.	₹ 1611.15 लाख दिनांक 16.01.2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. एस-9, द्वितीय तल, ब्लॉक-ए जिसका सुपर क्षेत्रफल 26.10 वर्ग मी. (280.90 वर्ग फीट) व्यवसायिक कॉम्पलैक्स जिसे अब बानी स्वॉकर कहते है सैक्टर-50 गुडगॉव हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कमल भास्कर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 31.04 लाख / ₹ 3.11 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री सतीश कोहली मो. 8527117373

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक के सिक्योर क्रेडिटर्स की वेबसाइट www.sbi.co.in पर दिए गए लिंक को देखें।
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 20.02.2020 को अर्पा. 04.00 बजे तक
**भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र/केवाईसी/ईएमडी के प्रमाण आदि की प्रस्तुति की तिथि व समय 24.02.2020 को अप.

खबर कोना

इस्तांबुल में शुक्रवार को तुर्की-जर्मन यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर जर्मन चांसलर एंगेला मरकेल और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन

अमेरिकी बलों को हटाने के बारे में इराक से अब तक बात नहीं

वाशिंगटन, 24 जनवरी (एएफपी)।

इराक से अमेरिकी बलों को हटाने के बारे में अमेरिका ने अब तक उसके साथ कोई बातचीत शुरू नहीं की है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा। बलों को हटाने संबंधी मांग इराक की संसद से उठी थी। सीरिया और इस्लामिक स्टेट के विरूद्ध गठबंधन के लिए अमेरिका के विशेष दूत जेम्स जैफरी ने बताया, 'कोई वास्तविक समझौता नहीं हुआ है।' उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, हमारा रुख यह है कि हम इराक की सरकार के साथ संपूर्ण रणनीतिक संबंधों के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं। इराक के साथ 2008 से हमारा रणनीतिक रूपरेखा संबंधी समझौता है और इसके दायरे में आर्थिक, सुरक्षा और राजनयिक संबंध भी आते हैं।' आइएस लड़ाकों के खिलाफ अभियान तीन जनवरी को बगदाद के हवाईअड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से रूका हुआ है। जैफरी ने बताया कि सुलेमानी की मौत के बाद से आइएस की गतिविधियां नहीं बढ़ी हैं।

दक्षिण कोरिया ने दूसरे सार्स मामले की पुष्टि की

सोल, 24 जनवरी (एएफपी)।

दक्षिण कोरिया में सार्स जैसे विषाणु के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। इस विषाणु के कारण चीन में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका है। कोरोनावायरस के रूप में चिह्नित इस विषाणु के प्रसार के खतरों के मद्देनजर कई देशों ने हवाईअड्डे पर यात्रियों में इसकी जांच गहन कर दी। कोरोनावायरस की आनुवंशिक समानताएं सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) से हैं। सार्स के कारण चीन और हांगकांग में 2002-2003 में करीब 650 लोगों की मौत हो गई थी। इनकी आनुवंशिक समानताओं के कारण चीन में अधिक सतर्कता बरती जा रही है। शुक्रवार को सोल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वुहान में कार्यरत दक्षिण कोरिया के लगभग 50 वर्ष के एक व्यक्ति में दस जनवरी को इसके लक्षण नजर आने लगे थे। मंत्रालय ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में देश लौटने पर उस व्यक्ति की जांच की गई और गुरुवार को उसके दक्षिण कोरिया के इस विषाणु से पीड़ित दूसरे मामले के रूप में पुष्टि हो गई। रोग के प्रसार को देखते हुए चीन में कई शहरों से लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा कि यह रोग अब भी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति के दायरे में नहीं आया है।

'भारत बांग्लादेश से विवाद सुलझा सकता है तो काठमांडो से क्यों नहीं'

काठमांडू, 24 जनवरी (भाषा)।

नेपाल के विदेशमंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझा सकता है तो उनके देश के साथ क्यों नहीं। उन्होंने यह टिप्पणी दोनों पड़ोसियों के बीच सीमा को लेकर उभरे मतभेद के संदर्भ में कही।

भारत ने नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद नवंबर में नया मानचित्र जारी किया था। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा और गिलगित बाल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया। इस मानचित्र के सामने आने बाद नेपाल ने दावा किया कि लिम्पियाधुरा, लुपुलेक और कालापानी इलाके को भारत में दिखाया गया है जबकि वह नेपाल का हिस्सा है। वहीं भारत ने कहा कि नया मानचित्र बिल्कुल सही है और उसमें देश के संप्रभु क्षेत्र को दिखाया गया है एवं नेपाल के साथ सीमा की समीक्षा का सवाल ही नहीं है।

> *'सागरमाथा संवाद'* के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाए गए सम्मेलन में नेपाल के विदेशमंत्री ने कहा, 'अनसुलझे मुद्दे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों देशों और उनके नेताओं के बीच समझ का स्तर सबसे ऊपर है।'

यहां विदेश मंत्रालय में 'सागरमाथा संवाद' के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों के समूह से बातचीत में नेपाल के विदेशमंत्री ने कहा, 'अगर भारत बांग्लादेश के साथ जमीनी सीमा के विवाद को सुलझा सकता है तो नेपाल के साथ क्यों नहीं?' उन्होंने कहा, 'अनसुलझे मुद्दे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों देशों और उनके नेताओं के बीच समझ का स्तर सबसे ऊपर है।'

ग्यावली की टिप्पणी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि दोनों देशों के दीर्घकालिक हित के लिए सभी लंबित मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान किया जाए।

ओली ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के इरादे से 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जोगबनी-विराटनगर एकीकृत जांच चौकी का वीडियो लिंक के जरिये उद्घाटन करने के मौके पर कहा था, समय आ गया है कि दोनों देशों के दीर्घकालिक हित के लिए सभी लंबित मुद्दों का बातचीत के जरिये समाधान किया जाए।

भारत और बांग्लादेश ने 2015 में एंक्लेव (वह क्षेत्र जिसके चारों ओर दूसरे देश की सीमा होती है।) की अदला-बदली कर 70 साल पुराने सीमा विवाद का सर्वसम्मति से समाधान किया था।

सागरमाथा संवाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान को नेपाल का न्योता

काठमांडो, 24 जनवरी (भाषा)।

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को कहा है कि उनके देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसका आयोजन इस वर्ष अप्रैल में किया जाएगा। कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षेस देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

विदेश मंत्री ने बताया कि सागरमाथा संवाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

नेपाल के दौरे पर गए भारतीय संवाददाताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा 'सागरमाथा संबाद' का आयोजन दो से चार अप्रैल के बीच किया जाएगा। इसका विषय 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य' होगा।

ग्यावली ने बताया, 'हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय नेताओं की मेजबानी कर नेपाल को प्रसन्नता होगी ताकि क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चनौतियों पर वे सब एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकें।

ग्यावली ने बताया कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर इस कार्यक्रम का नाम 'संबाद' रखा गया है जो दोस्ती का प्रतीक है।

नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि इस 'संबाद' का मुख्य उद्देश्य जलवायु संकट और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राजनीतिक नेताओं की दृढ़ इच्छाशक्ति को बढावा देने के लिए आपस में एक आम सहमति बनाना है।

दक्षेस देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है।

दक्षेस की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार : नेपाल

काठमांडू, 24 जनवरी (भाषा)।

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को कहा कि 2014 से दक्षेस समूह की अध्यक्षता कर रहा नेपाल यह पद पाकिस्तान को सौंपने के लिए 'तैयार और इच्छुक' है। ग्यावली ने साथ ही उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझा सकते हैं। विदेश मंत्री ने भारत को यह भरोसा भी दिलाया कि नेपाल अपनी धरती का इस्तेमाल किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देगा और नेपाल किसी भी राजनीतिक और कूटनीतिक गतिरोध में हिस्सा नहीं बनेगा।

ग्यावली ने यहां नेपाली विदेश मंत्रालय में 'सागरमाथा संवाद' के बारे में भारतीय पत्रकारों के एक समूह से चर्चा के दौरान कहा कि नेपाल दक्षेस की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपने को तैयार और उत्सुक है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवाद के नेटवर्क से क्षेत्र को उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए स्वयं को दक्षेस से दूर रखा है। पाकिस्तान भी इस समूह का एक सदस्य है।

ग्यावली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सहित दक्षेस देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है और नेपाल को क्षेत्र के सभी नेताओं का स्वागत करने में प्रसन्नता होगी ताकि वे क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा, 'सभी दक्षेस नेताओं का सागरमाथा में उपस्थित रहना एक शानदार विचार होगा।' उन्होंने कहा कि संवाद का नाम विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर रखा गया है जो कि मित्रता का एक प्रतीक भी है।

2014 में पिछला दक्षेस सम्मेलन काठमांडू में आयोजित हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। 2016 में दक्षेस सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था। हालांकि उसी वर्ष 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी स्थित एक सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 'मौजूदा हालात' के मद्देनजर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई थी।

धर्मगुरु मुक्तदा सद्र की रैली को लेकर इराकियों में आशंका

बगदाद, 24 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिकी रक्षा बलों को इराक से बाहर करने की मांग को लेकर इराकी धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थक शुक्रवार को बगदाद में मार्च निकालने की तैयारियों में जुटे हैं, जबकि यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा इस मार्च को लेकर आशंकित हैं।

बगदाद में युवा प्रदर्शनकारी सरकार में व्यापक फेर-बदल, जल्द संसदीय चुनाव कराने और अधिक जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर पिछले कुछ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि सद्र के शक्ति प्रदर्शन के बीच उनका मकसद गुम हो सकता है।

एक किशोर प्रदर्शनकारी ने कहा, 'सद्र हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते।' बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के बाहर तीन जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबु महदी अल मुहंदिस की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से अमेरिका की सैन्य मौजूदगी इराक में बहस का मुख्य मुद्दा बनी हुई है।

> *एक* किशोर प्रदर्शनकारी ने कहा, 'सद्र हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते।' बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के बाहर तीन जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबु महदी अल मुहंदिस की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से अमेरिका की सैन्य मौजूदगी इराक में बहस का मुख्य मुद्दा बनी हुई है।

इस हमले के दो ही दिन बाद इराकी संसद ने करीब 5,200 अमेरिकी बलों समेत विदेशी बलों को देश से बाहर भेजने के समर्थन में मतदान किया था।

इस बीच, अमेरिकी बलों के पुराने विरोधी सद्र ने अपनी मुहिम को सड़कों पर ले जाने का फैसला किया है और अमेरिकी मौजूदगी की निदा करने के लिए लाखों लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

सरकार विरोधी एक प्रदर्शनकारी मरियम ने कहा कि शुक्रवार की रैली का कुछ धड़े या पक्ष राजनीतिकरण करेंगे।

उत्तर कोरिया ने पूर्व सैन्य अधिकारी को विदेश मंत्री बनाया

सोल, 24 जनवरी (एपी)।

उत्तर कोरिया ने मुखर माने जाने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी री सान ग्वोन को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इस बात की संभावना है कि अमेरिका के साथ रूकी परमाणु वार्ता में सख्त रूख अपनाएंगे।

कोरियन सेंट्रल संवाद समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में री सोन ग्वोन के विदेश मंत्री होने की बात जाहिर की जिन्होंने राजधानी प्योंगयांग में विदेशी राजनयिकों के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया था।

ग्वोन सेना के अवकाश प्राप्त मुखर और तेज तर्रार अधिकारी हैं। दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय के अध्यक्ष के तौर पर वह काम कर चुके हैं। वह पिछले 15 साल में कई बार अंतर कोरियाई सैन्य वार्ता में हिस्सा ले चुके हैं।

उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति के वैकल्पिक सदस्य ग्वोन के पास अमेरिका और अन्य देशों के साथ बातचीत के अनुभव का अभाव है।

अतिथि भारत आए ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो शुक्रवार को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ में उनका परिवार।

ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो चार दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो शुक्रवार को चार दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे जहां वह भारत के साथ घनिष्ठ सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बोलसोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर परेड में मुख्य अतिथि होंगे। बोलसोनारो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को बैठक के बाद भारत और ब्राजील तेल और गैस, खनन और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।

ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी लॉरा बोलसोनारो, पुत्रवधू लेटिसिया फर्मो, आठ मंत्री, चार सांसद, ब्राजील की संसद में ब्राजील-भारत मैत्री समूह के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी दौरे पर आया है। यहां पहुंचने के कुछ घंटे बाद बोलसोनारो कई अधिकारियों के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुए हैं। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ और अर्थव्यवस्था 1800 अरब डॉलर है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को मोदी और बोलसोनारो की बैठक के बाद दोनों पक्ष 15 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें निवेश सहयोग, सामाजिक सुरक्षा पर समझौता, आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहयोग और जैव ऊर्जा में सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल होगा।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और दवाइयां, तेल और प्राकृतिक गैस, भूगर्भ और खनन और वैज्ञानिक शोध में सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते होंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो की अगवानी की। मुरलीधरन ने अपने ट्वीट में कहा, 'हमारे सम्माननीय अतिथि राष्ट्रपति बोलसोनारो का भारत के लोगों और सरकार की ओर से हृदय से स्वागत।' विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया था, 'राष्ट्रपति बोलसोनारो की यात्रा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह यात्रा हमारे सामरिक संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने और प्रमुखता से आगे बढ़ने का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।'

'ट्रंप को बर्खास्त किया जाए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता'

वाशिंगटन, 24 जनवरी (एएफपी)।

प्रतिनिधि सभा के मुख्य महाभियोग प्रबंधक एडम शिफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से बर्खास्त किए जाने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता ने अपने हितों को देश के हित से ऊपर रखा, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

शिफ ने गुरुवार को कहा, 'अमेरिकी लोगों को ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है, जिस पर वे भरोसा कर सकें कि वह उनके हित को प्राथमिकता देगा।' उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं कि आप इस राष्ट्रपति पर इस बात के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि वह वही काम करेगा जो इस देश के लिए सही होगा।'

शिफ ने कहा, 'वह अब ऐसा करेंगे। उन्होंने पहले ऐसा किया है। वह आगामी कई महीनों में ऐसा करेंगे। यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो वह चुनाव में भी ऐसा करेंगे। इसी लिए, यदि आप उन्हें दोषी पाते हैं, तो उन्हें हटाया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, ''क्योंकि सही बात मायने रखती है और सच्चाई मायने रखती है। अन्यथा हम सभी का नुकसान होगा।'

शिफ की अभियोजन टीम ने दलीलें पेश करते हुए विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि ट्रंप ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किस प्रकार 'खुलेआम और खतरनाक तरीके' से अपनी ताकत का दुरुपयोग किया।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई के दूसरे दिन सदन के अभियोग प्रबंधकों ने दलीलें पेश करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की कि ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया।

न्यायाधीशों के रूप में बैठे सौ सीनेटरों के बीच अभियोजकों ने पुराने वीडियो दिखाए जिनमें राष्ट्रपति के दो निकट बचावकर्ता कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग निश्चित ही ऐसा अपराध है जिसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। इन वीडियो से वाइट हाउस के इस दावे की हवा निकल गई कि कोई विशेष अपराध करने पर ही अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।

महाभियोग प्रबंधकों में से एक और प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरी नाडलर ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने निजी हित की खातिर किसी अन्य देश से हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए कह कर अपने कार्यालय की शक्तियों का दुरुपयोग किया है।' उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ने बार-बार, खुलेआम अपनी शपथ का उल्लंघन किया... राष्ट्रपति का आचरण गलत है। यह अवैध और खतरनाक है।'

मजबूत भारत-सिंगापुर संबंध से क्षेत्र का होगा अधिक भला: जावेद

सिंगापुर, 24 जनवरी (भाषा)।

सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ ने दोनों देशों के वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध से नए दशक में इस क्षेत्र और दुनिया का अधिक भला होगा।

अशरफ ने कहा कि पिछले दशक में सिंगापुर-भारत साझेदारी में बदलाव नजर आया और इस दशक में 'हम अपनी साझी आकांक्षाओं, जो पहले से ही बहुत ऊंची हैं और उम्मीदों, जो दूसरों को हमसे हैं, पर खरा उतरेंगे।' उन्होंने कहा, 'विभिन्न संक्रांतियों और व्यवधानों के दौर में, भारत और सिगापुर के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की अनिवार्यताएं कभी इतनी मजबूत नहीं रहीं ..... (लेकिन) जितना हम एक दूसरे (सिंगापुर-भारत) के लिए करेंगे, हम इस क्षेत्र और दुनिया का उतना ही भला करेंगे। यह भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी का निर्णायक उद्देश्य है।' वे बुधवार को 71 वें गणतंत्र दिवस स्वागत समारोह में दोनों देशों के करीब 1500 सरकारी, सामुदायिक और व्यापारिक नेताओं को संबोधित कर रहे थे।

सिंगापुर ने अपने एक वरिष्ठ नेता को इस कार्यक्रम में भेजा था। जून, 2019 से दो बार भारत की यात्रा कर चुके वरिष्ठ मंत्री ओंग ये कुंग इस स्वागत समारोह में मानद अतिथि थे और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

तूफान ग्लोरिया की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत

बार्सिलोना, 24 जनवरी (एएफपी)।

स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी तट पर तबाही मचाने वाले तूफान ग्लोरिया के कारण मरने वालों की संख्या गुरुवार को 11 हो गई। बचावकर्मी चार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। उत्तरपूर्वी कातालोनिया क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि तटीय अमेटला दे मार में मछली पकड़ रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत के साथ ही अब तक मारे गए लोगों की संख्या बढ़ कर 11 हो गई।

इससे पहले काबासेस में एक वाहन के भीतर एक व्यक्ति का शव मिला था और पूर्वी एलिकेंट क्षेत्र के अल्कोई में भारी बारिश के कारण एक घर ढह गया और एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके अलावा रविवार से तूफान की चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी।

तूफान के कारण तेज हवाएं, भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कातालोनिया और बालेरिक द्वीपसमूह पर चार लोग अब भी लापता हैं। हालांकि अब तूफान कमजोर पड़ गया है।

प्रधानमंत्री पेड्रो सानचेज ने तूफान से बुरी तरह प्रभावित कुछ इलाकों का गुरुवार को दौरा किया। तूफान ग्लोरिया से दक्षिण फ्रांस के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए।

www.readwhere.com

नाबालिग पीड़िता का पता नहीं चलने पर बलात्कार का आरोपी बरी

ठाणे, 24 जनवरी (भाषा)।

स्थानीय जिला अदालत ने एक लड़की से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय मजदूर को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पीड़िता को खोजने में विफल रहा।

जिला और विशेष न्यायाधीश पीपी जाधव ने जनवरी 18 को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के तहत राजेंद्र निषाद के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक कडु ने अदालत को बताया कि पीड़िता उत्तर प्रदेश की निवासी है व अपने पिता और बहन के साथ रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वे शादी में गाते थे और भीख मांगते थे। कडु ने कहा कि पीड़िता मार्च 2015 में घर से भाग कर गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात आरोपी और उसके परिवार से हुई। ि

नषाद की पत्नी ने उससे कहा कि वह उसे घर दिलाने में मदद करेगी, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को भिवंडी में एक फ्लैट में रखा और कथित तौर पर कई बार उसका बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा पड़ोसी से इसकी जानकारी दिए जाने के बाद पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने ले जाया गया। थाने में आरोपी मौजूद था और उसने उसको धमकाया।

पीड़िता को पहले भिवंडी में बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के संरक्षण में रखा गया और बाद में उत्तर प्रदेश की बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अभियोजन पीड़िता को अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। अदालत ने यह भी पाया कि चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं।

विवाहिता को बंधक बनाकर बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार : भदोही जनपद के एक गांव में विवाहिता को बंधक बना कर पांच दिन तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी सूर्यभान ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने आरोपी के खेत में बने एक कमरे से विवाहिता को बरामद किया। **भदोही (भाषा)।**

टुडे होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(आईएण्डबी कोड, 2016 के तहत जारी ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया)
पंजीकृत कार्यालय : यूजीएफ 8-9, प्रगति टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

लेनदारों तथा अन्य हितधारकों के लिए सूचना

टुडे होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (U45201DL1996PTC081609) के लेनदारों तथा अन्य हितधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 09.01.2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश द्वारा तात्कालिक मामले में समाधान प्रोफेशनल के रूप में नियुक्त किया गया है। कथित आदेश की सूचना अधोहस्ताक्षरी को 22.01.2020 को दी गयी तथा इसके पश्चात अधोहस्ताक्षरी अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल (श्री दीपक बंसल, IBBI/IPA-002/IP-N00096/017-18/10239) से प्रभार लेने की प्रक्रिया में है। इस बीच लेनदारों तथा अन्य हितधारकों को एतद्वारा अवगत किया जाता है कि तात्कालिक मामले के सम्बन्ध में समस्त पत्राचार इस उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट नीचे वर्णित पते तथा/अथवा ई-मेल **ip.todayhome-sinfra@gmail.com** पर अंकित किये/भेजे जा सकते हैं।

कृते टुडे होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
ह./-
नीलेश शर्मा, समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232
विटवर्थ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रा.लि.
डी-54, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
ई-मेल : nilesh.sharma@witworthipe.com

तिथि : 25.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

DiGiSPICE
DiGiSPICE Technologies Limited
(formerly Spice Mobility Limited)
Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre, New Delhi -110025; **Tel.:** 011- 41251965; **Email:** complianceofficer@smobility.in
Website: www.digispice.com; **CIN:** L72900DL1986PLC330369

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 4th February, 2020 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter & nine months period ended 31st December, 2019.

A copy of the aforesaid Notice and the Financial Results after approval by the Board in the aforesaid Meeting will be available on the website of the Company at www.digispice.com

By Order of the Board
For **DiGiSPICE Technologies Limited**
(formerly Spice Mobility Limited)
M R Bothra
Vice President – Corporate Affairs & Company Secretary

Date : 23rd January, 2020
Place: New Delhi

टिड्डियों से भरी टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक

जयपुर, 24 जनवरी (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक टिड्डियों से भरी एक टोकरी लेकर विधानसभा भवन पहुंचे और राजस्थान सरकार से मांग की कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में टिड्डी हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। नोखा (बीकानेर) के विधायक बिहारी लाल प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने के लिए टिड्डियों से भरी बंद टोकरी लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे।

विधायक ने विधानसभा भवन में कहा, 'इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय राज्य सरकार सीएए के विरोध पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। टिड्डी हमले से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार को मुआवजा वितरण प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों के किसान टिड्डियों के हमले से परेशान हैं जिनकी सात लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि नौ अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान राज्य के किसानों का हुआ है और राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है।

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
Branch Office:
PAO LHLS NOIDA, SECTOR-24, NOIDA.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02.11.2019 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनूप सिंह पता जी-128, प्रथम तल सैक्टर-56, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा यूपी 201301 और जमानती श्री ज्ञानदेन्द्र कुमार सैनी पता सी-556, सैक्टर - 19, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201301 खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू. - 6,71,968.72 (रुपये छः लाख इकहत्तर हजार नौ सौ अड़सठ और बहत्तर पैसे मात्र) अदा करने की तिथि 02.11.2019 तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र अनूप सिंह और गारण्टर श्री ज्ञानदेन्द्र कुमार सैनी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 जनवरी 2020 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, पी.ए.ओ., एल.एच.एल.एस. नोएडा सैक्टर-24 शाखा को देय धनराशि रू.- 6,71,968.72 (रुपये छः लाख इकहत्तर हजार नौ सौ अड़सठ और बहत्तर पैसे मात्र) अदा करने की तिथि 02.11.2019 तक उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्लैट नं0. 128 जिसका माप 22.76 स्क्वेयर मीटर ब्लॉक जी, सैक्टर-56, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी मालिक श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनूप। चौहद्दी- पूर्व:- स्टेयरकेस और फ्लैट नं0. जी-125, पश्चिम:- पैसेज एण्ड पार्क, उत्तर:- फ्लैट न जी-127, दक्षिण:- रोड।

दिनांक: 22.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: पी.ए.ओ., एल.एच.एल.एस. नोएडा सैक्टर-24 **सिंडिकेट बैंक**

TATA टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. अतुल बंसल, पुत्र श्याम लाल बंसल, फ्लैट नं. 279, ओल्ड एमआईजी फ्लैट्स, प्रथम तल एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर फेज-I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
2. श्याम लाल बंसल, पुत्र ललिता प्रसाद अख्तर, फ्लैट नं. 279, प्रथम तल, एमआईजी फ्लैट्स, प्रथम तल एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर फेज-I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
3. मै. दिल्ली नाइटर्स रेस्टोरैन्ट एंड कैटर्स प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक, पंजी. कार्यालयः एजी-1-2, भू तल, आरजी सिटी सेन्टर, डीडीए कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 4, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055,
साथ ही: मै. दिल्ली नाइटर्स रेस्टोरैन्ट एंड कैटर्स प्रा. लि., शॉप नं. 39, 47, 48, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, राजिन्द्र भवन, राजिन्द्रा प्लेस, वेस्ट दिल्ली-110005,
साथ ही: मै. दिल्ली नाइटर्स रेस्टोरैन्ट एंड कैटर्स प्रा. लि., 2120/58, नाई वाला, करोल बाग, मध्य दिल्ली-110005
साथ ही: मै. दिल्ली नाइटर्स रेस्टोरैन्ट एंड कैटर्स प्रा. लि., जी-7, 8 तथा 9 बंगला नं. 2, मैन रोड, वेस्ट पटेल नगर, वेस्ट दिल्ली-110008
4. मै. मर्क एयर सर्विसेस प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री अतुल बंसल एवं पीयूश जोशी, अंचल कार्यालयः जी-38-39, वर्धमान, डायमंड प्लाजा, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सामने, देशबंधु गुप्ता रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
5. पीयूष जोशी, पुत्र श्री राजीव जोशी, मै. मर्क एयर सर्विसेस प्रा. लि., के निदेशक, अंचल कार्यालयः जी-38-39, वर्धमान, डायमंड प्लाजा, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सामने, देशबंधु गुप्ता रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
साथ ही: एफ/13/752, दूसरा तल, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली-110092
6. अतुल बंसलः पुत्र सत्यम लाल बंसल, मै. मर्क एयर सर्विसेस प्रा. लि., के निदेशक, अंचल कार्यालयः जी-38-39, वर्धमान, डायमंड प्लाजा, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सामने, देशबंधु गुप्ता रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
7. श्रीमती स्नेहा बंसल, फ्लैट नं. 279, ओल्ड एमआईजी फ्लैट्स, प्रथम तल एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर फेज-I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

प्रिय महोदय/महोदया,
एलएएन 6324032, 6616401, 20540725 में 31.7.2016, 27.10.2016, 17.5.2018 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 13 दिसम्बर, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 6324032, 6616401, 20540725 में रु. 25340306.86 (रुपए दो करोड़ तिड़पन लाख चालिस हजार तीन सौ छह एवं पैसे छियासी मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 दिसम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 13 दिसम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 6324032, 6616401, 20540725 में रु. 25340306.86 की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची

1. फ्लैट नं. 279, प्रथम तल, एमआईजी फ्लैट्स, एरिया माप 278 वर्ग फीट (लगभग) कैट प्रसाद नगर फेज-1, नई दिल्ली-110005, बिक्री प्रलेख तिथि 10.10.2015 के अनुसार जो स्नेहा बंसल एवं अतुल बंसल के पक्ष में है। चौहद्दीः पूर्वः सीढ़ी, पश्चिमः अन्य फ्लैट, उत्तरः ओपन पार्क, दक्षिणः खुला
2. 25.10.2014 को पंजीकृत दस्तावेज सं. 8831, बुक नं. 1, वॉल नं. 15792, पेज 72-79 पर विधिवत पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 20.10.2014 के अनुसार अतुल बंसल के पक्ष में भूतल पर व्यावसायिक स्थान/शॉप नं. 47, एरिया माप 28.80 वर्ग मीटर (राजिन्द्रा प्लेस मेट्रो के निकट) डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 9, 13, 14, 15, राजिन्द्रा भवन, राजिन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
3. 13.11.2014 को पंजीकृत दस्तावेज सं. 9256, बुक नं. 1, वॉल नं. 15809, पेज 182-189 पर विधिवत पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 13.11.2014 के अनुसार अतुल बंसल के पक्ष में भू तल पर व्यावसायिक स्थान (शॉप नं. 48, एरिया माप 29.21 वर्ग मीटर (राजिन्द्रा प्लेस मेट्रो के निकट), डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 9, 13, 14, 15, राजिन्द्रा भवन, राजिन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

चूंकि सूचना 13 दिसम्बर, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः जनवरी, 2020 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN-L65910KL1992PLC006623, IV/470A (old) WS39A(New), Manappuram House Valapad, Thrissur Kerala - 680 567

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17.02.2020 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा, हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची
दिल्ली, दिल्ली, भोलानाथ नगर दिल्ली 121570700010118, 0183, 121570730004584, 4714, 4866, द्वारका सेक्टर 7 113760700011188, 1204, 1207, 1208, 1209, 1230, 1237, 1245, 1248, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1267, 1281, 1285, 1289, 1291, 1295, 1299, 1300, 1301, 1306, 1308, 1322, 1330, 1332, 113760730004032, 4139, 4140, 4141, 4152, 4153, 4177, 4178, 4179, 4221, 4236, 4251, 4252, 4259, 4260, 4274, 4275, 4276, 4278, 4281, 4283, 4284, 4287, 4323, गीता कॉलोनी 107590700020926, 1715, 1756, 1769, 1773, 1780, 1784, 1785, 1798, 1812, 1813, 1814, 1815, 1819, 1860, 1864, 1882, 1897, 1902, 1906, 1923, 1926, 1929, 1932, 1933, 1946, 1965, 1968, 1973, 1974, 1976, 1980, 1983, 1984, 1988, 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2012, 2021, 2030, 2036, 2067, 2076, 2081, 2806, 107590730005062, 5098, 5122, 5154, 5155, 5178, 5190, 5197, 5206, 5208, 5218, 5221, 5223, 5226, 5238, 5239, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5273, 5285, 5286, 5312, 5327, 5329, 5330, 5331, 5342, 5395, 5396, 5397, कड़कड़डूमा 102760700010243, 0246, 0268, 0289, 0293, 0297, 0299, 0308, 0309, 0314, 0321, 0322, 0323, 0327, 0328, 0338, 0342, 0345, 102760730004899, 4954, 5008, 5037, 5142, 5144, 5174, 5201, 5202, 5203, 5212, 5213, 5214, 5222, 5223, 5256, 5263, 5374, 5395, 5398, 5415, 5417, 5418, 5474, 5475, कालकाजी 100870700057002, 7081, 7141, 7714, 7832, 8150, 8544, 8748, 8776, 8891, 8919, 8993, 8995, 9036, 9145, 9183, 100870700060555, 0572, 0576, 0577, 0589, 0612, 0619, 0622, 0651, 0657, 0667, 0668, 0669, 0679, 0688, 0692, 0696, 0705, 0724, 0725, 0727, 0728, 0750, 0758, 0759, 0760, 0764, 0786, 0788, 0789, 0810, 0813, 0818, 0821, 0826, 0827, 0828, 0832, 0840, 0870, 0881, 0884, 0885, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0906, 0916, 0917, 0927, 0937, 0947, 0951, 0958, 0964, 0965, 0966, 0970, 0971, 0972, 0973, 0978, 0982, 1032, 1033, 1044, 1059, 1066, 1073, 1076, 1078, 1081, 1082, 1083, 1087, 1094, 1095, 1107, 1109, 1111, 1126, 1129, 1133, 1142, 1156, 1159, 1160, 1161, 1169, 1171, 1189, 1190, 1217, 1221, 1222, 1223, 1252, 1255, 1270, 100870730011890, 5525, 5526, 5527, 5603, 5606, 5691, 5702, 5725, 5744, 5745, 5779, 5812, 5831, 5849, 5917, 5983, 5984, 5985, 6046, 6063, 6122, 6155, 6176, 6263, 6273, 6274, 6290, 6321, 6332, 6350, 6352, 6361, 6362, 6372, 6393, 6399, 6401, 6405, 6409, 6414, 6415, 6417, 6423, 6430, 6431, 6432, 6446, 6448, 6449, 6451, 6481, 6483, 6502, 6503, 6514, 6533, 6537, 6543, 6545, 6548, 6554, 6555, 6569, 6570, 6571, 6572, 6574, 6581, 6582, 6587, 6598, 6599, 6600, 6632, 6644, 6655, 6666, 6741, 6760, 6762, 6763, 6771, 6824, 6825, 6831, 6849, 6857, 6858, 6946, किशन नगर 108530700016541, 6563, 6566, 6578, 6592, 6595, 6601, 6615, 6648, 6684, 6716, 6717, 108530730013866, 3868, 3939, 3996, 4096, 4097, 4098, 4258, 4346, 4370, 4371, 4372, 4424, 4499, 4520, 4552, 4601, 4602, 4755, 4756, 4765, 4766, 4813, 4815, 4850, 4896, 108530780000001, लक्ष्मी नगर 100890700050548, 3241, 3242, 4720, 4756, 5224, 5261, 5595, 5972, 6136, 6159, 6186, 6302, 6353, 6354, 6356, 6366, 6388, 6486, 7634, 7656, 7664, 7673, 7703, 7706, 7708, 7729, 7746, 7749, 7758, 7769, 7775, 7781, 7782, 7796, 7801, 7808, 7812, 7834, 7842, 7877, 7929, 7930, 7933, 7973, 7993, 7995, 8001, 8006, 8007, 8013, 8026, 8034, 8035, 8037, 8039, 8059, 8067, 8070, 8071, 8111, 8117, 8132, 8145, 8146, 8177, 100890730013916, 4053, 4083, 4099, 4148, 4217, 4218, 4235, 4288, 4305, 4307, 4354, 4369, 4370, 4387, 4394, 4396, 4397, 4403, 4406, 4411, 4414, 4416, 4418, 4423, 4427, 4428, 4432, 4433, 4434, 4449, 4469, 4473, 4475, 4476, 4486, 4492, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4526, 4527, 4535, 4537, 4538, 4539, 4542, 4548, 4552, 4553, 4559, 4603, 4604, 4610, 4644, 4671, मंगल पुरी 109040700041269, 1754, 1772, 1823, 2028, 2056, 2108, 2135, 2285, 3608, 3615, 3617, 3646, 3647, 3648, 3669, 3689, 3700, 3701, 3716, 3717, 3732, 3738, 3741, 3755, 3783, 3788, 3796, 3806, 3820, 3831, 3893, 3929, 3931, 3953, 3966, 3982, 3990, 4001, 4003, 4030, 4064, 4065, 4119, 4160, 4202, 4206, 4210, 4216, 4225, 4237, 4238, 4240, 4251, 4274, 4287, 109040730004902, 4962, 5096, 5097, 5129, 5132, 5162, 5165, 5173, 5175, 5230, 5274, 5330, 5354, रानीबाग 108720700011146, 1209, 1287, 1848, 1851, 1857, 1871, 1895, 1902, 1914, 1919, 1939, 1940, 1953, 1959, 1965, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1985, 1988, 1990, 1996, 1999, 2006, 2011, 2021, 2023, 2029, 2036, 2041, 2045, 2058, 2059, 108720730005448, 5597, 5598, 5599, 5609, 5626, 5632, 5635, 5636, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5673, 5685, 5702, 5749, 5760, 5837, 5852, 5855, 5856, 5862, 5863, 5909, 5910, 5911, 5921, 5950, 6679, गोविंदपुरी 100900700714894, 5463, 5465, 5484, 5485, 5503, 5512, 5515, 5516, 5517, 5518, 5521, 5522, 5539, 5545, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5564, 5565, 5573, 5576, 5580, 5581, 5588, 5589, 5591, 5592, 5607, 5623, 5641, 100900730005225, 5289, 5360, 5388, 5389, 5427, 5428, 5468, 5558, 5559, 5560, 5582, 5586, 5592, 5593, 5594, 5595, 5597, 5623, 5634, 5641, 5642, 5643, 5644, 5646, 5647, 5650, 5651, 5653, 5658, 5659, 5707, 5709, 5743, शालीमार बाग 102780700014127, 4171, 4197, 4458, 4620, 4632, 4642, 4651, 4657, 4659, 4676, 4682, 4695, 4702, 4723, 4726, 4732, 4733, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4759, 4763, 4766, 4771, 4773, 4780, 4782, 4792, 4797, 4800, 4805, 102780730004997, 4999, 5000, 5018, 5019, 5101, 5102, 5111, 5115, 5119, 5120, 5124, 5137, 5145, 5154, 5155, 5161, 5168, 5169, 5184, शास्त्री नगर 108450700019116, 9446, 9580, 108450700020138, 0933, 0935, 0936, 0937, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0972, 0973, 0994, 0995, 0998, 1003, 1036, 1039, 1047, 1056, 1065, 1068, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1113, 1116, 1117, 1128, 1129, 1142, 1159, 1185, 1195, 1199, 1200, 1204, 1206, 1234, 1249, 1255, 1258, 1260, 1261, 1269, 1274, 1277, 1290, 1292, 1300, 1301, 1324, 1332, 108450730006891, 6894, 6906, 6911, 6928, 6951, 6962, 6964, 7036, 7174, 7175, 7258, 7259, 7260, 7261, 7266, 7268, 7269, 7279, 7295, 7313, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7337, 7367, 7368, विश्वास नगर दिल्ली 123330700017252, 8177, 8608, 8871, 9036, 9062, 9736, 9781, 9830, 9837, 9842, 9843, 9845, 9859, 9863, 9878, 9894, 9898, 9910, 9912, 9914, 9929, 9930, 9931, 9933, 9944, 9947, 9948, 9950, 9958, 9960, 9963, 9964, 9967, 9969, 9971, 9973, 9979, 123330700020006, 0017, 0019, 0020, 0024, 0027, 0028, 0035, 0036, 0039, 0043, 0053, 0066, 0070, 0073, 0074, 0076, 0101, 0107, 0115, 0118, 0122, 0131, 0133, 0134, 0137, 0138, 0148, 0154, 0156, 0168, 0170, 0176, 0183, 0184, 123330730005615, 5629, 5631, 5646, 5670, 5679, 5689, 5697, 5706, 5769, 5774, 5785, 5786, 5787, 5805, 5806, 5830, 5846, 5865, 5866, 5889, 5925, 5941, 123330780000014, 0019, पूर्व दिल्ली भजनपुरा दिल्ली 122040700037565, 8846, 9201, 122040700041770, 1846, 2711, 2910, 3592, 3625, 3685, 3686, 4056, 4057, 4066, 4118, 4147, 4406, 4745, 4982, 4983, 4984, 5013, 5076, 5121, 5191, 5228, 5230, 5244, 5391, 5513, 5588, 5597, 5603, 5688, 5738, 5759, 5810, 5811, 7089, 7197, 7511, 7607, 7785, 7941, 7942, 7943, 7944, 7947, 7962, 7963, 7968, 7977, 7991, 7996, 8016, 8034, 8035, 8045, 8079, 8085, 8095, 8096, 8107, 8110, 8136, 8139, 8145, 8151, 8158, 8196, 8200, 8203, 8209, 8212, 8216, 8220, 8221, 8222, 8224, 8254, 8261, 8262, 8263, 8295, 8300, 8335, 8341, 8344, 8362, 8363, 8364, 8365, 8387, 8396, 8402, 8418, 8419, 8420, 8422, 8431, 8432, 8439, 8442, 8445, 8452, 8456, 8463, 8466, 8480, 8481, 8485, 8490, 8495, 8514, 8521, 8523, 8532, 8540, 8549, 8558, 8563, 8564, 8565, 8573, 8575, 8586, 8595, 8600, 8613, 8614, 8615, 8619, 8621, 8632, 8642, 8652, 8663, 8672, 8673, 8674, 8678, 8683, 8691, 8692, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8713, 8714, 8725, 8742, 8749, 8750, 8751, 8753, 8754, 8760, 8761, 8764, 8773, 8774, 8779, 8782, 8783, 8785, 8790, 8796, 8811, 8822, 8823, 8826, 8835, 8836, 8837, 8839, 8842, 8843, 8844, 8846, 8847, 8849, 8852, 8857, 8860, 8867, 8869, 8870, 8892, 8894, 8910, 8911, 8912, 8920, 8921, 8925, 8927, 8928, 8940, 8947, 8948, 8956, 8967, 8968, 8971, 8977, 8978, 8980, 8982, 8993, 8994, 8996, 9006, 122040730008640, 6691, 6694, 6715, 6719, 6722, 6746, 6749, 6750, 6755, 6756, 6763, 6764, 6765, 6767, 6780, 6783, 6784, 6785, 6789, 6795, 6809, 6814, 6826, 6827, 6844, 6865, दिलशाद कॉलोनी 120330700025074, 6825, 6848, 7087, 7209, 9054, 9082, 9085, 9143, 9177, 9221, 9233, 9238, 9245, 9630, 9691, 9811, 9843, 9857, 9909, 120330700030153, 0312, 0341, 0385, 0386, 0388, 0412, 0447, 0598, 0621, 0628, 0656, 0657, 1507, 1710, 1713, 1758, 1778, 1797, 1788, 1789, 1792, 1796, 1798, 1802, 1809, 1813, 1820, 1822, 1828, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1856, 1860, 1865, 1875, 1876, 1877, 1878, 1882, 1890, 1898, 1901, 1902, 1917, 1920, 1925, 1931, 1942, 1946, 1953, 1959, 1960, 1964, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1979, 1998, 1999, 2008, 2012, 2013, 2037, 2038, 2054, 2055, 2056, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2075, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2088, 2099, 2101, 2106, 2107, 2108, 2116, 2120, 2121, 2125, 2127, 2131, 2135, 2139, 2142, 2151, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2171, 2173, 2174, 2176, 2185, 2190, 2197, 2198, 2199, 2201, 2204, 2209, 2214, 2216, 2217, 2219, 2223, 2225, 2228, 2230, 2233, 2235, 2236, 2244, 2247, 2249, 2253, 2255, 2256, 2269, 2270, 2278, 2281, 2293, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2304, 2311, 2312, 2316, 2317, 2321, 2323, 2330, 2331, 2332, 2333, 2347, 2348, 2349, 2354, 2360, 120330730004143, 5862, 5894, 5904, 5923, 5950, 5951, 5955, 5961, 5963, 5967, 5968, 5970, 5983, 5984, 5987, 5989, 5990, 5995, 5996, 5997, 6021, 6062, 6063, 6064, 120330780000005, दिलशाद गार्डन 122030700015380, 6397, 5452, 5523, 5545, 5550, 5560, 5812, 5650, 6337, 6381, 6391, 6395, 6398, 6406, 6418, 6420, 6438, 6439, 6440, 6443, 6444, 6445, 6450, 6464, 6473, 6481, 6482, 6483, 6502, 6507, 6508, 6511, 6512, 6513, 6514, 6523, 6526, 6527, 6535, 6540, 6541, 6546, 6553, 6556, 6560, 6561, 6563, 6566, 6567, 6570, 6573, 6591, 6592, 6594, 6600, 6603, 6605, 6606, 6608, 6611, 6613, 6615, 6617, 6618, 6619, 6624, 6625, 6631, 6633, 6634, 6643, 6646, 6651, 6655, 6656, 6658, 6659, 6660, 6662, 6664, 6665, 6667, 6670, 6672, 6676, 6677, 6679, 6681, 6683, 6704, 6719, 6724, 6725, 6726, 6729, 6730, 6731, 6732, 6736, 6747, 6749, 6753, 122030730001914, 3383, 3493, 3567, 3570, 3626, 3635, 3636, 3637, 3641, 3642, 3643, 3645, 3656, 3657, 3711, 3719, 3733, 3770, 3776, दुर्गापुरी चौक दिल्ली 118870700024599, 4920, 5037, 5143, 5417, 5654, 5659, 6194,

खबर कोना

मेलबर्न में शुक्रवार को आस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान अमेरिका की सोफिया कैनिन चीन की खिलाड़ी के विरुद्ध प्वाइंट लेने के बाद।

दिव्यांग खिलाड़ी वास्तविक नायक : विजेंदर सिंह

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने दिव्यांग खिलाड़ियों को वास्तविक नायक करार देते हुए शुक्रवार को स्पेशल ओलंपिक भारत को पूर्ण सहयोग का वादा किया। विजेंदर ने एक कार्यक्रम में इन विशिष्ट खिलाड़ियों को अपने सहयोग का वादा करते हुए कहा कि उन्हें आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल में जीतना और हारना उतना अहम नहीं है जितना प्रयास करना है। मेरा मानना है जब आप जीत दर्ज करते हो तो आप कुछ नहीं सीखते। आप जब हारते हो तो तब सीखते हो। आपको वास्तविक तस्वीर का पता चलता है। हार से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। विजेंदर ने कहा कि मैं भविष्य में इस शानदार प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहूंगा।

सेल ने लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की

नई दिल्ली, 24 जनवरी (ब्यूरो)।

देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में सेल स्थापना दिवस को बालिका संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। सेल ने इस साल वाक एवं रन प्रतियोगिता रन फॉर गर्ल चाइल्ड थीम पर आयोजित की। इसी के साथ सेल ने देश भर में स्थित अपने सभी संयंत्रों और इकाइयों में 24 से 30 जनवरी के दौरान एक व्यापक साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इसमें 75,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

पुणे सेवन एसेसे पीबीएल के दूसरे चरण के लिए तैयार

पुणे, 24 जनवरी (भाषा)।

प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) की नई फ्रेंचाइजी पुणे सेवन ऐसेस को लीग के पांचवे सत्र में लखनऊ में खेले जाने वाले दूसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की सह-स्वामित्व वाली यह टीम दूसरे चरण में शनिवार को मुंबई रॉकेट्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह मुकाबला लखनऊ के बाबू बनारसी दास यू.पी. बैडमिंटन अकादमी में खेला जाएगा। यहां जारी विज्ञप्ति में तापसी ने टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा, 'हमने एक टीम बनाई है जिसमें युवा और अनुभव दोनों का संयोजन है।

अय्यर, राहुल के बल्ले से निकली जीत

पहले टी-20 में न्यूजीलैंड को छह विकेट से दी शिकस्त

ऑकलैंड, 24 जनवरी (भाषा)।

श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की शानदार पारियों के दम पर भारत ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया। पांच मैचों की शृंखला के पहले मैच में जीत दर्ज कर भारत ने इस साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कोलिन मुनरो और कप्तान केन विलियमसन के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने ईडन पार्क की छोटी बाउंड्री का पूरा इस्तेमाल करके पांच विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में भारत ने एक ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा दूसरे ही ओवर में सात रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 27 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों के साथ 56 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 32 गेंद में 45 रन की पारी खेली।

भारत ने दसवें ओवर में राहुल और 12वें ओवर में कोहली का विकेट गंवाया। अब भारत को 53 गेंद में 83 रन की जरूरत थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 29 गेंद में नाबाद 58 रन बनाए जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

न्यूजीलैंड की पारी में मुनरो ने 42 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों के साथ 59 रन बनाए। वहीं विलियमसन ने 26 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों के साथ 51 रन की पारी खेली। रोस टेलर 27 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह (31 रन देकर एक विकेट) को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए।

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। उसने हरफनमौला शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा समेत छह गेंदबाजों का संयोजन उतारा। युजवेंद्र चहल को कुलदीप यादव पर और शार्दुल ठाकुर को नवदीप सैनी पर तरजीह दी गई। ऋषभ पंत को बाहर रखा गया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी के दौरान श्रेयस अय्यर।

58 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे।

56 रन बनाए लोकेश राहुल ने 27 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों के साथ।

श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच

भारत ने दसवें ओवर में राहुल और 12वें ओवर में कोहली का विकेट गंवाया। अब भारत को 53 गेंद में 83 रन की जरूरत थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 29 गेंद में नाबाद 58 रन बनाए जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

शिकायत करने के बजाय सामंजस्य बिठाना सिंधू का काम : गोपीचंद

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा)।

मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने स्वीकार किया है कि बीडब्ल्यूएफ के व्यस्त कार्यक्रम के कारण परेशानियां हो रही हैं लेकिन इसके साथ ही उनका मानना है कि पी वी सिंधू जैसी खिलाड़ी को इसको लेकर शिकायत करने के बजाय इससे सामंजस्य बिठाना होगा। सिंधू ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता लेकिन वह कोई अन्य टूर्नामेंट नहीं जीत पाई।

गोपीचंद ने एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'मेरा मानना है कि व्यस्त कार्यक्रम शीर्ष खिलाड़ियों के लिए समस्या रहा है लेकिन यह मसला सभी खिलाड़ियों से जुड़ा है। शीर्ष खिलाड़ी होने के नाते यह उनका (सिंधू) कर्तव्य है कि वह शिकायत किए बिना इससे सामंजस्य बिठाए।' उन्होंने कहा, 'सिंधू अपनी कुछ गलतियों पर काम कर रही है और उम्मीद है कि हम इनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे।'

गोपीचंद को विश्वास है कि सिंधू ओलंपिक के समय पासा पलटने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास अच्छी टीम है जिसमें कोच के रूप में पार्क (ताइ सैंग) हैं, हमारे पास श्रीकांत ट्रेनर है और फिजियो हैं। उम्मीद है कि आने वाले महीनों और ओलंपिक से पहले हम अच्छी तैयारी करेंगे।'

गोपीचंद ने कहा, 'निश्चित तौर पर हमें खेल के कुछ पहलुओं पर काम करना होगा और उम्मीद है कि हम जल्द ही उस मुकाम तक पहुंचेंगे।'

क्रिप्सा एफसी ने किकस्टार्ट एफसी को 4-0 से हराया

बंगलुरु, 24 जनवरी (भाषा)।

क्रिस्पा एफसी ने चौथे हीरो भारतीय महिला लीग (आइडब्लूएल) के शुरुआती मैच में शुक्रवार को यहां किकस्टार्ट एफसी कर्नाटक को 4-0 से हराया। डांगमेई ग्रेस ने विजेता टीम की तरफ से दो गोल किए जबकि अंजू तमांग और रतनबाला देवी ने भी गोल दागे। इससे क्रिस्पा ने एकतरफा जीत दर्ज की।

क्रिस्पा ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। स्वीटी देवी ने रक्षापंक्ति को अच्छी तरह से संभाला तो रतनबाला ने आक्रमण की कमान संभाली।

न्यूजीलैंड 'ए' ने भारत 'ए' को 29 रन से हराया

क्राइस्टचर्च, 24 जनवरी (भाषा)।

भारत 'ए' के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। इसका खामियाजा उन्हें न्यूजीलैंड 'ए' से हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरे अनधिकृत वनडे में मेजबान ने भारत को 29 रन से हराकर तीन मैचों की शृंखला में बराबरी कर ली है।

न्यूजीलैंड 'ए' के लिए सलामी बल्लेबाज जॉर्ज वर्कर ने 135 रन बनाए। कोल मैकोंची ने 56 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ए ने 50 ओवर में सात विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत 'ए' टीम नौ विकेट पर 266 रन ही बना सकी। क्रुणाल पंड्या ने 48 गेंद में 51 रन बनाए।

टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए भारत ए को जल्दी ही सफलता मिली जब मोहम्मद सिराज ने रचिन रविंद्र (0) को पवेलियन भेजा। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया। इशान पोरेल ने भी दो विकेट चटकाए जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 22वें ओवर में चार विकेट पर 96 रन हो गया।

क्रुणाल पंड्या ने मार्क चैपमैन को आउट करके मेजबान की स्थिति और खराब कर दी। न्यूजीलैंड के पांच विकेट 25वें ओवर में 109 रन पर गिर गए थे। ऐसे में जिम्मी नीशाम (33) और मैकोंजी ने वर्कर का साथ दिया। वर्कर ने 144 गेंद की पारी में छह छक्के और 12 चौके लगाए। मैकोंजी ने 54 गेंद की पारी में आठ चौके जड़े।

भारत ए ने पहले ही ओवर में पृथ्वी साव (दो) का विकेट गंवा दिया। शुभमान गिल की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे मयंक अग्रवाल ने 42 गेंद में 37 रन बनाए जबकि इशान किशन ने 55 गेंद में 44 रन की पारी खेली। हरफनमौला विजय शंकर ने 53 गेंद में 41 रन बनाए। वहीं सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए क्रुणाल ने 48 गेंद में 51 रन बनाए।

सातवें नंबर पर आए क्रुणाल ने 48 गेंद में 51 रन बनाए।

टैस्ट रैंकिंग में कोहली शीर्ष पर बरकरार, रहाणे 8वें स्थान पर

दुबई, 24 जनवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली आइसीसी टैस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि उपकप्तान अजिंक्य रहाणे एक पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए। कोहली के 928 अंक हैं जबकि दूसरे नंबर पर आस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ हैं जो उनसे 17 अंक पीछे हैं। चेतेश्वर पुजारा 791 अंक लेकर छठे स्थान पर हैं। रहाणे के 759 अंक हैं।

गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 794 अंक लेकर छठे स्थान पर हैं जबकि आर अश्विन आठवें और मोहम्मद शमी दसवें स्थान पर हैं। रविंद्र जडेजा 438 अंक लेकर हरफनमौलाओं की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। जिंबाब्वे के खिलाफ दो टैस्ट मैचों की शृंखला के पहले मैच में दस विकेट से जीतने वाली श्रीलंकाई टीम के एंजेलो मैथ्यूज शीर्ष 20 बल्लेबाजों में लौटे हैं। वह आठ पायदान चढ़कर 16वें स्थान पर हैं।

इंग्लैंड के ओली पोप 52 पायदान की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर हैं। सैम कुरेन और डोम सिबले क्रमशः 64वें और 76वें स्थान पर हैं। बेन स्टोक्स हरफनमौलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

दौरे की ऐसी ही शुरुआत चाहते थे : कोहली

ऑकलैंड, 24 जनवरी (भाषा)।

भारत ने लंबी उड़ान की थकान को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में जीत दर्ज की। कप्तान विराट कोहली ने इसके बाद कहा कि टीम इसी तरह की जीत से दौरे की शुरुआत करना चाहती थी। भारतीय टीम केवल दो दिन पहले ही यहां पहुंची। कोहली ने मैच की पूर्व संध्या पर बेहद व्यस्त कार्यक्रम की बात की लेकिन टीम के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं थी।

उन्होंने कहा कि हमने इसका पूरा आनंद उठाया। दो दिन पहले यहां पहुंचना और फिर इस तरह की जीत दर्ज करना शानदार रहा। इससे हमारे लिए पूरे दौरे की अच्छी नींव पड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि 80 फीसद दर्शक हमारा समर्थन कर रहे हैं। आपको 200 से अधिक रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस तरह के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हमने टीम के अंदर लंबी उड़ान की थकान पर चर्चा नहीं की। हम किसी तरह का बहाना नहीं चाहते थे।

न्यूजीलैंड का समय भारतीय समय से साढ़े सात घंटे आगे है। भारतीय टीम आस्ट्रेलिया को रविवार को समाप्त हुई तीन वनडे मैचों की शृंखला में 2-1 से हराने के बाद यहां पहुंची है। कोहली ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने वास्तव में अच्छी शृंखला खेली और हमने यहां वह आत्मविश्वास दिखाया। आप इस तरह की पिच पर किसी के प्रति कड़ा रवैया नहीं अपना सकते। हमने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें 210 से कम स्कोर पर रोकना अच्छा प्रयास था। क्षेत्ररक्षण ऐसा विभाग है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हम जानते थे ईडन पार्क पर स्कोर का बचाव करना मुश्किल होता है और थोड़ा ओस भी थी। भारत ने निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत दिखाई। हम जानते थे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। गेंदबाजी करते हुए अगर हम जल्दी तीन या चार विकेट ले लेते तो मैच पर हमारा पलड़ा भारी होता।

अधिबान और नारायणन की प्रभावी जीत

जिब्राल्टर, 24 जनवरी (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर बी अधिबान और एसएल नारायणन ने जिब्राल्टर शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग के तीसरे दौर में प्रभावी जीत दर्ज की। जॉर्जिया के इवान चेपारिनोव, अर्जेंटीना के किरसा लिएंड्रो, अजरबैजान के वासिफ डुरारबेली, इटली के पीयर लुइगी बास्सो और रूस के मकसिम चिगाएव तीन अंक लेकर उनसे आगे हैं।

बिजली गुल होने के कारण करीब एक घंटे तक खेल बाधित रहा। शीर्ष वरीयता प्राप्त शखरियार मामेदियारोव को फ्रांस के ग्रैंडमास्टर जुलेस मूसार्ड ने ड्रॉ पर रोका। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के मेक्सिक वाचियेर लाग्रेव ने इस्राइल के ताल बारोन को हराया। अधिबान और नारायणन के अलावा वैभव सूरी और कार्तिकेयन मुरली के भी ढाई अंक हैं। अधिबान ने बुल्गारिया के मार्टिन पेट्रोव को और नारायणन ने चीन के तिंगजी लेइ को मात दी। युवा ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी ने डेविड नवारा से अंक बांटे।

युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर पद्मिनी राउत को हराया। डी गुकेश को एड्रियन जी ने ड्रॉ पर रोका। वैभव सूरी ने मौजूदा एशियाई चैंपियन ली कुआंग लिएम से ड्रॉ खेला। वहीं मुरली ने ओरि कोबो से ड्रॉ खेला। अनुभवी ग्रैंडमास्टर के शशिकिरण ने तीन में से दूसरी बाजी ड्रॉ खेली।

अनिर्बान लाहिड़ी संयुक्त 119वें स्थान पर

सैन डिएगो, 24 जनवरी (भाषा)।

भारत के अनिर्बान लाहिड़ी फार्मर्स इंश्योरेंस ओपन गोल्फ के पहले दौर के बाद संयुक्त 119वें स्थान पर रहे। उन्होंने 14वें से 17वें स्ट्रेच पर तीन बार बोगी और एक डबलबोगी किया। उनका स्कोर तीन ओवर 75 रहा। टाइगर वुड्स ने रेकार्ड 83वें पीजीए टूर खिताब की ओर कदम बढ़ाते हुए शुरुआती दौर में 2011 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन अंडर 69 का स्कोर किया और वह संयुक्त 21वें स्थान पर हैं। साउथ कोर्स पर सेबेस्टियन केप्पेलेन और नार्थ कोर्स पर कीगन ब्राडले पहले दौर के बाद शीर्ष पर हैं।

आस्ट्रेलिया ओपन उलटफेर की शिकार हुईं सेरेना और ओसाका

कोको ने ओसाका को किया बाहर

मेलबर्न, 24 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिका की अनुभवी सेरेना विलियम्स शुक्रवार को आस्ट्रेलियाई ओपन में चीन की वांग कियांग से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। 15 साल की किशोर खिलाड़ी कोको गॉफ ने गत चैंपियन नाओमी ओसाका का सफर खत्म कर उलटफेर किया। विलियम्स को अपने 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा जिन्हें तीसरे दौर में 27वीं वरीयता प्राप्त कियांग ने 6-4, 6-7, 7-5 से मात दी।

सेरेना सात बार खिताब जीत चुकी हैं लेकिन 2006 में तीसरे दौर में बाहर होने के बाद पहली बार इतनी जल्दी उनकी रवानगी हुई है। पहली बार आस्ट्रेलियाई ओपन में खेल रही गैरवरीय कोको ने जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ओसाका को तीसरे दौर के मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही कोको ने यूएस ओपन में इस खिलाड़ी से मिली हार का बदला भी ले लिया। टूर्नामेंट में भाग ले रही सबसे कम उम्र की खिलाड़ी को अगले दौर में 14वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया केनिन और चीन की झांग शुआई के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ना होगा। सेरेना की दोस्त और दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी कैरोलिन वोज्नियाकी ने आस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में मिली हार के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से टेनिस को अलविदा कह दिया। वोज्नियाकी ने दिसंबर में ही कह दिया था कि यह उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। उन्हें ट्यूनीशिया की ओंस जाबुर ने 7-5, 3-6, 7-5 से हराया। इसके साथ ही उनके सुनहरे करिअर का अंत हो गया जिसमें उन्होंने 30 डब्लूटीए खिताब जीते। उन्होंने एकमात्र ग्रैंडस्लैम 2018 में आस्ट्रेलियाई ओपन जीता था।

विश्व रैंकिंग में 78वें स्थान पर काबिज जाबुर से मिली हार के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उन्होंने मजाक में कहा कि मैने फोरहैंड पर गलती के साथ अपना करिअर खत्म किया। मैं अपने पूरे करिअर में इन चीजों पर मेहनत करती रही हूं। रेकार्ड आठवां खिताब जीतने के लिए उतरे नोवाक जोकोविच ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आस्ट्रेलियाई ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली। पुरुषों के वर्ग में गत चैम्पियन जोकोविच ने जापान के योशिहितो निशिओका को 6-3, 6-2 , 6-2 से मात दी। वह 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 16 में पहुंचे हैं जबकि रोजर फेडरर यह कमाल 67 बार कर चुके हैं। अब उनका सामना 14वीं वरीयता प्राप्त डिएगो श्वार्त्जमैन से होगा जिन्होंने सर्बिया के डुसान लाजोविच को 6-2, 6-4, 7-6 से हराया।

15 साल की खिलाड़ी कोको गॉफ ने गत चैंपियन नाओमी ओसाका का सफर खत्म कर उलटफेर किया।

78 वें स्थान पर काबिज जाबुर से मिली हार के बाद कैरोलिन वोज्नियाकी अपने आंसू नहीं रोक सकीं।

व्यस्त कार्यक्रम पर शुक्ला ने किया कोहली का समर्थन

नई दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा)।

मैं कोहली का समर्थन करता हूं कि कैलेंडर बहुत व्यस्त है। लगातार मैच और शृंखलाएं नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को आराम और अनुकूलन का पूरा समय मिलना चाहिए।

आइपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने टीम के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को लेकर भारतीय कप्तान विराट कोहली की चिंता का समर्थन किया है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू शृंखला के पांच दिन के भीतर ही न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची भारतीय टीम के कप्तान ने कहा था कि क्रिकेटर ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जब सीधे स्टेडियम पर लैंड करके खेलना शुरू करना होगा।

शुक्ला ने ट्वीट किया,'मैं कोहली का समर्थन करता हूं कि कैलेंडर बहुत व्यस्त है। लगातार मैच और शृंखलाएं नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को आराम और अनुकूलन का पूरा समय मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रशासकों की समिति को दोषी ठहराया।

उन्होंने कहा कि शेड्यूल तय करने से पहले सीओए को इस पर ध्यान देना चाहिए था। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 से पूर्व कहा था कि अब हम उस स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं कि सीधे स्टेडियम पर लैंडिंग करके खेलना होगा। कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है लेकिन इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऐसा ही है जहां लगातार खेलना होता है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 69, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com